NDOH: 19.09.2025

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION No. 80/2025

IN THE MATTER OF:

Basanti devi & Ors.

...........................Applicants(s)

VESUS

Executive Engineer, PWD Bhatwari, Uttarkashi, Uttarakhand & Ors.

...........................Respondent(s)

INDEX

S.No.	Title of Document	Page No.
1.	**Rejoinder Affidavit on Behalf of Applicant(s)**	03 – 10
2.	**Annexure No. RJ 01 :** The Judgememt of Hon'able Civil Court (Senior Divison) Uttarkashi (30/10/2021)	11 – 21
3.	**Annexure No. RJ 02** : The Decree of Hon'able Civil Court (Senior Divison) Uttarkashi (30/10/2021)	22 - 26
4.	**Annexure No. RJ 03 :** The Judgememt of Hon'able Assistant Collector (First Class) Bhatwari(14/07/2020)	27 – 34
5.	**Annexure No. RJ 04** : Land Record / Khata Khatooni No. 00105, Mukhwa, Bhatwari	35
6.	**Annexure No. RJ 05 :** Report of Revenue Department, dated 14.04.2015	36 – 39
7.	**Annexure No. RJ 06 :** Certified copy of documents from Civil Suit No. 65/2017 – **Objection document**, (pages from 32 G1 to 32 G2)	40 – 43
8.	**Annexure No. RJ 07 :** : Certified copy of documents from Civil Suit No. 65/2017, –**Defendants' Written Statement (Reply)**	44 - 47
9.	**Annexure No. RJ 08** : RTI reply received from the Office of the Public Information Officer / Assistant Engineer, PWD, Bhatwari Uttarkashi. **(Letter No. 670/RTI/ dated (15.5.2025)**, **(Letter No. 602/3/ Bhoo.A, dated 11.3.2016)** **(Letter No. 653/RTI/ Bhoo.A, dated 17.3.2016)**	48 - 50
10.	**Annexure No. RJ 09 :** RTI Reply from SDM Bhatwari – (Letter No. 894/PA-RTI/2025) (Revenue Inspector Report)	51 – 57
11.	**Annexure No. RJ 10 :** Notice under Section 80 of the CPC, 1908 – dated **16.02.2025,** by Applicants to the Respondents	58 – 61

बसन्ती

12.	**<u>Annexure No. RJ 11 :</u>** Reply to the Notice by Respondents **(Letter No. 516/Notice/Bhoo. A.)** – dated **08.04.2025.**	62 – 64
13.	**<u>Annexure No. RJ 12 :</u>** Order sheet of the Execution Case 03/2025 in Hon'ble Civil Court Sr. Divison Uttarkashi.	65 – 67
14.	**<u>Annexure No. RJ 13 :</u>** Execution Application (Case No. 03/2025) under Order 21 Rule 32.	68 – 71
15.	**<u>Annexure No. RJ 14 :</u>** Disposal Order sheet of Higher Revenue Court, Gardwal Mandal, dated 11.03.2024.	72
16.	**<u>Annexure No. RJ 15:</u>** RTI Letter from the Office of PWD Bhatwari, dated. 14.05.2025.	73 – 75
17.	**<u>Annexure No. RJ 16 :</u>** RTI Reply from the office of DFO, Uttarkashi – (Letter No. 20/22-1(9), Kotbangla – dated **03.07.2025**)	76 – 82
18.	**<u>Annexure No. RJ 17 :</u>** Judgement of Tehsildaar Bhatwari, Uttarkashi, dated on 27.07.2016	83 – 85
19.	**<u>Annexure No. RJ 18 :</u>** Witness Affidavits in Case No.65/2017	86 – 95
20.	**<u>Annexure No. RJ 19 :</u>** Inquiry Report by the SP/DSP, Uttarkashi, Through CM Helpline Portal Uttarakhand. **(Letter No. R-CO-Inquiry-114/2025 – dated 14.07.2025)**	96 – 101
21.	**<u>Annexure No. RJ 20 :</u>** Letter of Respected MLA of Gangotri Vidhan Sabha to Respondents	102
22.	**<u>Annexure No. RJ 21 :</u> Photographic Evidences**	103 – 115
23.	Proof of Service	

बसन्ती

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION No. 80/2025

IN THE MATTER OF:

Basanti devi & Ors.

..........................Applicants(s)

VESUS

Executive Engineer, PWD Bhatwari, Uttarkashi, Uttarakhand & Ors.

..........................Respondent(s)

REJOINDER AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE APPLICANT(s) IN RESPONSE TO THE REPLY AFFIDAVIT OF THE RESPONDENTS

I, **Basanti Devi, W/o Late Bhola Dutt Semwal**, aged about **70 years**, resident of **Mukhwa Village, Tehsil Bhatwari, District Uttarkashi, Uttarakhand,** do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That I am the Applicant No. 1 in the above-mentioned matter and am well acquainted with the facts and circumstances of the case. I am competent to swear this affidavit.

2. That the contents of the reply affidavit filed by the Respondents are false, baseless, fabricated, and hence denied.

3. That the contents of my Original Application are correct and are reiterated herein, save and except what is specifically dealt with in this rejoinder.

Para-wise reply

4. That the contents in paragraph no. 01 and 02 of Reply Affidavit are related to the Respondents; hence, not dealt with.

5. That the contents of the paragraph no. 03 are baseless and denied. The Original Application filed by the Applicants is complete in all respects. The plea of missing paragraphs is frivolous, misconceived, and only raised to delay the proceedings.

6. That the contents in paragraph no. 04 and 05 of Reply Affidavit pertain to the Respondents; Hence, no comments.

7. That the contents in paragraph no. 06 of Reply Affidavit are misleading and not admitted, hence denied because;

   A. That the Respondents have deliberately sought to conceal their illegal and criminal acts committed within the Bhagirathi Eco-Sensitive Zone. In reality, the disputed site is located approximately '**1.5 km**' beyond the venue of the Hon'ble Prime Minister's programme. Under the guise of developing a so-called "parking area," the Respondents have misappropriated public funds and willfully violated the '**Permanent Injunction' dated 30.10.2021** passed by the Hon'ble Civil Court (Senior Division), Uttarkashi, in Case No. 65/2017 (copy of Decree annexed herewith as **Annexure RJ-02**, and also as **Annexure-02** in OA 80/2025). Such actions also constitute a blatant breach of environmental protection laws and the Eco-Sensitive Zone notification. The Respondents' conduct is wholly illegal, criminal, and

बसन्ती

inexcusable, and demonstrates their deliberate defiance of the orders of the Hon'ble Civil Court (Senior Division) as well as of the law itself.

B. That the sale deed dated 10.03.2015, as relied upon by the Respondents, is forged, fraudulent, and wholly illegal. The true market value of ₹1,25,000/- (as per the 2015 Government assessment of the Apple Orchard) was deliberately concealed so as to evade legal scrutiny. The Applicant has been in long-standing, continuous, and peaceful possession and cultivation (*kabiz-kasht*) of Khasra Nos. 1435 and 1436 for the past 30–32 years, having maintained a fully developed apple orchard thereon throughout this period. This undisputed fact has been acknowledged by the Hon'ble Civil Court (Senior Division), Uttarkashi, which decreed (with Permanent Injunction) in favour of the Applicant and against the Respondents. (copy of Judgement and Decree annexed herewith as **Annexure RJ-01** and **Annexure RJ-02**, also as **Annexure-01** and **02** in OA 80/2025**).**

Furthermore, the competent revenue authority, i.e., the Assistant Collector, Bhatwari, has declared the Applicant as *Bhumidhar* / owner and has duly recorded the Applicant's name in the revenue records. (copy of Judgement and Decree annexed herewith as **Annexure RJ-03** and **Annexure RJ-04**, also as **Annexure-03** and **04** in OA 80/2025**).**

C. That the Respondents' reliance on the District Magistrate's order dated 27.01.2025 as justification for their illegal acts is wholly baseless, misleading, and untenable. The fact remains that the Applicant had already lodged a formal written police complaint on 27.01.2025 — on the very same day when the said DM's order was issued (copy of Complaint Letter annexed herewith as **Annexure no. 06 of the OA 80/2025**), — clearly reporting that the Respondents had commenced the unlawful felling of the Applicant's fully grown apple orchard. This conclusively establishes that the illegal activity was already underway prior to or simultaneous with any such official direction, thereby rendering the DM's order incapable of legitimising the Respondents' wrongful conduct.

Furthermore, the shield of the DM's order is entirely unjustified, as the Hon'ble Civil Court (Senior Division), Uttarkashi, in Case No. 65/2017, has already granted a **Permanent Injunction** in favour of the Applicant, which squarely restrains such acts. The District Magistrate himself was arrayed as Defendant No. 5 in the said civil suit, and thus, any order authorising the cutting or destruction of the Applicant's orchard — even under the pretext of creating a so-called "parking area" — is in clear violation of the said injunction and beyond his lawful authority.

The Respondents have, therefore, acted in deliberate and wilful defiance of law, in gross contempt of the Hon'ble Civil Court's decree, and in utter disregard of the Applicant's lawful ownership and possessory rights.

8. That the contents in paragraph no. 07 of Reply Affidavit are misleading and not admitted, hence denied because;

A. That the Hon'ble Civil Court (Senior Division), Uttarkashi, found that the Applicant has been in ancestral possession since 1947 and that in 1993, Jayanti Prasad handed over possession to Bhola Dutt Semwal (Applicant's husband/father) for ₹3,200, with full consent. Given that the land had a mature apple orchard for 30-32 years, the Court passed a **Permanent Injunction on 30.10.2021**. The Respondents did not file any appeal within limitation, and the order has thus attained finality and is binding.

B. That the Applicant is the declared *Bhumidhar* of Khasra Nos. 1435 and 1436 by competent court, and Khasra Nos. 1437 and 1438 have been in the Applicant's possession for decades through barter/settlement from close relatives. Reports from the SDM, Tehsildar, and Revenue Inspector confirm that these lands, within the Applicant's boundaries, were covered with apple trees for nearly 30-32 years (copy of Reports annexed herewith as **Annexure RJ - 09**), which the Respondents illegally and criminally cut and dumped as debris.

C. That on 14.07.2020, the learned Assistant Collector, Bhatwari, in due exercise of powers under Section 229B of the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, declared the

Applicant as *Bhumidhar/owner* and recorded his name in the revenue records, also noting that the land in question contained a mature apple orchard which had existed for approximately 25–30 years. (copy of Judgement annexed herewith as **Annexure RJ- 03**),
The Respondents, in their affidavit, have misleadingly stated that the said judgment of the Assistant Collector, Bhatwari, is under "stay" in the Higher Revenue Court. In reality, the appeal filed against the Assistant Collector's order was finally disposed of by the Higher Revenue Court on 11.03.2024, (copy of order sheet annexed herewith as **Annexure RJ- 14**), and as such, the order dated 14.07.2020 has attained finality and remains fully operative as on date. Any assertion to the contrary by the Respondents is false, misleading, and intended to misrepresent the factual and legal position before this Hon'ble Tribunal.

D. That due to the Applicant's ancestral possession and orchard, the Respondents, in 2015, altered the road alignment from Khasra Nos. 1435 and 1436 to other fields. The Respondents themselves issued letters No. 602/3 Bhu.A. dated 11.03.2016 and No. 653/Bhu.A. dated 17.03.2016 against Jayanti Prasad for recovery of compensation (copy of Letters annexed herewith as **Annexure RJ- 08** and also Annexured with I.A. No. 512/2025, **Annexure 01**). This material fact was deliberately suppressed before the Hon'ble Tribunal

9. That the contents in paragraph no. 08 of Reply Affidavit are misleading, baseless and not admitted, hence denied, because;

A. That the Respondents' actions constitute clear violations of the Environmental Protection Act and the Eco-Sensitive Zone notification. The land in Khasra Nos. 1435 and 1436 is *Bhumidhar/ owner* land which is protected by the Civil Court's Permanent Injunction, while 1437 and 1438 are long-possessed cultivated lands with 30-32 years-old apple orchards. So, the claim that JCB was working on PWD land not in Applicants land **(fully developed fruit-bearing apple orchard)** are false and baseless.

B. That, In fact, the Respondents themselves have admitted, in their affidavit (paras 03, 08, and 10) filed in the disposed Case No. 65/2017 before the Hon'ble Civil Court (Sr. Division), Uttarkashi, that ***"However, as far as the apple orchard of the Plaintiffs is concerned, the defendants responsible or any of their departmental employees or officers have not caused any damage to the apple trees of the Plaintiffs, nor do they have intentions to do so."*** (copy of Defendant's Written Statement annexed herewith as **Annexure RJ - 07**),
This categorical statement amounts to an unequivocal admission by the Respondents regarding the existence of the Applicant's orchard, as well as their acknowledgment that no damage had been caused or was intended. The present acts of destruction, therefore, not only contradict their own sworn statements but also demonstrate wilful falsehood, malafide intent, and contempt of court.

C. That the Respondents themselves have admitted that loss has been caused to the Applicants and that compensation is to be paid, as is evident from their reply to the Applicants' Notice under Section 80 CPC dated 17.02.2025.
Further, under the RTI information provided in letter 661/RTI and 662/RTI dated 14.05.2025, the "Pratikar Report" specifically mentions that compensation for Khasra Nos. 1435 and 1436 has been prepared in the name of the Applicants. This clearly proves two facts: firstly, that actual damage has occurred on the Applicants' orchard/land; and secondly, that the land belongs to and stands in the name of the Applicants. (copy of Letter annexed herewith as **Annexure RJ- 15**).
Hence, the contradictory stand of the Respondents — on one hand denying ownership and on the other hand preparing compensation in the Applicants' name — is false, misleading, and self-defeating.

10. That the contents in paragraph no. 09 of Reply Affidavit are misleading, baseless and not admitted, hence denied, because the learned Civil Court's (Sr. Division), Uttarkashi decree in Suit No. 65/2017 (copy of Decree annexed herewith as **Annexure RJ- 02** also with **Annexure 02 of OA 80/2025)** is in favour of the Applicant and against the Respondents, restraining them from interference. The Respondents are guilty of violating the Permanent Injunction.

11. That the contents of paragraph no. 10 of the Reply Affidavit are misleading, baseless, and not admitted, hence denied. The factual position is that, as per the revenue record (*maal abhilekh*), *Faasli Varsh*

1428–33 of Khata-Khatauni, the mutation is also recorded in Khatauni No. 105 in the name of the Applicants (copy of Land Record/ Khata-Khatauni annexed herewith as **Annexure RJ- 04)**.

12. That the contents in paragraph no. 11 of Reply Affidavit are baseless and not admitted, hence denied.

13. That the contents in paragraph no. 12 of Reply Affidavit are misleading, baseless and not admitted, hence denied. In reply there to it is summited that the contention of respondents is same as stated above in the **Para no. 09 'A' of this Rejoinder** and as well as also the victim land is lawfully owned by the Applicant and protected by the Civil Court's Permanent Injunction.

14. That the contents in paragraph no. 13 of Reply Affidavit are misleading, baseless and not admitted, hence denied. In reply there to it is summited that the contention of respondents is same as stated above in the **Para no. 09 of this Rejoinder.**

15. That the contents of paragraph no. 14 of the Reply Affidavit are false, misleading, and hence denied. The factual position is that the so-called "parking" was in fact constructed by unlawfully cutting down the Applicant's fully developed apple orchard, not on PWD land.
The Respondents' plea that no destruction to the environment was caused is baseless, as the orchard of 30–35 years old fruit-bearing trees was completely destroyed. This unlawful act constitutes not only a violation of the **Permanent Injunction dated 30.10.2021** passed by the Hon'ble Civil Court, Uttarkashi, but also amounts to breach of environmental protection laws and the Bhagirathi Eco-Sensitive Zone Notification, **as well as brings irreversible environmental damage.**

16. That the contents of paragraph no. 15 of the Reply Affidavit are misleading, baseless and hence denied. The reality is that, in the name of so-called "development," several fully grown apple trees and several reserved *deodar/Himalayan cedar trees* were cut in past during the Harshil–Mukhwa road construction, causing severe and irreparable environmental loss. The Respondents cannot justify indiscriminate felling of trees by merely citing permissions, as the Environmental Protection Act and the Eco-Sensitive Zone notification mandate sustainable and eco-friendly development. Blind expansion of this road beyond Mukhwa to Jangla will further destroy upcoming forest of reserved *deodar/Himalayan cedar tree,* fragile ecology, biodiversity, and livelihood of villagers as well as several *orchards*.

17. That the contents of paragraphs no. 16 of the Reply Affidavit are wholly misconceived, misleading and hence denied. The Respondents have in fact violated multiple statutory and constitutional provisions, including but not limited to:

   i. **The Environment (Protection) Act, 1986**
   ii. **Eco-Sensitive Zone Notifications (2012, MoEFCC)**
   iii. **Forest Conservation Act, 1980**
   iv. **Article 19(1)(g) of the Constitution of India** – Right to livelihood and to carry on lawful occupation has been infringed, as the Applicants' orchard was the sole source of income. Widow Alpna Devi and other affected family members have been directly deprived of their means of sustenance.
   v. **Article 21 of the Constitution of India** – Right to life includes the right to live with dignity, clean environment and livelihood. The arbitrary destruction of orchard and environment directly infringes this fundamental right.
   vi. **Article 300A of the Constitution of India** – The property right of the Applicants as recorded *Bhumidhar/owners* in revenue records has been unlawfully taken away without authority of law.
   vii. **Indian Penal Code, 1860 / Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023** – Criminal Trespass (Sec. 441 IPC / Sec. 355 BNS), Mischief causing damage to property (Sec. 427 IPC / Sec. 318 BNS),Cheating/Deceit (Sec. 415 IPC / Sec. 316 BNS), Criminal Conspiracy (Sec. 120B IPC / Sec. 61 BNS)

ARY GOVT. OF INDIA

Thus, the blanket denial by Respondents that "no law has been violated" is false and unsustainable. Their actions are illegal, unconstitutional and have caused irreparable environmental, social and economic loss to the Applicants.

18. That the contents of the paragraph no.17 are false, misconceived and hence denied. The allegation that the Applicants filed the Original Application only with an intention of blackmailing is baseless.
On the contrary, the Respondents themselves have admitted that the Civil Court's Decree in Case No. 65/2017 has attained finality. However, in blatant contradiction, they have willfully violated the very same Decree of the Hon'ble Civil Court (Senior Division), Uttarkashi, which granted a **Permanent Injunction** in favour of the Applicants and restrained the Respondents from causing any damage to the orchard/land.

Thus, while on one hand the Respondents claim that the decree is binding and final, on the other hand they have openly acted in contempt and defiance of the decree. Their conduct amounts to deliberate violation of judicial orders, environmental laws, and the Applicants' fundamental and property rights.

It is therefore humbly submitted that the Applicants are not only entitled to restoration of their orchard and protection of the environment in the Eco-Sensitive Zone, but also to appropriate compensation for the irreparable loss caused to their 30-year-old orchard, livelihood, and environment due to the illegal and arbitrary acts of the Respondents. **(The specific Prayer/Reliefs have already been sought in the Applicants' Original Application No. 80/2025 and IA 136/2025, which may kindly be read as part and parcel of this Rejoinder.)**

19. That the contents of paragraph no. 18 are denied, the Respondents have caused the Applicant physical, economic, mental, and social harm. Restoration and full compensation must be recovered from the Respondents in the interest of justice.

Additional Submissions

20. That the Respondents, particularly the Public Works Department, Bhatwari, have been harassing the Applicant's family for nearly 10 years through deceit, fraud, and other wrongful means. In various courts, for matters arising from the same subject, they have filed contradictory and false affidavits. In Suit No. 65/2017, they themselves admitted in paras 03, 08, and 10 of their written statement that ***"However, as far as the apple orchard of the Plaintiffs is concerned, the defendants responsible or any of their departmental employees or officers have not caused any damage to the apple trees of the Plaintiffs, nor do they have intentions to do so."*** (copy of Defendant's Written Statement annexed herewith as **Annexure RJ - 07**),

21. That letters No. 602/3 Bhu.A. dated 11.03.2016 and No. 653/Bhu.A. dated 17.03.2016, clearly records that apple trees existing on Khasra Nos. 1435 and 1436, which is planted by Basanti Devi w/o Late. Bhola Dutt, and that recovery of the compensation of ₹33,957 was ordered against Jayanti Prasad, with a copy sent to Applicant Basanti Devi. (copy of Letters annexed herewith as **Annexure RJ- 08).**

22. That the Applicant issued a statutory notice under Section 80 CPC on 16.02.2025 to the Respondents, clearly stating the destruction/damage to 35–40 fruit-bearing trees and loss of livelihood (copy of Notice annexed herewith as **Annexure RJ- 10**).

23. That the Respondents, in their own reply, have categorically admitted that a compensation proposal was prepared for the damaged land and orchard (Khasra Nos. 1434, 1435, 1436 & 1438) even before commencement of work, and further admitted that compensation of ₹33,957/- was already paid in the name of Shri Jayati Prasad for Khasra No. 1435 (area 0.018 ha.) and Khasra No. 1436 (area 0.015 ha.), and recovery proceedings are ongoing. However, it is most pertinent to note that the said compensation/recovery **does not pertain to the present dispute or the incident of the year 2025, but relates to an earlier recovery dated 11.03.2016.**
(copy of Reply of Notice annexed herewith as **Annexure RJ- 11**).
This admission itself establishes (i) that the land and orchard belong to the Applicants, and (ii) that actual damage was caused. Hence, the Respondents' denial of ownership and damage of Applicant(s) elsewhere in their affidavit is wholly false, contradictory, and misleading.

NOTARY
GOVT. OF INDIA

24. That the Joint reports prepared by the SDM, Tehsildar, and Revenue Inspector explicitly note the destruction of 35–40 apple trees and cultivated recorded land belonging to the Applicant. The SDM addressed these findings to the Executive Engineer, PWD (Provincial Division, Bhatwari), (copy of Reports annexed herewith as **Annexure RJ- 09)**.

25. That the Applicants have already instituted Execution Proceedings under Order 21 Rule 32 CPC on 29.04.2025 for enforcement of the Decree dated 30.10.2021 passed by the Hon'ble Civil Court, Senior Division, Uttarkashi. This further establishes that the Respondents are in continuous and wilful disobedience of the said Permanent Injunction decree. (copy of Execution Application (Case No. 03/2025) under Order 21 Rule 32 annexed herewith as **Annexure RJ- 13)**.

26. That also the investigation reports of Uttarakhand CM Helpline (CMHL-032025-07-710245) by the Dy. Superintendent of Police (DSP) of Uttarkashi, also confirm that the Respondents destroyed/damaged more than 40 apple trees, causing physical, mental, and economic loss to the Applicant, (copy of Reports annexed herewith as **Annexure RJ- 19** & **Annexure 08 of IA 512/2025**).

27. That the investigation reports of Harshil Police Station also confirm that the Respondents destroyed/damaged more than 40 apple trees, causing physical, mental, and economic loss to the Applicant, (**Annexure 09 of IA 512/2025**).

28. That as per the RTI reply Letter No. 20/22-1(9), Kotbangla – dated 03.07.2025 from the Office of the Divisional Forest Officer, Uttarkashi, it has been categorically confirmed that no permission was ever sought by PWD, Bhatwari, nor granted by the Forest Department for cutting fruit-bearing apple and other trees on the Harshil–Mukhwa–Jangla Road during the financial year 2024–25. (copy of Letter annexed herewith as **Annexure RJ- 16**).

29. That the Applicant's land known as ***'Thli Dartya'***, on which fruit-bearing apple trees have been developed, is duly supported by the affidavit of the then Revenue Inspector and neighbouring cultivators, which stands annexed in Civil Suit No. 65/2017. (copy of Affidavits annexed herewith as **Annexure RJ- 18**).

30. That the Civil Court's decree and Permanent Injunction dated 30.10.2021 are already on record. (**Annexure 01 & 02 of OA 80/2025** and **also in this Rejoinder with Annexure RJ – 01 & 02**).

31. The Assistant Collector's order, revenue entries, and Khata-Khatauni recording the Applicant's name are also part of the case record. (**Annexure 03 & 04 of OA 80/2025** and **also in this Rejoinder with Annexure RJ – 03 & 04).**

32. That the Respondents have destroyed the Applicant's orchard developed over 30–32 years through sustained labour and investment. This has caused the loss of lakhs of rupees invested over decades and wiped out the next 30 years of expected income (₹1,25,000–₹1,50,000 annually), which was the main source of livelihood for Applicants 1, 3, and 4.

33. That the Respondents have grossly violated the **Permanent Injunction** dated 30.10.2021 in Suit No. 65/2017, causing severe physical, mental, and economic harm to the Applicant. Full compensation must be ordered.

34. The Respondents' actions are in direct violation of environmental laws, Eco-Sensitive Zone regulations, and Articles 19(1),(g), 21, and 300A of the Constitution of India. These acts are not only illegal but also punishable.

35. The specific Prayer/Reliefs have already been sought in the Applicants' Original Application No. 80/2025 and IA 136/2025, which may kindly be read as part and parcel of this Rejoinder.

PRAYER

In view of the above facts and circumstances, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to:

a. That reject the false, misleading and fabricated reply affidavit filed by the Respondents.

b. That accept this rejoinder affidavit along with additional submissions on record.

c. **<u>That the specific Prayers/Reliefs as already sought in the Applicants' Original Application No. 80/2025 and IA 136/2025 may kindly be read as part and parcel of this rejoinder.</u>**

d. Pass such other and further orders as this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the facts and circumstances of the present case in the interest of justice, equity and environmental protection.

DEPONENT

(Basanti Devi)

VERIFICATION

I, the above-named deponent, do hereby verify that the contents of paragraphs 01 to 35 are true and correct to my personal knowledge. No part of this affidavit is false, and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at Uttarkashi, Uttarakhand on 22nd August 2025.

DEPONENT

(Basanti Devi)

Ram Chandra Joshi
Advocate & Notary
Reg. No. 13(13)2022
Distt- Uttarkashi (Uttarakhand)
22/08/2025

NOTARY GOVT. OF INDIA

This affidavit is sworn before me by Shri/Smt. .... who is identified by .... at Uttarakhand dated .... AM/PM

IN-UK14599688500603X

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	:	**IN-UK14599688500603X**
Certificate Issued Date	:	22-Aug-2025 03:18 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1221404/ UTTARKASHI/ UK-UT
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK122140435738420798766X
Purchased by	:	BASANTI DEVI
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	BASANTI DEVI
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	BASANTI DEVI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	50 (Fifty only)

NOTARY GOVT. OF INDIA

...यास जोशी
रजिस्ट्री लेखक
कलक्ट्रेट, उत्तरकाशी
मो0--9456711380

Attested

शपथ पत्र

बसन्ती

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Annexure No. RJ 01 : The Judgement of Hon'ble Civil Court (Senior Division),Uttarkashi (30/10/2021)

न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) उत्तरकाशी

दीवानी वाद संख्या - 65/2017

बसन्ती देवी आदि Vs. अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग आदि

नकल. निर्णय संलग्न है।

बसन्ती

[illegible] के लिये

[illegible]	[illegible]	नकल वापस देने की तिथि	नकल वापस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
3/11/2021 तीन नवम्बर दो हजार इक्कीस	3/11/2021 तीन नवम्बर दो हजार इक्कीस	3/11/2021 तीन नवम्बर दो हजार इक्कीस	[signature] 9.11.2021 No-1

FOR COPYING FEES ONLY 3/11/21

FOR COPYING FEES ONLY

FOR COPYING FEES ONLY 3/11/21

FOR COPYING FEES ONLY 3/11/21

FOR COPYING FEES ONLY 3/11/21

5 CF ₹ 10=00 3/11/21

[signature]
(K. Chand)

न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन), उत्तरकाशी।

उपस्थित– मदन राम (उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा)

दिनांक 30.10.2021

दीवानी वाद संख्या 65 सन् 2017

बसन्ती देवी आदि बनाम अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०विभाग आदि।

सी०एन०आर०नं०–UKUT0100'512017

वाद का विवरण

वादी	1. बसन्ती देवी, उम्र 62 वर्ष, पत्नी स्व0 भोला दत्त 2. उमा रमन, उम्र 41 वर्ष, पुत्र स्व0 भोला दत्त, 3. रमा रमन, उम्र, 36 वर्ष, पुत्र स्व0 भोला दत्त, 4. बैंकट रमन, उम्र 34 वर्ष, पुत्र स्व0 भोला दत्त, निवासीगण ग्राम मुखबा, पट्टी टकनौर, तहसील भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी।
वदीगण के अधिवक्ता	श्री जी०एस० चौहान, एडवोकेट एवं श्री कौशल चौहान, एडवोकेट।
प्रतिवादीगण	1. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी। 2. मुकेश सेमवाल, उम्र 40 वर्ष, पुत्र स्व0 जयन्ती प्रसाद, 3. सुधांशु सेमवाल, उम्र 34 वर्ष, पुत्र स्व0 जयन्ती प्रसाद, 4. श्रीमती राजेश्वरी, उम्र 62 वर्ष, पत्नी स्व0 जयन्ती प्रसाद निवासीगण ग्राम मुखबा, पट्टी टकनौर, तहसील भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी। 5. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलक्टर, उत्तरकाशी।
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता	प्रतवादी–1 व 5 की ओर से श्री ए०सी० रमोला, जिला शासकीय अधिवक्ता(दीवानी)। प्रतिवादी 2 लगायत 4 की ओर से श्री एस०सी० रमोला, एडवोकेट।

वाद प्रस्तुत करने की तिथि	14.11.2017
जवाबदावा प्रस्तुत करने की तिथि	प्रतिवादी–1 व 5 ने दिनांक 01.12.2017 तथा प्रतिवादी 2 लगायत 4 ने दिनांक 20.04.2018 को जवाबदावा प्रस्तुत किया।
विवाद्यक विरचन की तिथि	16.07.2018
साक्ष्य नियत किये जाने की तिथि	07.08.2018
साक्ष्य समाप्ति की तिथि	07.10.2021
पत्रावली निर्णय हेतु आरक्षित किये जाने की तिथि	23.10.2021
निर्णय की तिथि	30.10.2021

बसन्ती

प्रतिवादीगण का विवरण

पद श्रेणी	प्रतिवादीगण का नाम	समन तामीली की तिथि	न्यायालय में उपस्थिति की तिथि	जवाबदावा प्रस्तुत करने की तिथि	अन्य विवरण
1	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भटवाडी, उत्तरकाशी।	01.12.2017	01.12.2017	21.12.2017	—
2	मुकेश सेमवाल	23.02.2018	08.03.2018	20.04.2018	
3	सुधांशु सेमवाल	23.02.2018	08.03.2018	20.04.2018	
4	श्रीमती राजेश्वरी	23.02.2018	08.03.2018	20.04.2018	
5	उत्तराखण्ड सरकार, द्वारा जिला कलक्टर, उत्तरकाशी।	01.12.2017	01.12.2017	21.12.2017	—

अ– वादी के साक्षियों का विवरण :–

श्रेणी/पद	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
पी0डब्लू–1	उमारमन सेमवाल	वादी – 2
पी0डब्लू0–2	माया प्रसाद सेमवाल	वादी साक्षी
पी0डब्लू0–3	महेशानन्द रतूड़ी	वादी साक्षी
पी0डब्लू0–4	प्रेमनारायण	वादी साक्षी
पी0डब्लू0–5	चकधर सेमवाल	वादी साक्षी
पी0डब्लू0–6	श्रीमती शकुन्तला देवी	वादी साक्षी
पी0डब्लू0–7	धर्मानन्द सेमवाल	वादी साक्षी
पी0डब्लू0–8	प्रेमचन्द	वादी साक्षी
पी0डब्लू0–9	कल्याण सिंह पोखरियाल	राजस्व निरीक्षक, भटवाड़ी।

ब– प्रतिवादी के साक्षियों का विवरण :–

श्रेणी/पद	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
डी0डब्लू–1	सुधांशु सेमवाल	प्रतिवादी–3

:: **निर्णय** :

वादीगण की ओर से–श्री जी0एस0 चौहान, एडवोकेट एवं श्री कौशल चौहान, एडवोकेट।
प्रतिवादी–1 व 5 की ओर से–श्री ए0सी0 रमोला, डी0जी0सी0(सिविल)।
प्रतिवादी 2 लगायत 4 की ओर से श्री एस0सी0 रमोला, एडवोकेट।

दिनांक 30.10.2021– प्रस्तुत वाद वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त करने हेतु योजित किया है।

2. संक्षेप में वाद के कथन यह हैं कि वादीगण मौजा मुखबा पट्टी टकनौर, तहसील भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी के फसली वर्ष 1422 से 1427 तक के खाता खतौनी

बसन्ती

00049 में इन्द्राज खसरा नम्बर 1435 रक्बा 0.034 है0 एवं 1436 रक्बा 0.015 है0 भूमि पर विगत दो तीन पीढियों से स्वतंत्र काबिज काश्त चले आ रहे हैं। जिनमें से खसरा नम्बर 1435 म0 रक्बा 0.018 है0 व खसरा नम्बर 1436 रक्बा 0.015 है0 भूमि वादीगण के कब्जा व बागभूमि के तथ्य को छुपाकर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के मुखिया ने प्रतिवादी 1 के नाम विधि विरूद्ध बयनामा किया गया है। उक्त खसरा नम्बरान 1435 व 1436 पर वादीगण के पूर्वज विद्यादत्त द्वारा भवन निर्माण हेतु थली बनायी थी, जिस कारण उक्त भूमि को थली दारत्या के नाम से जाना जाता है। इस थली के पूर्वी भाग को सन् 1993 में प्रतिवादी 2 ता 4 के मुखिया जयन्ती प्रसाद ने अपना खेत बताया था, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 13.11.193 को पूर्णानन्द सेमवाल और मनोज कुमार सेमवाल के समक्ष महेशानन्द रतूड़ी के हस्तलेख में लिखत बनी थी। जिसके अनुसार वादीगण के मुखिया स्व0 भोला दत्त द्वारा मु0. तीन हजार दो सौ रूपये की नकद धनराशि महेशानन्द को भुगतान कर उक्त थली अपने पास हस्तान्तरित करवा ली थी। वादीगण के मुखिया द्वारा खसरा नम्बर 1435 व 1436 पर चकबन्दी कर फलदार सेब का बगीचा बनाया गया जो कि आज आबाद है। उक्त खसरा नम्बरान पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम इन्द्राज करवाने हेतु वादीगण के मुखिया ने असिस्टेंट कलक्टर भटवाड़ी के न्यायालय में वाद संख्या 46 सन् 2015 भोला दत्त आदि बनाम जयन्ती पसाद आदि विचाराधीन है। उक्त वाद दायर करने के बाद प्रतिवादीगण 2 ता 4 के मुखिया जयन्ती प्रसाद ने कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया, जबकि जयन्ती प्रसाद की मृत्यु वाद संस्थित होने के एक वर्ष के उपरान्त हुयी। उनकी मृत्यु के बाद प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण 2 ता 4 द्वारा असत्य व मनगढंत तथ्यों पर लगभग 20 माह बाद राजस्व न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत किया। वादीगण के मुखिया स्व0 भोलादत्त को वर्ष 2015 में पता चला कि उक्त खसरा नम्बर सड़क मार्ग के समरेखण में आने की सम्भावना है। इस सम्बन्ध में वादीगण के मुखिया स्व0 भोलादत्त द्वारा दिनांक 23.02.2015 को लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी के कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत की लेकिन लोक निर्माण विभाग ने वादीगण के मुखिया की आपत्ति को नजर अन्दाज किया तथा बिना मौके का भौतिक सत्यापन किये दिनांक 10.03.2015 को फर्जी बयनामा किया गया जो प्रतिवादीगण 2 ता 4 के मुखिया स्व0 जयन्ती प्रसाद के स्वयं के हस्ताक्षरों से निष्पादित नहीं किया गया। वादीगण के मुखिया स्व0 भोलदत्त ने इस सम्बन्ध में परगना मजिस्ट्रेट, भटवाड़ी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर राजस्व उपनिरीक्षक, मुखबा एवं राजस्व उपनिरीक्षक, भटवाड़ी द्वारा मौका मुआयना कर स्थलीय निरीक्षण किया और जॉच रिपोर्ट प्रेषित की जिसके अनुसार वादीगण के उक्त खसरा नम्बरान पर पुस्तैनी रूप से काबिज होने व फलदार वृक्ष होने की पुष्टि की गयी। इसके उपरान्त प्रतिवादी–1 ने स्व0 जयन्ती प्रसाद के नाम से हडपे गये प्रतिकर की वसूली हेतु प्रतिवादी 2 ता 4 को पत्र लिखे व प्रतिकर वापस न करने पर विधिक कार्यवाही की चेतावनी दी। वादीगण के मुखिया स्व0 भोलादत्त ने उक्त बयनामा के विरूद्ध दाखिला खारिज वाद संख्या 35 सन् 2015 में आपत्ति प्रस्तुत की जिसके उपरान्त तहसीलदार भटवाडी द्वारा उक्त दाखिला खारिज वाद 35 सन् 2015 निरस्त किया जा चुका है जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को भी है तथा उनके द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध कोई अपील भी प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः वादीगण ने प्रतिवादीगण 2 ता 4 के मुखिया जयन्ती प्रसाद द्वारा प्रतिवादी–1 के पक्ष में किये गये बयनामा जो उपनिबन्धक कार्यालय के पुस्तक संख्या 01, खण्ड 892, पृष्ठ 347 से 348 के कम संख्या 235/15 में पंजीकृत है, को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने व खसरा संख्या 1435 व 1436 में स्थित वादीगण के फलदार बगीचे व भूमि पर हस्तक्षेप करने से हमेशा–हमेशा के लिये प्रतिवादीगण को निषिद्ध किये जाने की प्रार्थना की है।

3. प्रतिवादीगण 1 व 5 द्वारा जवाबदावा 34क प्रस्तुत कर वादपत्र के कथनों का खण्डन किया है और यह कहा है कि प्रश्नगत खसरा संख्या 1435 रक्बा 0. 034 है0 व खसरा संख्या 1436 रक्बा 0.015 है0 भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 के नाम इन्द्राज थी जिस कारण प्रश्नगत सम्पत्ति के मालिक द्वारा प्रतिवादी–1 के पक्ष में बयनामा किया गया है। यह कहा है कि दावी सम्पत्ति पर फलदार वृक्ष होने

बसन्ती

की जानकारी नहीं है। प्रश्नगत खसरा नम्बरान पर वादीगण द्वारा सड़क निर्माण का कार्य नही करने दिया गया जिसके फलस्वरूप अन्य खसरा नम्बरान पर सड़क निर्माण कार्य किया गया और इसी कारण जयन्ती प्रसाद पुत्र महेशानन्द को प्रतिकर वापस लौटाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। वादीगण का वाद गलत, आधारहीन एवं मनमाने तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज होने योग्य है।

4. प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 द्वारा जवाबदावा 46क प्रस्तुत कर वादपत्र के कथनों का विरोध कर कहा है कि वादीगण का प्रश्नगत खसरा नम्बरान पर कभी भी कोई कब्जा अथवा स्वत्व नहीं रहा है बल्कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की गरज से उक्त वाद प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत खसरा नम्बरान प्रतिवादीगण के भूमिधरी के खेत हैं जिन पर वादीगण का कोई अधिकार नहीं है।

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये–

1. क्या वादी विवादित भूमि पर वर्षों से शांतिपूर्ण अध्यासन में है ?

2. क्या प्रतिवादी, वादी को बिना हक अधिकार के उसके शांतिपूर्ण अध्यासन से बेदखल करना चाहता है ?

3. क्या विपक्षी संख्या 2, 3 के पिता व विपक्षी संख्या 4 के पति द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पास वादी के कब्जे वाली भूमि बिना अधिकार के दे दिया ?

4. क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम कर, अपर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है ?

5. अनुतोष ?

6. वादी के द्वारा सूची 8ग1 से विक्रयपत्र दिनांक 103.03.2015 9ग, खाता खतौनी संख्या 00049 की प्रति 10ग, राजकीय उपनिरीक्षक की जॉच आख्या 11ग, धारा 229बी के वादपत्र की प्रति 12ग, लिखत दिनांक 13.11.1993 की प्रति 13ग, मूल लिखत 18 जेठ सम्वत्–2004 की सत्यप्रति 14ग, अधि0अभि0 लोक निर्माण विभाग का पत्र 15ग, अधि0अभि0 लोक निर्माण विभाग का पत्र 16ग, लोक निर्माण विभाग का पत्र 17ग, तहसीलदार भटवाड़ी के निर्णयादेश की प्रति 18ग, नोटिस दिनांकित 04.05.2017 19ग, जवाबी नोटिस दिनांकित 25.05.2017 20ग, डाक रसीद 21ग, लोक निर्माण विभाग के पत्र 22ग लगायत 26ग दाखिल किये हैं। सूची 73ग से एम्स ऋषिकेश व मैक्स अस्पताल देहरादून की रिपोर्ट 74ग लगायत 76ग/3 तथा सूची 78ग से कीमोथेरेपी की रिपोर्ट 79ग व रैफर सेन्टर की रिपोर्ट 80ग प्रस्तुत किये हैं। सूची 1088ग से न्यायालय असिस्टेंट कलक्टर भटवाड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 14.07.2020 की प्रति 109ग व उद्धरण खाता खतौनी की प्रति 110ग तथा सूची 122ग से राजस्व वाद के आदेश पत्र की नकल 123ग, प्रार्थना पत्र नकल 124ग, आदेश पत्र नकल 125ग तथा लिखित बहस नकल 126ग प्रस्तुत किये हैं। मौखिक साक्ष्य में वादीगण ने वादी–2 उमा रमन सेमवाल पी0डब्लू0–1, माया प्रसाद सेमवाल पी0डब्लू0–2, महेशानन्द रतूड़ी, पी0डब्लू0–3, प्रेमनारायण पी0डब्लू0–4, चक्रधर सेमवाल, पी0डब्लू0–5, श्रीमती शकुन्तला देवी, पी0डब्लू0–6, धर्मानन्द सेमवाल, पी0डब्लू0–7, प्रेमचन्द, पी0डब्लू0–8 एवं श्री कल्याण सिंह पोखरियाल, राजस्व निरीक्षक, भटवाड़ी, पी0डब्लू0–9 को परीक्षित कराया है।

7. प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 ने दस्तावेजी साक्ष्य में सूची 111ग से न्यायालय आयुक्त, पौड़ी गढवाल में योजित अपील संख्या 03 सन् 2020–21 में पारित आदेश दिनांकित 21.01.2021 की प्रति 112ग व उक्त अपील में तहसीलदार भटवाड़ी को जारी प्रति कागज 113ग दाखिल किये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी–3 सुधांशु सेमवाल डी0डब्लू0–1 की मौखिक परीक्षा अंकित करायी है। प्रतिवादी 1 व 5 की ओर से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

8. उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

:: निष्कर्ष ::

निस्तारण विवाद्यक संख्या–1

9. विवाद्यक संख्या–01 यह है कि क्या वादी विवादित भूमि पर वर्षों से शांतिपूर्ण अध्यासन में है ? उपरोक्त वाद बिन्दु वादीगण के अभिवचनों पर बना है, जिस कारण सिद्धि का भार वादीगण पर है। वादीगण का कहना हे कि वे वादग्रस्त सम्पत्ति फसली वर्ष 1422–1427 खाता खतौनी संख्या 0049 के खसरा नम्बर 1435 रक्वा 0.034 हे0 व खसरा नम्बर 1436 रकवा 0.0150 हे0 भूमि पर दो–तीन पीढियों से काबिज काश्त चले आते हैं और इस भूमि को थली दारत्या के नाम से जाना जाता है। जो प्रतिवादीगण 2 ता 4 के मुखिया से सम्वत् 2004 यानी 1947 में लिया था। वर्तमान में दावी भूमि पर वादीगण का पिछले दो दशकों से सेब का बगीचा है। पूर्व में भी प्रतिवादीगण के पूर्वज ने विवाद किया था और गंगोत्री पंचायत में लिखत दिनांकित 13.11.1993 बनाकर वादीगण के मुखिया स्व0 भोलादत्त ने प्रतिवादीगण के मुखिया जयन्ती प्रसाद को प्रतिफल मु0. 3200/– रूपये अदा किये गये। किन्तु प्रतिवादीगण का नाम त्रुटिवश राजस्व अभिलेखों में चला आ रहा था और इसका लाभ उठाते हुये प्रतिवादीगण 2 ता 4 के पूर्वाधिकारी श्री जयन्ती प्रसाद ने दावी सम्पत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 10.03.2015 बिना अधिकार/कब्जा प्रतिवादी–1 के हक में राजमार्ग हेतु विक्रय कर दिया और प्रतिकर प्राप्त कर लिया। वादीगण को इसका पता चलने पर आपत्ति की तो प्रतिवादी–1 ने इस विवाद देखते हुये सड़क का समरेखण बदलकर अन्य खेतों से सड़क निर्माण कर प्रतिवादीगण 2 ता 4 से प्रतिकर रिकवरी की कार्यवाही शुरू कर दी। वादीगण का कहना है कि उनका प्रतिकूल कब्जे के आधार पर न्यायालय असिस्टेन्ट कलक्टर भटवाड़ी के न्यायालय में स्वत्व की घोषणा हेतु धारा 229–बी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम (इसके बाद केवल अधिनियम कहा जा रहा है) के तहत वाद संख्या 46 वर्ष 2015 भोला दत्त आदि बनाम जयन्ती प्रसाद आदि गतिमान है।

10. इसके विपरीत प्रतिवादीगण 2 ता 4 ने लिखत 1947 अथवा दिनांक 13.11.1993 का प्रात्याख्यान करते हुये कहा है कि ये दस्तावेज पंजीकृत न होने के कारण प्रभावी नहीं हो सकते हैं तथा यह भी कहा है कि वादीगण का यदि कोई कब्जा वादग्रस्त सम्पत्ति पर है भी तो यह चोरी छिपे व अवैध अतिचारी का है। प्रतिवादीगण 2 ता 4 का कहना है कि दावी सम्पत्ति उनके स्वत्व अधिकार की थी इसलिये उनके द्वारा किया गया बयनामा दिनांकित 10.03.2015 सही है और उन्होंने प्रतिकर सही लिया है। प्रतिवादीगण 1 व 5 ने भी इन्ही आधारों पर वादीगण के अभिवचनों का विरोध किया है।

11. कथित मूल लिखत 18 जेठ सम्वत् 2004 की नकल पत्रावली पर कागज 15ग1/2 है जो स्पष्टतः पठनीय नहीं है किन्तु यह रसीद विदित होती है और थली दारत्या भूमि के बारे में प्रतीत है। कथित लिखत दिनांक 13.11.1993 की नकल पत्रावली पर कागज 14ग1/2 है। इस दस्तावेज के अवलोकन से जयन्ती प्रसाद पुत्र महेशानन्द (प्रतिवादीगण 2 ता 4 के के पूर्वाधिकारी) ने भोला दत्त पुत्र पुरूषोत्तम दत्त (वादीगण के पूर्वाधिकारी) के हक में लिखना विदित है कि दारत्या नामे तोक की जमीन की कीमत मु0. 3200/– प्राप्त कर ली है और उक्त खेत भोलादत्त के होंगे।

12. उक्त दस्तावेज 14ग1/2 में महेशानन्द रतूड़ी ग्राम भटवाड़ी, जयन्ती प्रसाद सेमवाल के आलवा पूर्णानन्द सेमवाल, ग्राम मुखबा व मनोज कुमार, मारकण्डेय के हस्ताक्षर प्रतीत होते हैं। साक्षी महेशानन्द रतूड़ी पी0डब्लू0–3 ने कहा है कि उक्त दस्तावेज दिनांक 13.11.1993 उसके हस्तलेख में तैयार है तथा इस पर कीमत प्राप्त करने का लेखन उसके समक्ष स्वयं जयन्ती प्रसाद ने अपने हस्तलेख एवं हस्ताक्षरों से लिखा है। दस्तावेज 14ग1/2 पर अन्त में यह अंकित है कि– " 3200/– रूपये उपरोक्त मैने खेत की कीमत नकद प्रापत किया। ह0 जयन्ती प्रसाद सेमवाल ।"

13. वादी साक्षी उमा रमन सेमवाल पी0डब्लू0–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में वादपत्र के अभिकथनों का समर्थन किया है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि माल अभिलेखों में प्रतिवादीगण 2 ता 4 का नाम बतौर भूमिधरी दर्ज है। प्रतिवादीगण 2 ता 4 के पूर्वाधिकारी जयन्ती प्रसाद ने लोक निर्माण विभाग के हक में विक्रयपत्र का प्रतिकर प्रापत किया। किन्तु वादीगण के द्वारा आपत्ति किये जाने पर कि दावी सम्पत्ति पर उनका पुराना कब्जा व सेब का बगीचा है, लोक निर्माण विभाग ने सड़क का समरेखण

बसन्ती

बदलकर इस सम्पत्ति पर सडक नहीं बनायी और प्रतिकर वापसी हेतु जयन्ती प्रसाद के विरूद्ध नोटिस जारी किया। यह भी कहा है कि उन्होंने स्वयं को भूमिधर घोषित करने हेतु न्यायालय असिस्टेंट कलक्टर भटवाडी के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है।

14. विक्रयपत्र दिनांक 10.03.2015 की सत्यप्रति पत्रावली पर कागज 9ग1 है। यह विक्रयपत्र जयन्ती प्रसाद पुत्र महेशानन्द ने खसरा नम्बर 1902 रक्बा 0.008 हे0, खसरा नम्बर 1435 रक्बा 0.018 हे0 तथा खसरा नम्बर 1436 रक्बा 0.015 हे0 भूमि प्रतिफल मु0 42189/– रूपये प्राप्त कर उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी प्रतिवादी–1 के हक में निष्पादित एवं पंजीकृत किया है।

15. नकल खतौनी फसली वर्ष 1422–1427 कागज 11ग1 में दावी सम्पत्ति सहित अन्य सम्पत्तियों के प्रतिवादीगण सहखातेदार भूमिधर दर्शित हैं।

16. अधिनियम की धारा 229 बी0 के अधीन प्रस्तुत वाद संख्या 46 वर्ष 2014–15 भोलादत्त सेमवाल बनाम जयन्ती प्रसाद आदि के वादपत्र की नकल कागज 13ग1 पत्रावली पर दाखिल है। उक्त वादपत्र में वादीगण के पूर्वज भोलादत्त सेमवाल ने भी यही कहा है कि वे दस्तावेज 1947 व दिनांक 13.11.1993 के आधार पर दावी सम्पत्ति थली दारत्या पर काबिज होकर सेब की फसल कर रहे हैं और इस सम्पत्ति की कीमत प्रतिवादीगण 2 ता 4 के पूर्वाधिकारी को अदा कर चुके है।। इस कारण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामी घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

17. उक्त वाद संख्या 46 वर्ष 2014–15 में विद्वान सहायक कलक्टर, भटवाडी द्वारा पारित अन्तिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.07.2020 की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर कागज 109ग दाखिल की गयी है। उक्त निर्णय एवं आदेश के अनुसार वादीगण को दावी सम्पत्ति का स्वामी घोषित कर उनका नाम माल रजिस्टरों में चढाने के आदेश हुये हैं।

18. उक्त निर्णय के आधार पर वादीगण का नाम दावी सम्पत्ति पर दर्ज होना बताया गया है। नकल खतौनी फसली वर्ष 1428–1433 कागज 110ग के अवलोकन से विद्वान सहायक कलक्टर, भटवाडी के उक्त निर्णय के अनुपालन में वादीगण का नाम दावी समपत्ति में बतौर भूमिधर दर्ज हुआ है।

19. किन्तु प्रतिवादीगण 2 ता 4 ने असिस्टेंट कलक्टर, भटवाड़ी के उक्त निर्णय दिनांक 14.07.2020 के विरूद्ध अपील योजित करने का तर्क करते हुये उक्त निर्णय एवं आदेश के प्रभाव को आयुक्त गढवाल मण्डल द्वारा स्थगित रखे जाने का कथन किया है। पत्रावली पर प्रतिवादीगण द्वारा आयुक्त गढवाल मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2021 की प्रमाणित प्रति कागज 112ग दाखिल की गयी है। उक्त आदेश के अनुसार सहायक कलक्टर, भटवाड़ी द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.07.2020 के प्रभाव को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया गया है।

20. इस प्रकार इस स्तर पर वादीगण सक्षम न्यायालय द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति के स्वामी घोषित नहीं हैं तथा सहायक कलक्टर, भटवाड़ी द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 14.07.2020 चुनौती के अधीन होने के कारण अन्तिम नहीं हुआ है। फलस्वरूप वादीगण का नाम खाता खतौनी में वादग्रस्त सम्पत्ति पर नामान्तरित होने पर भी प्रभावहीन हो गया है। ऐसी परिस्थिति में इस स्तर पर यह माना जायेगा कि प्रतिवादीगण 2 ता 4 ही दावी सम्पत्ति के रिकार्डेड भूमिधर हैं।

21. विक्रयपत्र दिनांकित 10.03.2015 प्रतिवादीगण 2 ता 4 के पूर्वाधिकारी जयन्ती प्रसाद द्वारा किया गया है, जो विक्रयपत्र की सम्पत्ति का रिकार्डेड भूमिधर है उक्त दस्तावेज एक पंजीकृत दस्तावेज है। वादीगण के हक वाले कथित दस्तावेज वर्ष 1947 या लिखत दिनांक 13.11.1993 दोनों अपंजीकृत दस्तावेज हैं। उक्त दस्तावेजों में क्रमशः मु0 400/– रूपये और मु0 3200/– रूपये कीमत विदित है। ऐसी परिस्थिति में सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 54 के अनुसार इसका पंजीकृत होना अनिवार्य है तभी यह विक्रयपत्र वैध माने जा सकते हैं।

बसन्ती

22. वादीगण की ओर से एक तर्क यह भी है कि उनको उक्त दस्तावेजों के आधार पर प्रतिफल अदा कर देने व कब्जा प्राप्त लेने पर दस्तावेजों के पंजीकरण न होने की परिस्थितियों में भी उनको धारा 53ए सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम,ग 1882 के अधीन संरक्षण प्राप्त है।

23. किन्तु दस्तावेज 1947 या दिनांकित 13.11.1993 निर्धारित तरीके से अन्तरण के दस्तावेज नहीं हैं न ही इन पर खसरा नम्बर अंकित हैं। कागज 14ग/2 दिनांकित 13.11.1993 पर खेत नम्बर को रिक्त छोड़ा गया है तथा यह साबित नहीं किया गया है कि 'दारत्या तोक' पर प्रतिवादीगण 2 ता 4 के केवल दावी खेत ही हैं। ऐसी परिस्थिति में भागिक अनुपालन का सिद्धान्त वादीगण के हक में स्पष्टतया आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय बसन्ती बनाम बेणुगोपाल(मृतक) द्वारा विधिक वारिसान (2017) 4 SCC 723 में प्रतिपादित किया है कि धारा 53ए सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम का संरक्षण प्राप्त करने के लिये अन्तरिती को यह साबित करना आवश्यक है कि वह अपना भागिक पालन करने के लिये सदैव इच्छुक एवं तत्पर रहा था और अन्तरणकर्ता द्वारा ही भागिक पालन नहीं किया गया। उक्त मामले में भी स्वामी अन्तरणकर्ता ने पूर्व अनुबन्ध को दरकिनार कर वही सम्पत्ति अन्य को विक्रय कर दी थी तथा द्वितीय अन्तरिती को यह कहा था कि पूर्व अन्तरिती उस सम्पत्ति पर बतौर किरायेदार काबिज है। उक्त मामले की ही तरह प्रस्तुत मामले में वादीगण ने वादपत्र में कहीं भी यह उदघाटित नहीं किया है कि वे और उनके पूर्वाधिकारी दस्तावेज वर्ष 1947 या दिनांकित 13.03.1993 के भागिक अनुपालन (कब्जा प्राप्त हो जाने और पूर्ण प्रतिफल अदा कर लिये जाने की परिस्थिति में सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 54 के अन्तर्गत विकयपयत्र के पंजीकरण) के लिये इच्छुक व तत्पर रहे, किन्तु प्रतिवादीगण 2 ता 4 अथवा उनके पूर्वाधिकारी टालते रहे। सुविज्ञ है कि संविदा का विशिष्ट अनुपालन कराये जाने के लिये परिसीमा भी निर्धारित है। किन्तु वादीगण ने वादपत्र में ऐसा कोई अभिकथन नहीं किया है कि उनके द्वारा उक्त संविदा का अनुपालन प्रतिवादीगण 2 ता 4 या उनके पूर्वाधिकारी से कराये जाने हेतु उनके द्वारा या उनके पूर्वाधिकारी द्वारा कार्यवाही की गयी थी। यद्यपि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में यह भी प्रतिपादित किया है कि परिसीमा समाप्त हो जाने पर भी ऐसा अन्तरिती अपने कब्जे को संरक्षित रखने का अधिकारी है। किन्तु इस प्रकारण में वादीगण या उनके पूर्वाधिकारी द्वारा न तो संविदा का विशिष्ट अनुपालन कराये जाने हेतु कोई प्रयास दर्शित किये गये हैं न ही उनको सक्षम न्यायालय से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वत्व का अधिकारी घोषित किया गया है। प्रतिवादी-1 के हक में किया गया विकयपत्र दिनांकित 10.03.2015 वैध एवं पंजीकृत दस्तावेज है तथा वादीगण ने यह भी नहीं बताया है कि उनके कब्जे का संज्ञान उक्त विकयपत्र करने से पूर्व प्रतिवादी-1 को रहा था। ऐसी परिस्थिति में वादीगण उक्त कब्जे के आधार को तलवार की तरह प्रयोग करने के अधिकारी नहीं हैं तथा उनका यह कब्जा अतिचारी की कोटि में आता है। तदनुसार वाद बिन्दु-1 निस्तारित किया जाता है।

<u>निस्तारण विवाद्यक संख्या-2</u>

24. विवाद्यक संख्या-2 यह है कि क्या प्रतिवादी, वादी को बिना हक अधिकार के उसके शांतिपूर्ण अध्यासन से बेदखल करना चाहता है ? यह वाद बिन्दु वादीगण के अभिकथन पर बना है, जिस कारण सिद्धि का भार वादीगण का है। वादीगण का कहना है कि प्रश्नगत विकयपत्र निष्पादित कर जयन्ती प्रसाद ने वादग्रस्त सम्पत्ति पर वादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। जिस पर तहसीलदार भटवाड़ी को मौके का सत्यापन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया और तहसीलदार भटवाड़ी के आदेश पर राजस्व उपनिरीक्षक ने आख्या प्रस्तुत की। पत्रावली पर राजस्व उपनिरीक्षक, मुखबा की आख्या दिनांक 13.04.2015 की नकल 12ग है। जो भोलादत्त सेमवाल (वादीगण के पूर्वाधिकारी) के प्रार्थना पत्र वास्ते मौका सत्यापन, तहसीलदार भटवाड़ी को प्रेषित की गयी है। इस आख्या में अंकित है कि खसरा संख्या 1435, 1436 व 1440 के भौतिक सत्यापन में आस-पास के खातेदार चकधर सेमवाल, मदरांचल

बसन्ती

रोमवाल, मोहन लाल, रमेश चन्द आदि ने दिनांक 13.11.1993 से स्व0 भोलादत्त का कब्जा काश्त होने का कथन किया है। आख्या में यह भी अंकित है कि उक्त खसरों पर सेब के फलदार पेड़ लगे है। खसरा संख्या 1440 भोला दत्त के नाम जबकि खसरा नम्बर 1435 व 1436 जयन्ती प्रसाद के नाम दर्ज है।

25. पूर्व वाद बिन्दु के निस्तारण में वादीगण के कब्जे की विस्तार से चर्चा करते हुये पाया गया है कि उनको धारा 53ए सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम का संरक्षण प्राप्त न होने पर वे केवल अतिचारी हैं तथा वादग्रस्त सम्पत्ति के वास्तविक स्वामी प्रतिवादीगण 2 ता 4 के पूर्वाधिकारी जयन्ती प्रसाद उक्त सम्पत्ति को प्रतिवादी–1 को विक्रय कर चुके हैं। ऐसे में प्रतिवादीगण द्वारा किया गया विधिक हस्तक्षेप मनमाना विदित नही होता है। इस कारण वाद बिन्दु–2 का निस्तारण नकारात्मक रूप से किया जाता है।

<u>निस्तारण विवाद्यक संख्या–3</u>

26. विवाद्यक संख्या–3 यह है कि क्या विपक्षी संख्या 2, 3 के पिता व विपक्षी संख्या 4 के पति द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पास वादी के कब्जे वाली भूमि बिना अधिकार के दे दिया ? यह वाद बिन्दु वादीगण के अभिकथन पर बना है, जिस कारण सिद्धि का भार वादीगण का है। वादीगण का कहना है कि प्रतिवादीगण 2 ता 4 के पूर्वाधिकारी जयन्ती प्रसाद ने वादग्रस्त सम्पत्ति, जो वादीगण के कब्जे में थी, बिना अधिकार प्रतिवादी–1 को विक्रय कर दी है। इसके पीछे वादीगण का तर्क है कि उनको प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भौतिक स्वत्व के अधिकार प्राप्त हो चुके थे और उनका कब्जा वर्ष 1947 से बदस्तर चला आ रहा था। किन्तु पूर्व चर्चा में यह स्पष्ट हो चुका है कि वादीगण या उसके पूर्वाधिकारी द्वारा विक्रयपत्र निष्पादन एवं पंजीकरण हेतु भागिक पालन के लिये कोई इच्छा अथवा तत्परता प्रदर्शित न करने के कारण उनको धारा 53ए सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 का संरक्षण प्राप्त नहीं है न ही उनको सक्षम न्यायालय द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति का स्वामी घोषित किया गया है। वादीगण के हक में सहायक कलक्टर, भटवाडी का निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.07.2020 इस स्तर पर चुनौती के अधीन है और वैसे भी धारा 53ए अथवा धारा 54 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 का अनुपालन न होने पर पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 10.03.2015 के होने के कारण प्रभावी होने योग्य नहीं है। क्योंकि यदि पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 10.03.2015 की जानकारी विद्वान न्यायालय के समक्ष रखी गयी होती तो विद्वान न्यायालय इस विक्रयपत्र के प्रभावों के बारे में भी अवश्य चर्चा कर आदेश पारित करते। तदनुसार वाद बिन्दु–3 नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

<u>निस्तारण विवाद्यक संख्या–4</u>

27. विवाद्यक संख्या–4 यह है कि क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम कर, अपर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है ? यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिकथन पर बना है, जिस कारण सिद्धि का भार प्रतिवादीगण का है। प्रतिवादीगण का कहना है कि वादीगण ने वॉछित अनुतोषों हेतु वाद का मूल्यांकन कम कर अपर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया है। जबकि वादीगण का कहना है कि उनके द्वारा वाद का सही मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है।

28. वादीगण ने यह वाद विक्रयपत्र दिनांक 10.03.2015 को निरस्त करने तथा स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया है। वादपत्र के पैरा 16 में वादीगण ने वाद का मूल्यांकन भूमि मु0. 83,000/– रूपये व सेब के बगीचों का बाजारी मूल्य मु0. 1,25,000/– रूपये कुल 2,08,000/– रूपये पर नियत कर वॉछित अनुतोषों हेतु कमश बयानामा निरस्ती हेतु प्रतिकर 3,39,57/– रूपये पर 3195/– रूपये न्यायशुल्क तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अधिकतमक मु0. 500/– रूपये न्यायशुल्क अदा किया है।

29. वादी ने भूमि व सेब के बगीचे का मूल्य मु0. 2,08,000/– रूपये वाद का मूल्यांकन कर बयनामा के प्रतिकर पर 33,957/– रूपये न्यायशुल्क अदा करना बताया है। न्यायशुल्क अधिनियम की धारा 7(iv-A) के अनुसार विलेख निरस्ती के अनुतोष हेतु विषयवस्तु के बाजारी मूल्य पर न्यायशुल्क अदा करना होता है। विषयवस्तु का बाजारी मूल्य स्थावर सम्पत्ति की दशा में उपधारा (v), (v-A) तथा (v-B) जैसा

बसन्ती

विषय हो, के अनुसार संगणित किया जाता है। प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर वादीगण ने सेब का बगीचा होना बताया है, ऐसी परिस्थिति में बाजारी मूल्य संगणना के लिये न्यायशुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 7(v) (II) प्रासंगिक है। प्रश्नगत विक्रयपत्र दिनांक 10.03.2015 कागज 9ग1 के अवलोकन से दावी सम्पत्ति अचल सम्पत्ति (कुल 410 वर्गमीटर) की कीमत मु0. 42,189/– रूपये दर्शित है, जबकि दावी सम्पत्ति का इस विक्रयपत्र में केवल 330 वर्गमीटर रक्बा सम्मिलित है। ऐसी परिस्थिति में दावी सम्पत्ति की (विक्रयपत्र दिनांक 10.03.2015 के अनुसार केवल 330 वर्गमीटर) कीमत 33,957/– रूपये ही बैठती है। तदनुसार वादीगण ने उचित न्यायशुल्क अदा किया है, जबकि स्थायी व्यादेश हेतु अधिकतम न्यायशुल्क अदा किया गया है। अतः वाद बिन्दु–4 वादीगण के पक्ष में निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण विवाद्यक संख्या–5

30. यह वाद बिन्दु अनुतोष के लिये है। वादीगण ने यह वाद प्रतिकूल कब्जे के अनुसार स्वयं को दावी सम्पत्ति का स्वामी हो जाने के आधार पर प्रतिवादी–1 के पक्ष में किये गये विक्रयपत्र दिनांक 10.03.2015 को निरस्त करने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध अनधिकृत हस्तक्षेप को रोके जाने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा के लिये प्रस्तुत किया है। किन्तु उपरोक्त विवेचन में यह तय हुआ है कि वादीगण वादग्रस्त सम्पत्ति पर अतिचारी की हैसियत से काफी समय से काबिज काश्त हैं तथा उनके द्वारा संविदा के भागिक पालन करने हेतु इच्छा व सदा तत्परता प्रदर्शित नहीं करने के कारण दस्तावेज वर्ष 1947 व दिनांकित 13.11.1993 के आधार पर उनको धारा 53ए सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 का कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होता है नथा वे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सक्षम न्यायालय द्वारा स्वामी घोषित नहीं है। ऐसे में दावी सम्पत्ति के रिकार्डेड भूमिधर द्वारा पश्चात्वर्ती केता प्रतिवादी–1 को, पूर्ववर्ती संव्यवहार की जानकारी के अभाव में, विक्रय करना अवैध न होने के कारण प्रश्नगत विक्रयपत्र दिनांक 10.03.2015 निरस्ती योग्य नहीं है। तथापि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादीगण को दावी सम्पत्ति के कब्जे से जबरन बेदखल करने से विधि संरक्षण प्रदान करती है। तदनुसार वादीगण का वाद अंशतः स्वीकार किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

31. वादीगण का वाद वास्ते निरस्ती विक्रयपत्र दिनांकित 10.03.2015 खारिज किया जाता है तथापि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादीगण को दावी सम्पत्ति से जबरन बेदखल करने से प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किया जाता है।

32. वाद की परिस्थितियों के अनुसार उभयपक्ष वाद व्यय वहन करेंगे।

33. तदनुसार डिकी तैयार की जाये।

दिनॉक 30.10.2021

Sd
(मदन राम)
सिविल जज (सी0डि0)
उत्तरकाशी।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनॉकित कर सुनाया गया।

दिनॉक 30.10.2021

Sd
(मदन राम) 30/10
सिविल जज (सी0डि0)
उत्तरकाशी।

PHOTO STAT
TRUE COPY

PHOTO COPY
COMPARE B
2-500

HEAD COPYIST
COPYING DEPARTMENT
DIST. JUDGE COURT
UTTARKASHI

OS No 65 of 2017 Basanti Devi and others Vs Ex.Engg PWD and others Civil Judge (S.D.) Uttarkashi

बसन्ती

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) उत्तरकाशी।

मू० वाद सं० - 65/2017

बसन्ती देवी आदि V/s अधिशासी अभियन्ता लो०नि० विभाग आदि

नकल डिक्री संलग्न है।

बसन्ती

केवल नकल फीस के लिये

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तिथि Date of Application is made for copy accompanied by the requisite Stamp.	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तिथि Date of posting notice on notice board.	नकल वापस लेने की तिथि Date Of delivery of copy.	नकल नापस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of official deliverin copy.
15/12/2021 चन्द्र दिवाकर सिंह दो रुपया इक्कीस	15/12/2021 चन्द्र दिवाकर सिंह दो रुपया इक्कीस	15/12/21 चन्द्र दिवाकर सिंह दो रुपया इक्कीस NO. 4 15/12/2021	15/12/2021

दि० - 15/12/2021

10/- Rs.
copying

(आखिलेश मह)
एडवोकेट

FOR COPYING FEES ONLY

5 CF
₹ 10=00

मूल वाद में अज्ञाप्त

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) उत्तरकाशी जिला उत्तरकाशी

दीवानी वाद संख्या– 65 सन् 2017

संस्थित दिनांक 14 मास 11 सन् 2017

1–बसन्ती देवी उम्र 62 वर्ष पत्नी स्व0 भोला दत्त 2–उमा रमन उम्र 41 वर्ष पुत्र स्व0 भोला दत्त 3–रमा रमन उम्र 36 वर्ष पुत्र स्व0 भोला दत्त 4–वैकट रमन उम्र 34 वर्ष पुत्र स्व0 भोला दत्त निवासीगण ग्राम मुखबा पटटी टकनौर तहसील भटवाडी जिला उत्तरकाशी।

प्रति

1–अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग भटवाडी जिला उत्तरकाशी। 2–मुकेश सेमवाल उम्र 40 वर्ष पुत्र स्व0 जयन्ती प्रसाद 3–सुधांशु सेमवाल उम्र 34 वर्ष पुत्र स्व0 जयन्ती प्रसाद 4 श्रीमती राजेश्वरी उम्र 62 वर्ष पत्नी जयन्ती प्रसाद निवासीगण ग्राम मुखबा पटटी टकनौर तहसील भटवाडी जिला उत्तरकाशी।

2–उत्तराखंण्ड सरकार द्वारा कलक्टर उत्तरकाशी

टिप्पणीः–जो पते उपर दिये गये हैं,वह पक्षकारों को छोड़कर उपस्थित नहीं हुये तामिल के प्रयोजन से दाखिल किये गये है।

वाद अन्तर्गत 31 धारा 38 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम –मूल्याकंन रु0 5,00,000,00 (पांच लाख)

क–कि प्रतिवादी सं0 1 एंव प्रतिवादी सं0 02 03 व 04 के मुखिया स्व0 जयन्ती प्रसाद द्वारा कपटपूर्ण एंव विधि विरूद्व बयनामा में अंकित खसरा नम्बरान 1435 रक्वा 0.018 है0 एवं 1436 रक्वा 0.015 है0 दि0 10.03.2015 को निष्पादित किया गया था जो कि उपनिबन्धक कार्यालय के पुस्तक सं0 01 खण्ड 892 पृष्ट 347 से 348 के कम सं0 235/15 मे पंजीकृत है को शून्य एंव निष्प्रावी घोषित कर आज्ञाप्ति प्रदान की जाया।

ख– वादीगण के पक्ष एंव प्रतिवादीगणों के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति उसा आशय से पारित की जाया कि ग्राम मुखबा प0 टकनौर त0 तहसील भटवाडी जिला उत्तरकाशी के फसली वर्ष 1422 से 1427 को खाता सं0 .00049 में दर्ज खसरा नम्बरान 1435 एवं 1436 में स्थित वादीगणों के फलदार बगीचे एंव भूमि पर स्वंय अथवा परिजनो, कर्मचारी अथवा नौकरों द्वारा छेडाकानी वा हस्तक्षेप करने से हमेशा हमेशा के लिय निषद्व किया जाय।

ग–कि वाद व्यय की डिक्री एवं अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान को न्यायोचित प्रतीत हो डिकीवादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगणों के विरूद्व पारित की जाय।

बसन्ती

वादी के लिए श्री [illegible] व कौशल चौहान अधिवक्ता की ओर प्रतिवादी के लिये श्री [illegible] (डी०जी०सी०) [illegible] अधिवक्ता की उपस्थित में इस वाद के श्री मदन राम सिविल जज (सी०डि०) उत्तरकाशी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर यह आदिष्ट और अज्ञाप्त किया जाता है कि:–

–::आदेश::–

वादीगण का वाद वास्ते निरस्ती विक्रयपत्रा दिनांकित 10.03.2015 खारिज किया जाता है तथापि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादीगण को दावी सम्पति से जबरन बेदखल करने से प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किया जाता है। वाद की परिस्थितियों के अनुसार उभयपक्ष वाद व्यय वहनन करेंगे।

और इस वाद के खर्चे मध्ये...रूपये की राशि आज की तारीख तक उस परकृ.. प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित..............................द्वारा..............................को दी जाय।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित दिनांक 30 मास 10 सन् 2021 को दी गयी।

(मदनराम)
सिविल जज (सी०डि०)
उत्तरकाशी
15/11/21

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1.वाद पत्र के लिए मुद्रांक	3695=00	1.शक्ति पत्र के लिए मुद्रांक	2=00
2.शक्ति पत्र के लिए मुद्रांक	2=00	2.याचिका के लिए मुद्रांक	
3.प्रदर्शितों के लिए		3.अधिवक्ता की फीस	
4.अधिवक्ता की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमीशन निष्पादन की फीस		6.कमीशन निष्पादन की फीस	
7.आदेशिका की तामील	10=00	6.अन्य प्रा0 पत्रों पर	28=00
8.अन्य प्रा0 पत्रों पर	54=00	योग	
योग	3761=00		

मुन्सरिम के हस्ताक्षर

मुन्सरिम
सिविल जज (सी०डि०)
उत्तरकाशी

वादी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर

प्रतिवादी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर

PHOTO COPY
COMPARE B
400

PHOTO STAT
TRUE COPY
15/12/2021
HEAD COPYIST
COPYING DEPARTMENT
DIST. JUDGE COURT
UTTARKASHI

Annexure No. RJ 03 : The Judgement of Hon'ble Court of Assistant Collector

न्यायालय असिस्टेंट कलक्टर भटवाड़ी, उत्तरकाशी।

वाद संख्या–46/2014–15 धारा–229 (बी)

वादी– 1/1– श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी स्व0 भोलादत्त
1/2– श्री उमारमण 1/3– श्री रमारमण 1/4–वैकटरमण, पुत्रगण स्व0 भोलादत्त निवासी ग्राम मुखवा, तह0 भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी।

बनाम

प्रतिवादीगण– 1/1–श्री मुकेश सेमवाल,
1/2–श्री सुधाशू सेमवाल पुत्रगण स्व0 जयन्ती प्रसाद
1/3–श्रीमती राजेश्वरी देवी पत्नी स्व0 जयन्ती प्रसाद ग्राम मुखवा पट्टी टकनौर तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी ।
2– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 भटवाड़ी जिला,उत्तरकाशी।
3– उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलक्टर महोदय जिला उत्तरकाशी ।
4– ग्राम पंचायत मुखवा द्वारा प्रधान ग्राम सभा मुखवा पट्टी टकनौर, तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी ।

नकल– उपरोक्त वाद में निर्णय आदेश दिनांक 14–07–2020 की छायाप्रति प्रमाणित 06 प्रति।

वाचक
अ0क0 / परगना मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी
भटवाड़ी, उत्तरकाशी
10-09-2020

बसन्ती

आवश्यक स्टाम्प सहित प्राथना पत्र की तिथि	नक़ल तयार होने की तिथि	नक़ल [illegible] की तिथि	नक़ल दे[illegible] अधिकारी के [illegible]
10-09-2020	10-09-2020	10-09-2020	वाचक परगना मजिस्ट्रेट/उप जिला म[illegible] भटवाड़ी, उत्तरकाशी 10/9/20

Rau. (37)
10-9-20

14-20

न्यायालय असिस्टेंट कलक्टर प्रथम श्रेणी भटवाड़ी, उत्तरकाशी।

वाद संख्या–46 / 2014–15 धारा–229 (बी) जमीं0वि0 एवं भूमि व्य0 अधि0 1950

वादी– 1 / 1– श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी स्व0 भोलादत्त
1 / 2– श्री उमारमण 1 / 3– श्री रमारमण 1 / 4–वैकटरमण, पुत्रगण स्व0 भोलादत्त निवासी ग्राम मुखवा, तह0 भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी।

बनाम

प्रतिवादीगण– 1 / 1–श्री मुकेश सेमवाल,
1 / 2–श्री सुधाशू सेमवाल पुत्रगण स्व0 जयन्ती प्रसाद
1 / 3–श्रीमती राजेश्वरी देवी पत्नी स्व0 जयन्ती प्रसाद ग्राम मुखवा पट्टी टकनौर तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी ।
2– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 भटवाड़ी जिला,उत्तरकाशी।
3– उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलक्टर महोदय जिला उत्तरकाशी ।
4– ग्राम पंचायत मुखवा द्वारा प्रधान ग्राम सभा मुखवा पट्टी टकनौर, तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी ।

:: निर्णय ::

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादी भोलादत्त सेमवाल के वाद पत्र दिनांक 07.07. 2015 के आधार पर इस आशय से गतिमान हुई कि मौजा मुखवा पट्टी टकनौर के फसली वर्ष 1422 से 1427 के खाता संख्या–00049 में इन्द्राज खसरा नम्बर 1435 रक्वा 0.034 हे0 एवं 1436 रक्वा 0.015 हे0 विगत दो पीढियों से वादी के स्वतन्त्र कब्जे काश्त में है। उक्त खसरा नम्बर 1435 और 1436 वही खसरा नम्बंरान है जिन पर सन् 1947 सम्बत 2004 में वादी के दादा पं0 विद्यादत्त ने थली अर्थात भवन निर्माण हेतु समतल की गई भूमि ठेकेदार के माध्यम से बनवाई थी, इस खेत को ग्राम मुखवा के लोग थली–दारत्या नाम से जानते है। इस थली के पूर्व भाग को सन् 1993 में जयन्ती प्रसाद पुत्र महिशानन्द ने अपना खेत बताया जिसे दिनांक 13.11.1993 की लिखत के अनुसार लक्ष्मी पूजन पर्व पर गंगोत्री धाम में गवाहान श्री पूर्णानन्द सेमवाल व मनोज कुमार सेमवाल के समक्ष श्री महेशानन्द रतूड़ी ग्राम भटवाड़ी हाल गंगोत्री धाम के हस्तलेख में बनाई गई थी, जिसके तहत 3,200.00 (तीन हजार दो सौ) की नकद धनराशि श्री जयन्ती प्रसाद पुत्र महिशानन्द को भुगतान की गई थी। इसके बाद उक्त खेतो के साथ वादी ने अपनी भूमिधरी भूमि खसरा नम्बर 1440 रक्वा 0.028 हे0 पर बाहर से बाउन्ड्रीवाल लगाकर तीनों खसरा नम्बर पर सेब के फलदार पेड़ लगाकर खेतों को हर तरह से निर्विवाद रूप से काविज कास्त किया, वादी द्वारा लगाये गये सेब के पेड मौके पर आज भी मौजूद है। इतनी लम्बी अवधि तक निरन्तर, शान्तिपूर्ण तरीके से तथा बेरोक–टोक काबिज काश्त चले आने के बावजूद भी वादी का नाम दावी खेत न0 1435 और 1436 के लिए बतौर भूमिधर के राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज न होने का प्रतिवादी व उसके पुत्रों ने नाजायज फायदा उठाते हुये मुखवा–जांघला मोटरमार्ग निर्माण के लिए प्रतिवादी संख्या–2 के कर्मचारियों से सांठ–गांठ और मिली भगत कर प्रतिवादी संख्या–2 के पक्ष में बयनामा पंजीकृत करा दिया, जिससे वादी के उक्त खसरा नम्बरों से संबंधित भौमिक हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना पैदा हो गई है।

वादी ने दावी भूमि की अद्यावधिक भौतिक स्थिति व कब्जे के सत्यापन के लिए दिनांक 30.03.2015 को परगना मजिस्ट्रेट भटवाड़ी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में

सत्यप्रतिलिपि

229 (B)

1 of 189

परगना मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट
भटवाड़ी उत्तरकाशी

बसन्ती

राजस्व निरीक्षक भटवाड़ी एवं राजस्व उप निरीक्षक हर्षिल ने दावी भूमि का मौका मुआयना कर तथा आस–पास के काश्तकारों से प्राप्त जानकारी और मौके की सही तथा वास्तविक स्थित संबंधी रिपोर्ट प्रेषित की है। उक्त स्थल निरीक्षण व स्थलीय जांच के बाद इस तथ्य की कानूनी तौर पर भी बखूबी पुष्टि हो जाती है कि दावी खसरा नम्बर–1435 व 1436 पर बन्दोवस्त से पूर्व ही विरासतन काबिज–काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या–1 जयन्ती प्रसाद द्वारा दिनांक 13.11.1993 को वादी के पक्ष में दी गई लिखत के माध्यम से प्रतिकूल कब्जे के साथ–साथ प्रस्तुत प्रकरण में धारा–164 ज0वि0अ0 के प्राविधानों का प्रलाभ प्राप्त करने का भी वादी पूरा–पूरा अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादी सं0–1 से दावी खसरा नम्बरों को हस्ब कायदा वादी के नाम बयनामा रजिस्ट्री पंजीकृत कराने हेतु भी कई बार तकाजा किया, किन्तु प्रतिवादी संख्या–1 के पुत्रो ने प्रतिवादी को उत्तरकाशी लाकर और प्रतिवादी के शारीरिक व मानसिक तौर से बयनामा रजिस्ट्री पंजीकृत कराने के लिए अशक्त होने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या–2 के पक्ष में बयनामा पंजीकृत करा दिया, जो सरासर गलत और गैर कानूनी है। प्रतिवादी संख्या–1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या–2 के पक्ष में दावी खेतो का जो बयनामा पंजीकृत किया गया है वह प्रारम्भ से ही (Ab Initio) से ही अकृत, शून्य और निष्प्रभावी है, क्योंकि प्रश्नगत बयनामा मात्र कागजी कार्यवाही तक ही सीमित है। वादी दावी भूमि पर काबिज है और वादी और उसके परिजनों द्वारा दावी भूमि पर उगाये गये सेब के पेड़ आज भी मौके पर मौजूद है। बिना कब्जे के हस्तान्तरण के प्रश्नगत बयनामा विधिमान्य नहीं है। वादी ने कानूनी नोटिस दिनांक 03.04.2015 के माध्यम से प्रतिवादी संख्या–2 को दावी खेतो से संबंधित सभी तथ्यों से अवगत करा दिया था, किन्तु इसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या–1 व 2 की ओर से अपनी गलती को नहीं स्वीकारा गया और मामले को लीपा–पोती करने की कोशिश करते हुये दबाने का प्रयास किया, जिस कारण से वादी को न्यायालय श्रीमान की शरण लेकर प्रतिवादीगणो के विरूद्व कार्यवाही करते हुये दावी भूमि को अपने नाम संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर की हैसियत से इन्द्राज करवाने के लिए यह वाद प्रस्तुत करने के अलावा कोई अन्य विकल्प शेष नहीं है। वादी ने मुखवा पट्टी टकनौर के फसली वर्ष 1422 से 1427 के खाता संख्या–00049 में दर्ज खसरा संख्या–1435 रक्वा 0.034 हे0 व 1436 रक्वा 0.015 हे0 भूमि का भूमिधर घोषित करते हुये तदनुसार माल अभिलेखों में वादी के नाम इन्द्राजी की घोषणात्मक डिक्री करने एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 के विरूद्व पारित करने का अनुतोष मांगा है। वाद पत्र के साथ ग्राम मुखवा पट्टी टकनौर तहसील भटवाडी जिला उत्तरकाशी के फसली वर्ष 1422 से 1427 के खाता खतौनी संख्या–00049, लिखत 28 जेष्ट 2008, 13.11.1993, नोटिस प्रतिवादी संख्या–2 मय प्राप्ति दिनांक 23.02.2015, नकल बयनामा दिनांक 10.03.2015, प्रार्थना पत्र वादी 30.03.2015, केबियट प्रार्थना पत्र 30.03.2015, स्थलीय निरीक्षण आख्या राजस्व उप निरीक्षक मुखवा दिनांक 13.04.2015 की प्रमाणित छायाप्रति, नोटिस धारा–80 सी0पी0सी0 दिनांक 03.04.2015 की छायाप्रति मय डाक प्रेषण रसीद सहित संलग्न कर प्रस्तुत किये गये है।

वाद दर्ज कर पक्षकारों को समन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या–2 ने अपना जबावदावा प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 के नाम की इन्द्राजी का सत्यापन करवाने के पश्चात ही दावी सम्पत्ति को मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अध्याप्त कर बयनामा पंजीकरण के माध्यम से क्रय किया गया जो विधिनुसार पूर्णतः सही व मान्य है। यदि यह मान भी लिया जाय कि वादी का तथाकथित कोई कब्जा प्रश्नगत सम्पत्ति पर कभी रहा भी होगा तो दावी सम्पत्ति का बैनामा पंजीकरण प्रतिवादी/जबावदेह विभाग के नाम दर्ज होने के पश्चात अब वादी द्वारा उक्त वादी ज0वि0अधि0 के तहत योजित करने का विधि अनुसार कोई भी औचित्य नहीं है। वादी को चाहिये था कि व प्रश्नगत सम्पत्ति के बैनामा पंजीकरण को निरस्त करवाने हेतु यदि वह चाहे तो सिविल न्यायालय में वाद दायर करता। प्रतिवादी

सत्यप्रतिलिपि

229 (B)

2 Of 189

परगना मजिस्ट्रेट/उपजिलामजिस्ट्रेट भटवाड़ी उत्तरकाशी

संख्या–3 उत्तराखण्ड सरकार की ओर से जबावदावा प्रस्तुत किया गया कि वादी ने प्रतिवादी की मिली भगत से कब्जा मुखालपाना की आड़ में स्टाम्प ड्यूटी से बचने की नियत से वाद योजित किया है। वादी का कब्जा अभिलेखों में दर्ज नहीं है वाद कूटसंधि है, और खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी संख्या–4 की ओर से बावजूद समन तामीली के कोई न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। दौराने सुनवाई प्रतिवादी संख्या–1 की मृत्यु हो गयी, जिसके फलस्वरूप उनके उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाया गया। मूल प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा जबावदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। संशोधित प्रतिवादी संख्या–1/1, 1/2, 1/3 द्वारा जबावदावा प्रस्तुत किया गया कि उनके पिता दावी खसरा नम्बर 1435 व 1436 के मालिक भूमिधर थे। उनके द्वारा दावी खसरा नम्बर प्रतिवादी संख्या–2 को दिनांक 10.03.2015 में बयनामा कर दिया था, और कब्जा हस्तान्तरण भी कर दिया था। मृतक जयन्ती प्रसाद को बयनामा करने का कानूनन हक हासिल था। वादीगण का कब्जा दावी खेत पर 1947 से अभिलेखों में दर्ज नहीं है। दावे के साथ प्रस्तुत लिखित पजीकृत नहीं है। दावी खेतो की जो रजिस्ट्री की गई है वह अभी तक प्रभावी है। वादी द्वारा दौराने सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 229 (डी0) प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के जबाव में संशोधित प्रतिवादी संख्या–1/1, 1/2, 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। बाद सुनवाई के वादी के प्रार्थना पत्र 229 (डी0) को स्वीकार किया गया।

वाद पत्र एंव प्रतिवाद पत्र के आधार पर वाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित वाद बिन्दु नियत किये गयेः–

1– क्या वादीगण दावी भूमि पर पुस्तैनी रूप से निरन्तर व स्वतंत्र काबिज काश्त चले आ रहे है ? यदि हॉ तो वाद पर प्रभाव ?

2– क्या वादीगण के पति/पिता से प्रतिवादी संख्या–1,/1/2, 1/3 के पिता/पति द्वारा मु0 3200.00 की कीमत प्राप्त कर दिनांक 13.11.1993 में हुई लिख द्वारा अपना स्वत्व हित व अधिकार हस्तान्तरित कर चुके थे, और उक्त दावी भूमि आज वादीगण के फलदार सेब के बगीचे से आबाद है, यदि हॉ तो वाद पर प्रभाव ?

3– क्या वादीगण दशकों पूर्व से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर घोषित हो चुके है, यदि हा तो वाद पर प्रभाव ?

4– क्या वादीगणों के द्वारा प्रतिवादीगणों से मिलकर कर स्टाम्प ड्यूटी से बचने की नीयत वाद दायर किया है ? यदि हॉ तो वाद पर प्रभाव ?

5– वादीगण किस अनुतोश को प्राप्त करने के अधिकारी है ?

वादीगणों ने अपने वाद के समर्थन में पी0डब्लू0–1 उमारमण सेमवाल पुत्र भोलादत्त, निवासी मुखवा पी0डब्लू0–2 सन्तोष सेमवाल पुत्र दामोदर प्रसाद सेमवाल ग्राम मुखवा पी0डब्लू–3 कल्याणसिंह पोखरियाल पुत्र स्व0 मोलासिंह तत्कालीन राजस्व निरीक्षक मुखवा, पी0डब्लू0–4–श्री प्रेम नारायण सेमवाल पुत्र पुरूषोत्तम दत्त, मुखवा तथा पी0डब्लू0–5–विनोद कुमार पुत्र श्री दलीप सिंह ग्राम सैंज शिमला के बयान परिक्षित करवाये गये। प्रतिवादी संख्या–2 एवं संशोधित प्रतिवादी संख्या–1/1, 1/2, 1/3 जबावदावा प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये, जिसके फलस्वरूप उनके बिरूद्ध दिनांक 07.08.19 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

पी0डब्लू0–1 वादी श्री उमारमन सेमवाल ने अपने बयानों कहा कि ग्राम मुखवा के दारत्या नामे तोक में वादी के पुस्तैनी थली दारतिया नामक जमीन है जिसके अन्तर्गत खेत नम्बर 1435 व 1436 मौके मुयाने पर राजस्व उप निरीक्षक मुखवा व राजस्व निरीक्षक मुखवा ने होना बताया

सत्यप्रतिलिपि
परगना मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट भटवाड़ी उत्तरकाशी
229 (B)

3 Of 189

है। यह खेत नम्बर खतौनी खाता संख्या–00049 में जयन्ती प्रसाद के नाम दर्ज होना बताया। उक्त भूमि के संबंध में दिनांक 13.11.1993 को वादी के पिता स्व0 भोलादत्त ने मु0 3200.00 रूपये की धनराशी जयन्ती प्रसाद को देकर उनके समस्त स्वत्व हित व अधिकारों को स्वयं के पक्ष में घरेलू लिखत के आधार पर हस्तान्तरण कर दिया था। तत्पश्चात उक्त भूमि पर सेब का बगीचा लगवाया जो आज की तिथि तक भी वादी के स्वंतत्र काबिज काश्त की भूमि है। वादीगण के कब्जे एवं बागीचे के संबंधित कागज पत्राक 602 दिनांक 11.03.2016 व पत्रांक संख्या–653 दिनांक 17.03.2016 वाद पत्रावली में सम्मिलित है। दाखिला निरस्त का भी आदेश संलग्न है। वादी आज की गवाही के साथ सिविल न्यायालय सी0डी0 के वाद संख्या–65/2017 में राजस्व निरीक्षक के बयान जिरह एवं लिखत के गवाह महेशानन्द के बयान व जिरह एवं प्रेमनारायण के बयान व जिरह के दस्तावेज साक्ष्य के रूप में न्यायालय में पेश कर रहा है।

<u>पी0डब्लू–2</u> गवाह श्री सन्तोष सेमवाल ने अपने बयाना में कहा कि मैने ग्राम मुखवा के दारतिया नामे तोक पर थली दारतिया तोक/जमीन पर भोलादत्त पुत्र पुरूषोत्तम दत्त व उनके पत्नी श्रीमती बसन्ती देवी का आजीवन स्वंतत्र काबिज कास्त देखा है। विगत 24–25 वर्ष पूर्व उनके सेब का बगिचा लगाते देख है तथा आज तक परवरिश करते देखा है। मुझे राजस्व कर्मियो के मौके मुआयने के दिन पता चला कि इस खेत का खसरा नम्बर 1435 व 1436 है जिसका मुझे रक्वा पता नहीं है। यह खेत जयन्ती प्रसाद के नाम अंकित बताये गये है किन्तु मैने उक्त व्यक्ति एवं उसके परिजनो को कभी भी कास्त करते हुये नहीं देखा है।

<u>पी0डब्लू0–3</u> गवाह तत्कालीन राजस्व निरीक्षक श्री कल्याणसिंह पोखरियाल ने अपने बयानो में कहा कि तहसीलदार भटवाड़ी के कार्यालय से दिनांक 13.04.2015 को राजस्व उप निरीक्षक मुखवा की जांच रिपोर्ट परीक्षण हेतु मुझे दी गई और दिनांक 14.04.2015 को जांच हेतु मौके पर ग्राम मुखवा गया। मेरे साथ मौके पर सुनील चमोली राजस्व उप निरीक्षक मुखवा एवं आस पास के कास्तकार उपस्थित थे। मौके पर स्थिति के अनुसार दिनांक 14.04.2015 की जांच रिपोर्ट मेरे द्वारा वाद पत्राली पर संलग्न कागज संख्या अ–4/11 व अ 4/12 जो कि राजस्व उप निरीक्षक की रिपोर्ट है के पृष्ठ भाग पर मेरी जांच आख्या हे जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। राजस्व उपनिरीक्षक की रिपोर्ट पर किये गये हस्ताक्षर की मैं पहचान करता हूँ। उक्त राजस्व उप निरीक्षक मेरे अधीन सेवारत था। स्व0 भोलादत्त सेमवाल के प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम मुखवा के खेत नम्बर 1435 व 1436 कुल रक्वा 0.049 हे0 भूमि का मौका मुआयना किया गया तो आस पास के कास्तकारों द्वारा बताया गया कि उक्त खसरा नम्बर पर स्व0 भोलादत्त का पुस्तैनी व स्वंतत्र कब्जा कास्त है, जिस पर उनका फलदार सेव का बागिचा है और मौके पर यह पता चला कि दिनांक 13.11.93 के पंचायतनामा लिखत के माध्यम से स्व0 भोलादत्त ने मु0 3200.00 की धनराशि लेकर स्व0 जयन्ती प्रसाद से उनका समस्त स्वत्व व हित का हस्तान्तरण अपने पक्ष में कर लिया था। मेरी विस्तृत आख्या वाद पत्रावली में कागज संख्या–अ–4/11 व 4/12 शामिल है। उक्त खेत नम्बरों के बावत मेरी गवाही सिविल न्यायालय सी0डी0 उत्तरकाशी के व्यवहार वाद संख्या–65/17 में हो चुकी है जिसमें शासकीय अधिवक्ता द्वारा मेरे बयानो पर प्रतिप्ररिक्षा शून्य घोषित की गई।

<u>पी0डब्लू0–4</u> गवाह श्री प्रेमनारायण सेमवाल ने अपने बयाना में कहा कि मैं ग्राम मुखवा के दारतिया नामे तोक का करस्तकार हूँ। मेरा खेत खसरा नम्बर 1447 है, अन्य भी खेत है जिन पर मैने सेब का बगीचा लगा रखा है। मैने खेत नम्बर 1435 व 1436 पर आजीवन भोलादत्त सेमवाल को पुस्तैनी काबिज कास्त देखा है। मैने भोलादत्त व उसकी पत्नी को 23–24 वर्ष पहले सेब का बागिचा लगाते हुये देखा है जो वर्तमान में फलदार है, जिस पर बसन्ती देवी आज दिन तक काबिज काश्त है। इन खेत नम्बरों के संबंध में मेरी गवाही सिविल न्यायालय

सत्यप्रतिलिपि

229 (B)

वाचक
परगना मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट
भटवाड़ी उत्तरकाशी

4 Of 189

बसन्ती

उत्तरकाशी में हो चुकी है। मेरे साथ पडोसी काश्तकार मायाप्रसाद की व लिखत दिनांक 13.11.93 के लिखतकर्ता महेशानन्द ग्राम भटवाडी की गवाही भी हो चुकी है। मैं वाद पत्रावली में संलग्न दोनो गवाहो के हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। भोलादत्त व जयन्ती प्रसाद की मध्य हुई लिख दिनांक 13.11.93 का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। मैं बसन्ती देवी की पुस्तैनी रूप से आज तक वर्णित खेत नम्बरानो पर स्वंतत्र काबिज कास्त व उनके फलदार सेब के बगीचे लगाने देखभाल करने का प्रत्यक्षदर्शी हॅ।

पी0डब्लू0–5 गवाह श्री विनोद कुमार ने अपने बयाना में कहा कि खेत नम्बर 1435 व 1436 ग्राम मुखवा के दारतिया नाम तोक पर जो है उस पर मैने विगत 15–16 वर्ष से लगातार स्व0 भोलादत्त सेमवाल के ठेकेदार के रूप में उन खेतो पर उगे सेब के पेड़ो की कंटिग व दवाईया का कार्य किया है।इस वर्ष भी मैं श्रीमती बसन्ती देवी के ठेकेदार के रूप में कार्य कर चुका हूँ। और मुझे प्रतिवर्ष मजदूरी मिलती रहती है। मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि वर्णित खसरा नम्बरों पर श्री भोलादत्त सेमवाल का स्वतंत्र काबिज कास्त सेब का बगीचा है।

मैंने पत्रावली का गहन अध्ययन किया। वादी के विद्वान अधिवक्ता की लिखित बहस का अवलोकन किया तथा जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) की मौखिक बहस सुनी, जिसके आधार पर नियत वाद बिन्दुओं का निस्तारण इस प्रकार से किया जाता हैः–

वाद बिन्दु सख्या–1– वादी साक्ष्य, गवाहों द्वारा अपने बयानो में कहा गया है कि दावी खसरा नम्बरों पर वादीगण का 24–25 वर्ष पूर्व का सेब का बागीचा स्थित है जिसमें फलदार वृक्ष स्थित है। उनके द्वारा दावी भूमि पर वादीगण का कब्जा देखा है, प्रतिवादी संख्या–1 का कभी कोई कब्जा नहीं देखा है। राजस्व निरीक्षक भटवाडी/उप निरीक्षक मुखवा ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि दावी भूमि पर वादी भोलादत्त का सेब का बगीचा स्थित है जिस पर वे 24–25 वर्षो से काबिज काश्त है तथा आस पास के कास्तकारों द्वारा निरीक्षण के समय दावी भूमि पर वादी का पुस्तैनी कब्जा होना बताया गया है। प्रतिवादीगण 1 व 2 द्वारा जबावदावे के अतिरिक्त कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि दावी भूमि पर वादीगण का पुस्तैनी कब्जा काश्त न हो। गवाहो के बयान एवं राजस्व निरीक्षक की भौतिक सत्यापन आख्या से दावी भूमि पर वादीगण का पुस्तैनी कब्जा काश्त सिद्व है। अतः वाद बिन्दु संख्या–1 वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या–2– वादी साक्ष्य, गावाहो द्वारा अपने बयानों में दावी भूमि पर वादीगण का पुस्तैनी कब्जा होना बताया गया है, तथा दावी भूमि को वाद के मूल वादी द्वारा दिनांक 13.11.1993 में प्रतिवादी संख्या–1 से 3200.00 में क्रय किया जाना स्वीकार किया है। पी0डब्लू0–4 द्वारा अपने बयानों में कहा कि वे लिखत के प्रत्यक्षदर्शी है। उनके द्वारा भी अपने बयानो में लिखत होना स्वीकार किया गया है। सभी गवाहों ने अपने बयानो में तथा स्थल निरीक्षण आख्या में दावी भूमि पर वादी का 24–25 वर्ष पुराना कब्जा होना बताया है, जिससे सिद्व है कि दावी भूमि पर वादीगण का पुस्तैनी कब्जा काश्त है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या–602 दिनांक 11.03.2016 में भी उल्लिखित है कि दावी खसरा नम्बर 1435 एवं 1436 पर वादीगण का पुस्तैनी कब्जा है, और उस पर उनका बगीचा स्थित है। अतः वाद बिन्दु संख्या–2 वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या–3– वादी साक्ष्य, राजस्व कर्मियों की स्थल निरीक्षण आख्या, से सिद्व है कि दावी भूमि पर वादीगण का पुस्तैनी शान्तिपूर्ण कब्जा कास्त चला आ रहा है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादीगण को भूमिधर अधिकार प्राप्त है। अतः वाद बिन्दु संख्या–3 वादीगण के पक्ष निर्णित किया जाता है।

सत्यप्रतिलिपि

229 (B)

परगना मजिस्ट्रेट/उपजिला मजिस्ट्रेट
भटवाड़ी उत्तरकाशी

5 Of 189

बसन्ती

वाद बिन्दु संख्या–4–प्रतिवादी संख्या 3 सरकार उत्तराखण्ड के द्वारा अपने जबाबदावे में उल्लेख किया है कि वादी ने प्रतिवादीगणों से मिलीभगत कर कब्जा मुखालपना की आड़ में स्टाम्प ड्यूटी से बचने के नीयत से वाद योजित किया है वाद कूटसंधि है, किन्तु इसकी पुष्टि में कोई लिखित एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे वाद बिन्दु संख्या–6 वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या–3– वादी एवं गवाहों के बयानो से दावी भूमि पर वादीगण का 12 वर्षो से अधिक समय से निरन्तर कब्जा काश्त सिद्व है। ज0वि0अधिनियम 1950 के प्राविधानों के अनुसार दावी भूमि पर वादी को भूमिधरी अधिकार प्राप्त हो गये है। अतः वाद सिद्व होने से वादी के पक्ष में डिक्री किया जाने योग्य है।

–:: आदेश ::–

वादी का वाद डिक्री किया जाता है। मौजा मुखवा पट्टी टकनौर तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी के फसली वर्ष 1422 से 1427 के खाता खतौनी संख्या–00049 में दर्ज खसरा नम्बर 1435 रक्वा 0.034 हे. तथा 1436 रक्वा 0.015 हे0 भूमि प्रतिवादी संख्या–1/1–श्री मुकेश सेमवाल, 1/2–श्री सुधाशू सेमवाल पुत्रगण स्व0 जयन्ती प्रसाद 1/3–श्रीमती राजेश्वरी देवी पत्नी स्व0 जयन्ती प्रसाद ग्राम मुखवा पट्टी टकनौर तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी के नाम से पृथक कर वादीगण 1/1– श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी स्व0 भोलादत्त, 1/2– श्री उमारमण, 1/3– श्री रमारमण , 1/4–वैकटरमण, पुत्रगण स्व0 भोलादत्त निवासी ग्राम मुखवा, पट्टी टकनोर तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी के नाम बतौर भूमिधर दर्ज हो।

(डी0एस0नेगी)
असिस्टेन्ट कलक्टर
भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी ।

उक्त निर्णय/आदेश आज दिनांक 14–07–2020 को खुले न्यायालय में स्वहस्ताक्षरित व न्यायालय की मुद्रा लगाकर उद्घोषित ।

असिस्टेन्ट कलक्टर,
भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी

सत्यप्रतिलिपि

परगना मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट
भटवाड़ी उत्तरकाशी
10-09-2020

229 (B)

6 Of 189

Annexure No. RJ 04 : Land Record/ Khatooni- 00105, Which clears Applicants as Bhoomidhar/owner of that land

BHULEKH
Uttarakhand

खाता विवरण

ग्राम का नाम : मुखवा परगना : (भटवाड़ी) तहसील : भटवाड़ी जनपद : उत्तरकाशी फसली वर्ष : 1428-1433 भाग : 1 खाता संख्या : 00105

1 / 2 / 3	4	5	6	7-12 / 13	
खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	मौमिक अधिकार का वर्ष	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरो के अधिकारमे हो मुकेश / जयन्ती प्रसाद / मुखवा सुधान्शु / जयन्ती प्रसाद / मुखवा राजेश्वरी देवी / जयन्ती प्रसाद / मुखवा किशन सिंह / बोत सिंह सहखातेदार 1 / मुखवा	1386फस्ल	220	0.0260	टिप्पणी-1ख0सं03906/0.019,3907/0.031 कुल 0.050 है0 भूमि विक्रेता जयन्तिप्रसाद पु0 महेशानन्द के अंश से किशनसिंह पु0 जोत सिंह सा0 मुखवा के नाम मु0अ0न्या0अति0कलेक्टर भटवाड़ी के आदेश वाद संख्या 46/2014-15 दि0 14.07.2020 अर्न्तगत धारा 229 (बी) ज0वि0अधि0 एवं भूमि व्य0अधि0 1950 के अनुसार ख0सं0 1435/0.034, 1436/0.015, कुल रकबा 0.049है0 भूमि प्रतिवादीगण मुकेश, सुधान्शु पुत्रगण जयन्ती प्रसाद, श्रीमती राजेश्वरी पत्नी जयन्ती प्रसाद के नाम से पृथक कर वादीगण श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी भोलादत्त व उमारमण, रमारमण, वैंकटरमण पुत्रगण भोलादत्त के नाम बतौर भूमिधर मे दर्ज किया, ह0/र0का0भ0 दि0 23.09.2020	मु0अ0वि0 पं0नै0बैंक हर्षिल दि 13.01.17 के अनुसार खातेदार किशन सिंह पु0 जोत सिंह ने अपने अंश की भूमि को मु0 3.00 रू0 कृषि ऋण मे बैंक के नाम बन्धक रखा है उक्त भूमि पर बैंक का प्रभार अंकित किया, ह0/स0र0का0भ0
		671	0.0650		
		932	0.0400		
		949	0.0030		
		981	0.0230		
		1029	0.0210		
		1031	0.0450		
		1087	0.0230		
		1092	0.0540		
		1148	0.0300		
		1223	0.0130		
		1225	0.0180		
		1258	0.0230		
		1366	0.0280		

Digital India

public/public_ror/public_ror_report.jsp

बसन्ती

सेवा में
तहसीलदार महोदय भटवाड़ी
जिला- उत्तरकाशी

महोदय, आपके हस्ताक्षरित आदेश दिनांक 13/4/1... क्रम में प्रार्थी भोलादत्त सेमवाल s/o पुरुषोत्तम... जनपद उत्तरकाशी मुखबा तहसील- भटवाड़ी जिला- उत्तरकाशी... मुखबा तहसील- भटवाड़ी (2) जयन्तीप्रसाद... छिपकलीगढ़ उ० अ० लो० नि० वि० भटवाड़ी निवासी ग्राम- मुखबा के विरुद्ध सेमवाल s/o महेशानन्द निवासी ग्राम- मुखबा के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र तथा राजस्व उपनिरीक्षक मुखबा की जांच का परीक्षण मौके पर नक्शा, व अभिलेखों की जांच का परीक्षण मौके पर जांच आख्या एवं मौका गवाही गवाहनों के आधार पर जांच आख्या इस प्रकार है:-

ग्राम मुखबा के खसरा सं० 1435 रकबा 0.034, 1436 रकबा 0.015 तथा खसरा सं० 1440 रकबा 0.028 पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है, सेब के फलदार पेड़ लगा रखे हैं, खसरा सं० 1440 प्रार्थी की पैतृक भूमि है, जो खतौनी खाता सं० 00076 में सहखातेदारों के साथ विरासतन भूमिधरी में दर्ज है, एवं खसरा सं० 1435, 1436 खतौनी खाता सं० 00049 में जयन्तीप्रसाद s/o महेशानन्द के नाम पर भूमिधरी में दर्ज है, मौके पर उपस्थित उक्त वर्णित खसरा नम्बरानों के आस-पास मौका काबिज काश्तकारसर्व श्री मदनचन्द सेमवाल s/o भैरवानन्द, मोहनलाल सेमवाल s/o केदारदत्त, रमेशचन्द s/o रामचन्द्र सेमवाल, चक्रधरप्रसाद सेमवाल s/o श्रीधरप्रसाद ने बताया कि दरख्वास्त नाम तोक के जयन्तीप्रसाद s/o महेशानन्द के खसरा नम्बर 1435, 1436 प्रार्थी भोलादत्त सेमवाल s/o पुरुषोत्तमदत्त के कब्जे काश्त में बन्दोबस्त से पूर्व से है, और प्रार्थी ने स्वयं बताया की जब मुझे यह पता चला कि दो खेत दरख्वास्त तोक के मेरे कब्जे काश्त के जयन्तीप्रसाद सेमवाल के नाम की है, तो दिनांक 13/11/93 को महालक्ष्मी पूजन पर्व पर गंगोत्री धाम में महेशानन्द रतूड़ी निवासी भटवाड़ी के हस्तलेख से गवाहान श्री पूर्णानन्द सेमवाल, 2- मनोजकुमार सेमवाल मारकण्डे, के समक्ष खसरा नम्बर 1435, 1436 की विक्रयनामा चर्ल लहरीर से जयन्तीप्रसाद सेमवाल ने अपने हस्ताक्षर कर दिये और रु० 3200=0 (तीन हजार दो सौ) भी प्राप्त किये थे, और निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त प्रार्थी का चला आ रहा है।

यह कि प्रार्थी व मौके पर उपस्थित उक्त वर्णित व्यक्तियों ने बताया कि (मुखबा)- जांगला मोटर मार्ग के प्रस्तावित निर्माण में खसरा सं० 1435, 1436 का मुआवजा जयन्तीप्रसाद s/o महेशानन्द नि० मुखबा ने आदि भागी... प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि० भटवाड़ी के नाम पर प्राधिकार की धनराशि स्वयं ली है, जबकि

संलग्न दाखिल पत्र
23-11-15
राजस्व उपनिरीक्षक
भटवाड़ी (उत्तरकाशी)

संलग्न दाखिल पत्र
02-09-16
राजस्व उपनिरीक्षक
भटवाड़ी (उत्तरकाशी)

भारत INDIA
दो रुपये TWO RUPEES
FOR COPYING

बसन्ती

दिनांक 13/11/93 को ह0 3200 में प्रार्थी भोला...
गवाहनों के समक्ष आपसी परन्तु विक्रयनामा ...
इस सम्बन्ध में दिनांक 23-02-15 को प्रार्थी ने ...
प्रतीम स्वरूप लो0नि0वि0 भरवाड़ी को आपनी प्रार्थना ...
लिख कर दिया है, ग्राम मुरबका के अधिकांश ...
ने बताया कि द्वारिल (मुरबका) जायचला मोटर मार्ग के
निर्माण में अन्य काश्तकारों की भूमि भी पड़ती है, लोक
जयन्तीप्रसाद ... अलावा विभाग ने मोटर मार्ग
निर्माण हेतु भूमि से आपसी सहमति से भूमि अध्यापन
नहीं किया है। विभाजित खसरा सं0 1435, 1436 की समन-
मा आपसी प्रार्थना पत्र के पश्चात वारना सन्देह का प्रतीक
प्रतीत जाहिर होता है जबकि विभाग को मौका काबिज
से भी सहमति ली जानी चाहिए, जो वैधानिक है, ताकि
मोटर मार्ग निर्माण में कोई बाधा न आये।

यह कि ग्राम मुरबका के खसरा नम्बर 1435, 1436,
तथा 1440 पर बाहर से कांटेदार तार लगाकर प्रार्थी ने फलदार
सेब के पेड़ लगाकर निर्विवाद रूप से कब्जा कायम चला आ
रहा, इसलिए उक्त वर्णित खसरा नम्बरों का अधावधिक
भौतिक मौका सत्यापन जाँच कराकर आवश्यक कार्य-
वाही हेतु सेवा में प्रेषित।

राजस्व निरीक्षक
भरवाड़ी
16/4/15

उपजिलाधिकारी
भरवाड़ी।

महोदय, RI भरवाड़ी की भूमि-भौतिक
सत्यापन आख्या सेवा में प्रेषित।

तहसीलदार
भरवाड़ी
17/4/15

उप जिलाधिकारी
भरवाड़ी (उत्तरकाशी)
22-4-15

सम्बन्धित ... प्रति
02-05-16
परगना मजिस्ट्रेट
भरवाड़ी (उत्तरकाशी)

क्र.4/11

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार महोदय
भटवाड़ी

महोदय,

संलग्न प्रार्थना पत्र श्री भोलादत्त सेमवाल पुत्र पुरुषोत्तम दत्त सेमवाल ग्राम - मुखबा

बनाम

विपक्षी गण - श्री अधिशासी अभियन्ता लो० नि० वि० भटवाड़ी उत्तरकाशी (2) श्री जयन्ती प्रसाद सेमवाल पुत्र स्व० [illegible] ग्राम - मुखबा प० [illegible] भटवाड़ी जिला - उत्तरकाशी के विरुद्ध ग्राम - मुखबा के खसरा संख्या 1435 व 1436 के प्रतिकर मु० रु० 3200 प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रार्थी ने वर्ष 1993 में घरेलू लिखित के आधार पर एक किता [illegible] मुखबा गंगोत्री मोटर मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है लेकिन विपक्षी जयन्ती प्रसाद सेमवाल ने वर्तमान समय में उपरोक्त खसरा नम्बर का प्रतिकर लो० नि० वि० के माध्यम से [illegible] प्रार्थी के [illegible] बताई गयी है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने शिकायत की है कि उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर को अनावासीय भौतिक स्थिति के सत्यापन के आदेश किया है,

अतः कि आपके आदेशानुसार खसरा नम्बर 1435, 1436 एवं 1440 के अनावासीय भौतिक सत्यापन उपरोक्त वर्णित मौके पर जाकर किया गया है इस सम्बन्ध में [illegible] उपरोक्त खसरा नम्बरों के आस पास मौके का [illegible] सर्वश्री [illegible] प्रसाद S/o [illegible] [illegible] सेमवाल S/o [illegible] सेमवाल [illegible] S/o [illegible] सेमवाल [illegible] S/o [illegible] सेमवाल [illegible] तथा ग्राम अन्य ग्राम वासियों से पूछताछ की गयी तो उक्त वर्णित खसरा नम्बर पर आस पास काबिज [illegible] बताया कि प्रार्थी भोलादत्त सेमवाल S/o पुरुषोत्तम दत्त का दिनांक 13-11-93 से कब्जा काबिज है। [illegible] विपक्षी [illegible] मु० रु० 13200 [illegible] क्योंकि उन्होंने विपक्षी [illegible]

सुनवाई हेतु प्रस्तुत
[signature]

राजस्व उ० नि०
[signature]
02-09-16

राजस्व निरीक्षक (उत्तरकाशी)

राजस्व उ० नि० भटवाड़ी
मौके पर परीक्षण कर स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करें
[signature]
तहसीलदार
13/4/15

P.T.O

मौके जांच आख्या प्रस्तुत है
[signature]

बेसर श्री

क्र-4/12

क्रय किया था, ग्रामीणों द्वारा उक्त ग्राम के खसरा नम्बर
पर खेत कर फसलें लगा रहे हैं क्योंकि खसरा नम्बर
1440 मूल अभिलेखों में ग्राम के नाम खसरा
के रूप में दर्ज है, तथा 1435, 1436 अभिलेखों में
विपक्षी [illegible] द्वारा [illegible] के नाम दर्ज
खतौनी में [illegible] के वर्ष 1993 में
[illegible] के आधार पर [illegible] किया है, ग्राम
के ग्रामवासियों के बताये अनुसार ग्रामीणों का उक्त
खसरा नम्बरों पर [illegible] कब्जा लगभग
40-50 वर्षों से कब्जा कायम है। मौके
[illegible] ग्राम - [illegible]
है उक्त खसरा नम्बर [illegible]
[illegible]
[illegible] के आने वाले खसरा व नम्बरों के [illegible]
[illegible] किसी भी [illegible] द्वारा खेती का [illegible]
नहीं लिया गया है उक्त [illegible]
स्पष्ट है कि विपक्षी [illegible]
खसरा नम्बर 1435, व 1436 का [illegible]
[illegible] है।

अतः खसरा नं० 1435, 1436 एवं 1440 का
अवैध [illegible] आख्या [illegible]
सेवा में प्रेषित।

[illegible]
13/4/15
[illegible]

[illegible]
रचना [illegible]
[illegible]

Annexure No. RJ 06 : Certified copy of documents from Civil Suit No. 65/2017 – Objection document, (pages from 32 G1 to 32 G2)

न्यायालय सिविल जज (सी० डि०) उत्तरकाशी,
दीवानी वाद सं० – 65/2017
बसन्ती देवी आदि — बनाम — अविनाश अकियन्ता आदि
नकल सत्यप्रतिलिपि आपत्ति का० सं० 32 ग²/1 संलग्न है।
लगायत 32 ग²/2

बसन्ती

केवल नकल फीस के लिये

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तिथि	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने कि सूचना की तिथि	नकल वापस देने की तिथि	नकल वापस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
06/02/25 ह: फरवरी सन दो हजार पच्चीस	06/02/25 ह: फरवरी सन दो हजार पच्चीस	06/02/25 ह: फरवरी सन दो हजार पच्चीस	[signature]

CANCELLED DATED ₹3
UTTARAKHAND COURT FEE
UKCT0943440L2422X
09-DEC-2024

CANCELLED DATED ₹3
UTTARAKHAND COURT FEE
UKCT0943423L2422X
09-DEC-2024

CANCELLED DATED ₹3
UTTARAKHAND COURT FEE
UKCT0943439L2422X
09-DEC-2024

CANCELLED DATED ₹1
UTTARAKHAND COURT FEE
UKCT3010420A2547L
30-JAN-2025

C.K. Chauhan
AA

बसन्ती

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) महोदय, उत्तरकाशी।

व्यवहार वाद सं0–65 / 2017

वादीगण– बसन्ती देवी आदि

बनाम

प्रतिवादीगण– अधिशासी अभियंता लो0नि0वि0 भटवाडी आदि।

:: आपत्ति::

महोदय,

वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आ0– 39, नि0– 01 व 02 सीपीसी के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या– 01 व 05 की ओर से निम्नवत् आपत्ति सेवा में प्रस्तुत है :–

1– यह कि वादीगण के प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या–01 जिस प्रकार वर्णित है, जानकारी न होने से स्वीकार नहीं है।

2– यह कि वादीगण के प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या–02 जिस प्रकार वर्णित है, जानकारी न होने से स्वीकार नहीं है।

3– यह कि वादीगण के प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या–03 मात्र इस सीमा तक स्वीकार है कि दावी सम्पति पर सेब के फलदार वृक्ष हैं, शेष वर्णित तथ्य जिस प्रकार वर्णित हैं, गलत होने से स्वीकार नहीं है।

4– यह कि वादीगण के प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या–04 जिस प्रकार वर्णित किया गया है, गलत, भ्रामक व असत्य कथनों पर आधारित होने से स्वीकार नहीं है। वास्तविक्ता यह है कि प्रतिवादीगण जबाबदेह विभाग द्वारा मात्र मोटर मार्ग में अध्याप्त होने वाली भूमि का प्रतिकर तैयार किया था और मार्ग निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त होने वाले फलदार सेब के वृक्षों का प्रतिकर बाद में बनाया जाना था। वास्तविक्ता यह है कि किसी भी प्रकार के भूमि अधिग्रहण या निर्माण कार्य में राजस्व विभाग की जांच व सर्वे अहम होता है और राजस्व विभाग की जांच व राजस्व अभिलेखों के आधार पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाती है, प्रश्नगत मामले में माल कागजात में दर्ज भूमिधर को ही प्रतिकर भुगतान किया गया। जिस कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मनमाना एवं किसी भी सूरत में प्रथमदृष्टया पोषणीय न होने से काबिल खारिज है।

5– यह कि वादीगण के प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या–05 प्रतिवादीगण जबाबदेह से सम्बन्धित न होने के कारण कोई टिप्पणी नहीं की जानी है।

6– यह कि वादीगण के प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या–06 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत, भ्रामक एवं मनगढंत तथ्यों पर आधारित होने से स्वीकार नहीं है। वास्तविक्ता यह है कि जब मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित एवं अध्याप्त प्रश्नगत खसरा नम्बरान– 1435 एवं 1636 से निर्माण कार्य करने में वादीगणों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया गया और उपरोक्त खसरा नम्बरान को अपने कब्जे काश्त का होना बताकर निर्माण कार्य नहीं करने दिया गया तब प्रतिवादी जबाबदेह के विभाग एवं

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) उत्तरकाशी। वाद संख्या– 65 /2017 बसन्ती देवी आदि बनाम अधि0 अभियन्ता लो0नि0वि0 भटवाडी आदि।

Mithilesh Jha
Civil Judge (S.D.)
Uttarkashi
21-12-17

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
भटवाड़ी (उत्तरकाशी)

32012/2

ग्राम प्रधान तथा सभी गांववासियों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विवादित उपरोक्त खसरा नम्बरान से सड़क निर्माण का समरेखण बदलकर अन्य खसरा नम्बरान से समरेखण कर मोटर मार्ग निर्माण किया जाय जिस पर विभाग द्वारा अन्य खसरा नम्बरान पर प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण किया गया और ऐसी दशा में श्री जयन्ती प्रसाद पुत्र महेशानन्द द्वारा प्राप्त किये गये विवादित खसरा नम्बरान के प्रतिकर को शीघ्र विभाग को वापस लौटाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

7– यह कि वादीगण के प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–07 के संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं की जानी है।

8– यह कि वादीगण के प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या–08 प्रतिवादीगण जबाबदेह से सम्बन्धित न होने से स्वीकार नहीं है। फिर भी जहां तक वादीगण के सेब के बागीचे का सवाल है तो प्रतिवादीगण जबाबदेह या उनके किसी भी विभागीय कर्मचारी अधिकारी, द्वारा वादीगण के सेब वृक्षों को न कोई क्षति पहुंचायी गयी है न ही ऐसा करने का कोई इरादा रखते है।

9– यह कि वादीगण के प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–09 में वर्णित तथ्यों का प्रत्युत्तर एवं वास्तविक्ता अब्बल ही जबाबदावा के पैरा संख्या–08 में उल्लिखित किया जा चुकी है।

10– यह कि वादीगण के प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या–10 गलत, मनमाना एवं भ्रामक तथ्यों पर आधारित होने से स्वीकार नहीं है। सुविधा का संतुलन किसी भी प्रकार से वादीगण के पक्ष में न होकर प्रतिवादीगण जबाबदेह के पक्ष में व वादीगण के विरूद्ध है, जहां तक वादीगण के सेब के बागीचे का सवाल है तो प्रतिवादीगण जबाबदेह या उनके किसी भी विभागीय कर्मचारी अधिकारी, द्वारा वादीगण के सेब वृक्षों को न कोई क्षति पहुंचायी गयी है न ही ऐसा करने का कोई इरादा रखते है। ऐसी दशा में वादीगणों के पक्ष में कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादीगण जबाबदेह को आम जनहित में उनके सरकारी दायित्व पूरा करने से निषिद्ध किया जाना किसी भी दशा में न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र किसी भी रूप से पोषणीय न होने से हर सूरत में निरस्त होने योग्य है।

अतः आपत्ति सेवा में पेश है।

दिनांक– 20-12-017

प्रतिवादी सं0–01, 05

20/12/017

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) उत्तरकाशी।
वाद संख्या– 65 / 2017
बसन्ती देवी आदि बनाम अधि0 अभियन्ता लो0नि0वि0 भटवाडी आदि।

PHOTO STAT TRUE COPY
HEAD COPYIST
COPYING DEPARTMENT
DIST. JUDGE COURT
UTTARKASHI

बसन्ती

Annexure No. RJ 07 : Certified copy of documents from Civil Suit No. 65/2017, –Defendants' Written Statement (Reply)

न्यायालय सिविल जज (सी० डि०) उत्तरकाशी,
दीवानी वाद सं०- 65/2017
बसन्ती देवी आदि -बनाम- अधिशासी अभियन्ता आदि
नकल सत्यप्रतिलिपि जवाबदावा संलग्न है।

केवल नकल फीस के लिये

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तिथि	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने कि सूचना की तिथि	नकल वापस देने की तिथि	नकल वापस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
06-02-25 ह: फरवरी सन दो हजार पच्चीस	06-02-25 ह: फरवरी सन दो हजार पच्चीस	06-02-25 ह: फरवरी सन दो हजार पच्चीस ह:02 06/02/25	[signature]

CANCELLED DATED
UTTARAKHAND COURT FEE
UKCT0943433L2422X
09-DEC-2024

CANCELLED DATED ₹3
UTTARAKHAND COURT FEE
UKCT0943431L2422X
09-DEC-2024

CANCELLED ₹30 DATED
UTTARAKHAND COURT FEE
UKCT0943432L2422X
09-DEC-2024

06/02/25 ₹1
UTTARAKHAND COURT FEE
UKCT3010410A2547L
30-JAN-2025

(K. Chauhan)

ct = 04
₹ 10.90

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) महोदय, उत्तरकाशी।

व्यवहार वाद सं0–65 / 2017

345/1

वादीगण– बसन्ती देवी आदि

बनाम

प्रतिवादीगण– अधिशासी अभियंता लो0नि0वि0 भटवाडी आदि।

:: जबाबदावा ::

महोदय,

उपरोक्त वाद में प्रतिवादी संख्या– 01 व 05 की ओर से निम्नवत् जबाबदावा सेवा में पेश किया जाता है :–

1– यह कि वादीगण के वाद पत्र का पैरा संख्या–01 जिस प्रकार वर्णित है, गलत, मनगढत व कपोल कल्पनाओं पर आधारित होने से स्वीकार नहीं है। वास्तविक्ता यह है कि प्रश्नगत खसरा संख्या– 1435 रक्बा 0.034 हेक्टेयर व खसरा संख्या– 1436 रक्बा 0.015 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादीगण संख्या– 02, 03 व 04 के नाम बतौर मालिक भूमिधर इन्द्राज थी, जिस कारण प्रश्नगत सम्पति के मालिक भूमिधर द्वारा प्रतिवादी जबाबदेह विभाग के नाम भूमि का बयनामा किया गया, जो कानूनन सही है।

2– यह कि वादीगण के वाद पत्र का पैरा संख्या–02 जिस प्रकार वर्णित है, जानकारी न होने से स्वीकार नहीं है।

3– यह कि वादीगण के वाद पत्र का पैरा संख्या–03 मात्र इस सीमा तक स्वीकार है कि दावी सम्पति पर सेब के फलदार वृक्ष हैं, शेष वर्णित तथ्यों की जानकारी न होने से स्वीकार नहीं है।

4– यह कि वादीगण के वाद पत्र का पैरा संख्या–04 प्रतिवादीगण जबाबदेह से सम्बन्धित न होने के कारण कोई टिप्पणी नहीं की जानी है।

5– यह कि वादीगण के वाद पत्र का पैरा संख्या–05 प्रतिवादीगण जबाबदेह से सम्बन्धित न होने के कारण कोई टिप्पणी नहीं की जानी है।

6– यह कि वादीगण के वाद पत्र का पैरा संख्या–06 जिस प्रकार वर्णित किया गया है, गलत, भ्रामक व असत्य कथनों पर आधारित होने से स्वीकार नहीं है। वास्तविक्ता यह है कि प्रतिवादीगण जबाबदेह विभाग द्वारा मात्र मोटर मार्ग में अध्याप्त होने वाली भूमि का प्रतिकर तैयार किया था और मार्ग निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त होने वाले फलदार सेब के वृक्षों का प्रतिकर बाद में बनाया जाना था। जहां तक विकयनामा दस्तावेजों में हस्ताक्षरों का प्रश्न है तो विकेता स्व0 जयन्ती प्रसाद द्वारा सब रजिस्ट्रार उत्तरकाशी के यहां पर विभाग के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत बयनामा के साथ–2 विभिन्न दस्तावेजों मे हस्ताक्षर है।

Sir, Received copy, 21/12

Mithilesh Jha
Civil Judge (S.D.)
Uttarkashi
21.12.17

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग

बसन्ती

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) उत्तरकाशी। वाद संख्या– 65 / 2017 बसन्ती देवी आदि बनाम अधि0 अभियन्ता लो0नि0वि0 भटवाडी आदि।

35 ज

15– यह कि वादीगण के वाद पत्र का पैरा संख्या– 15 गलत, असत्य एवं मनमानें तथ्यों पर आधारित होने से स्वीकार नहीं है। वादीगण को प्रतिवादीगण जबाबदेह के विरूद्ध कोई भी वाद कारण हासिल नहीं है तथा वादीगण का वाद प्रतिवादीगण जबाबदेह के विरूद्ध हर दशा में काबिल खारिजी के है।

16– यह कि वादीगण के वाद पत्र का पैरा संख्या–16 कानूनी होने से कोई टिप्पणी नहीं की जानी है।

17– यह कि वादीगण के वाद पत्र का पैरा संख्या– 17 कानूनी होने से कोई टिप्पणी नहीं की जानी है।

18– यह कि वादीगण के वाद पत्र का पैरा संख्या– 18 कानूनी होने से कोई टिप्पणी नहीं की जानी है।

19– यह कि वादीगण के वाद पत्र का पैरा संख्या– 19 गलत, आधारहीन एवं मनमानें तथ्यों पर आधारित होने से स्वीकार नहीं है। वादीगण प्रतिवादीगण जबाबदेह से किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं तथा उनका उक्त वाद प्रतिवादीगण जबाबदेह के पक्ष में हर सूरत में निरस्त होने योग्य है। वास्तविक्ता का उल्लेख उपर्युक्त प्रस्तरवार जबाबदावा में किया जा चुका है।

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) उत्तरकाशी। वाद संख्या– 05 / 2017 बसन्ती देवी आदि बनाम अधि० अभि०-प्रा० लो०नि०वि० भटवाड़ी आदि।

अतः जबाबदावा सेवा में पेश है। 20/12/017

दिनांक– 20-12-017

प्रतिवादी सं0–01, 05

अधिशासी अभियन्ता ... विभाग भटवाड़ी (उत्तरकाशी) 20/12/17

मैंके उपरोक्त प्रतिवादी सं0–01 राजेन्द्र सिहं खत्री अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खंड लो0नि0वि0 भटवाड़ी, जनपद उत्तरकाशी प्रमणित करता हूँ कि जबाबदावा के पैरा संख्या–01 से 19 तक वर्णित सभी तथ्य प्राप्त जानकारी, उपलब्ध अभिलेखों व कानूनी सलाह के आधार पर सही एवं सत्य है। अतः अपने हस्ताक्षर कर पुष्टि करता हूँ।

दिनांक– 20-12-017

प्रतिवादी सं0–01, 05

20/12/17
अधिशासी अभियन्ता ... खण्ड ... विभाग भटवाड़ी ...

PHOTO STAT TRUE COPY

HEAD COPYIST
COPYING DEPARTMENT
DISTT. JUDGE COURT
UTTARKASHI

बसन्ती

Annexure No. RJ 08 : RTI reply received from the Office of the Public Information Officer / Assistant Engineer, PWD,

कार्यालय सहायक अभियन्ता / लोक सूचना अधिकारी,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
Public Information Officer PROVI. DIVISION
P.W.D, BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135
E-Mail-eepwd bhatwari @ rediffmail.com

पत्रांक – 670 / लो0सू0अ0 — दिनांक 15/05/2025

सेवामें,

उमा रमन सेमवाल,
निकट जंगलात बैरियर,
वार्ड नं0–1 गंगोरी नगर पालिका परिषद,
बाड़ाहाट, उत्तरकाशी

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मॉगी गयी सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– पंजीकरण सं0–ENCUK/R/2025/80032 दि0 01/04/2025।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में आपके द्वारा मांगी गई सूचना का बिन्दुवार प्रति उत्तर निम्न प्रकार है :–

क0 सं0	मांगी गई सूचना	सूचना का उत्तर
1	वित्तीय वर्ष 2024–25 में ग्राम मुखवा, तहसील भटवाड़ी के दारत्या नामें तोक में पार्किंग स्थल से सम्बन्धित जो भी दस्तावेज तैयार किये गये है, (जैसे अमीन रिर्पोट, प्रतिकर शीट आदि) अथवा जो भी पत्राचार/प्रतिकर अनुमोदन हेतु दस्तावेज जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किये गए है,उनकी सत्यापित प्रतियां (सील–मोहर सहित) प्रदान की जाएं।	संलग्न है। (17 पृष्ठ)
2.	वित्तीय वर्ष 2024–25 में दारत्या नामक तोक में फलदार सेब के बगीचे काटने से सम्बन्धित यदि कोई लिखित आदेश जिला अधिकारी/सक्षम अधिकारी/सक्षम स्तर से निर्गत किया गया हो, तो उसकी सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायी जाऐ।	संलग्न है। (05 पृष्ठ)
3.	आपके कार्यालय पत्रांक 653/लो0सू0आ0 दिनांक 11.03.2016 की सत्यापित छाया प्रति उपलब्ध कराई जाए।	संलग्न है। (01 पृष्ठ)
4.	आपके कार्यालय पत्रांक–602/03 भू0अ0 दिनांक 11.03.2017की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायी जाऐ।	संलग्न है। (01 पृष्ठ)

यदि आप सूचना से सन्तुष्ट नही है तो अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकते हैं, जिनका पता निम्न प्रकार है :–

1. इं0 अन्दीप राणा, अपीलीय अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, भटवाड़ी, उत्तरकाशी।
2. दूरभाष नम्बर :– 7055570245

संलग्न :– उक्तानुसार

15/5/25

लोक सूचनाअधिकारी,
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0विभाग
भटवाड़ी।

प्रतिलिपि :– अपीलीय अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, भटवाड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

लोक सूचनाअधिकारी,
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0विभाग
भटवाड़ी।

(Letter No. 602/3/ Bhoo.A, dated 11.3.2016)

प्र-६ -7

(13)

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI DIVISION P.W.D.
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN 249135,

Phone & Fax- 01374 244321 E-Mail-eepwd bhatwari @ rediffmail.com

पत्रांक 602 / 3 भू0अ0

दिनांक 11/3/2016

श्री जयन्ती प्रसाद
पुत्र श्री महेशानन्द
ग्राम मुखवा पो0ओ0 हर्षिल
हाल निवास गंगोरी उत्तरकाशी।

विषय :- हर्षिल मुखवा जांगला मोटर मार्ग के प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपको सूचित करना है कि मार्ग के समरेखणानुसार खसरा नं0 1435 मध्य 0.018है0 एवं 1436 रक्बा 0.015है0 कुल 0.033है0 भूमि का प्रतिकर भुगतान आपके द्वारा दिनांक 10.3.2015 को प्राप्त कर विभाग के नाम रजिस्ट्री की गयी है। किन्तु उक्त खेतों पर श्री भोलादत्त पुत्र श्री पुरूषोत्तम दत्त ग्राम मुखवा द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम अवगत कराया गया है. उक्त खेतों पर 02 पीढियों से हमारा कब्जाकाश्त है जिस पर प्रार्थी का सेब के वृक्ष है तथा उक्त खसरा नम्बरानों से मार्ग निर्माण कार्य नहीं होने दिया गया, तत्पश्चात ग्राम प्रधान एवं ग्राम वासियों मुखवा द्वारा विभाग से अनुरोध किया गया कि उक्त खेतों को छोड़कर अन्य खेतों से मार्ग निर्माण किया जाय।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि खेत सं0 1435 एवं 1436 का प्रतिकर मु0 ??957.00 रू0 शीघ्र इस कार्यालय मे जमा कर दें। उक्त धनराशि आपके द्वारा जमा न करने पर ...क कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

11/3/16
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी।

प्रतिलिपि:- ग्राम प्रधान मुखवा हाल निवास गंगोरी को इस आशय से प्रेषित कि आपकी ग्राम सभा की सहमति के अनुसार मार्ग समरेखण उक्त खेतों से बदल दिया गया है, अतः श्री जयन्ती प्रसाद पुत्र श्री महेशानन्द से प्रतिकर की धनराशि विभाग को लौटाने हेतु सूचित करें।

प्रतिलिपि:- श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी स्व0 श्री भोलादत्त ग्राम मुखवा हाल निवास गंगोरी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी।

फोटो प्रति सत्यापित
14/6/20
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
भटवाड़ी

बसन्ती

(Letter No. 653/RTI/ Bhoo.A, dated 17.3.2016)

बि-5 -3

पंजीकृत

कार्यालय लोक सूचना अधिकारी,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE ASSISTANT ENGINEER PROVL. DIVISION P.W.D,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135
Phone & Fax- 01374-244321
E-Mail-eepwd bhatwari @ rediffmail.com

पत्रांक 653 /सू०अ०/370 दिनांक 17 /03/ 2016

सेवामे,

श्रीमती बसन्ती देवी,
पत्नी स्व0 श्री भोलादत्त सेमवाल,
ग्राम मुखवा हाल निवास ग्राम व पो0ओ0, गंगोरी,
निकट जंगलात बैरियर उत्तरकाशी।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत माँगी गयी सूचना के सम्बन्ध में।
सन्दर्भः– आपका अनुरोध पत्र दिनांक 26.2.2016

महोदया,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित अनुरोध पत्र द्वारा माँगी गई सूचना निम्नप्रकार हैः–

बिन्दु सं0 1:–हर्षिल मुखवा जांगला मोटर मार्ग के निर्माण के समरेखण में खसरा न0 1435 एवं 1436 राजस्व अभिलेखानुसार श्री जयन्ती प्रसाद पुत्र श्री महेशानन्द ग्राम मुखवा के नाम दर्ज है। मार्ग निरीक्षण के दौरान श्री भोलादत्त सेमवाल ग्राम मुखवा द्वारा आपत्ति की गयी थी, कि उक्त दोनो खसरा नम्बर विगत दो पीढी से उनके काश्त कब्जे में है, जिस पर उनके द्वारा फलदार वृक्ष लगाये गये है। उक्त दोनो खसरा नम्बरों पर विवाद होने के कारण ग्राम प्रधान मुखवा एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम मुखवा के द्वारा दिनांक 17.9.2015 को आहुत खुली बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार उक्त दोनो खसरा नम्बर वाले खेतों से समरेखण बदले की सहमति बनी।

बिन्दु सं0 2:– श्री जयन्ती प्रसाद पुत्र श्री महेशानन्द ग्राम मुखवा के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उक्त खसरा नम्बरानों पर फलदार वृक्षों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, मार्ग निरीक्षण के दौरान श्री भोलादत्त सेमवाल ग्राम मुखवा उपस्थित थे एवं उनके द्वारा खेतों पर बिगत दो पीढी से अपना कब्जा बताया गया है एवं खेतों में लगे फलदार वृक्षों को भी अपना बताया गया है, जिस कारण श्री जयन्ती प्रसाद पुत्र श्री महेशानन्द ग्राम मुखवा को इस कार्यालय के पत्र सं0 602/3भू0अ0 दिनांक 11.3.2016 के द्वारा उक्त खसरा नम्बरानों का प्रतिकर शीघ्र जमा करने हेतु लिखा गया है, जिस पर कार्यवाही गतिमान है।

बिन्दु सं0 3:– मौके पर मौजूद ग्राम प्रधान मुखवा एवं ग्रामवासिंयो द्वारा श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी स्व0 श्री भोलादत्त सेमवाल ग्राम मुखवा को उक्त खेतो पर काबिज होना बताया गया है, श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी स्व0 श्री भोलादत्त सेमवाल द्वारा उक्त खसरा नम्बरों मे मार्ग निर्माण नहीं करने दिया गया, जिसके फलस्वरूप ग्राम सभा की खुली बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार समरेखण परिवर्तित किया गया।

अतः सूचना सूचनार्थ प्रेषित।

यदि आप इस पत्र के माध्यम से प्रेषित सूचना से सन्तुष्ट नहीं है तो आप अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील दायर कर सकते है।

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
भटवाड़ी

लोक सूचना अधिकारी,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी 17/3/16

बसन्ती

Annexure No. RJ 09 : RTI Reply from the office of SDM Bhatwari – (Letter No. 894/PA-RTI/2025) (Revenue Inspector Report)

सूचना का अधिकार

पंजीकृत।

प्रारूप–10

अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र

कार्यालय- लोक सूचना अधिकारी/उप जिलाधिकारी भटवाड़ी, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या/ 894 /पी0ए0- सू.अधि./ 2025 दिनाँक 06 मई, 2025

प्रेषित,

श्रीमती बसंती देवी,
पत्नी स्व0 श्री भोला दत्त सेमवाल,
पता– ग्राम मुखवा, हाल निवासी– वार्ड न0 01,
गंगोरी, नगर पालिका परिषद्, बाड़ाहाट,
जनपद उत्तरकाशी।

कृपया अपने सूचना अनुरोध पत्र दिनांक 03.05.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो इस कार्यालय अनुभाग में दिनांक 03.05.2025 को प्राप्त हुआ है। उक्त सूचना अनुरोध पत्र में चाही गयी वांछित सूचना सत्यापित कर 06 पृष्ठों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया पावती स्वीकार करने का कष्ट करें।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि आप संतुष्ट न हो तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील प्राधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम व पता
श्री पी0एल0 शाह,
अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

(शालिनी नेगी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप जिलाधिकारी,भटवाड़ी।

लोक सूचना अधिकारी
/उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी

बसन्ती

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी, उत्तरकाशी।

संख्या/ 883 /पी0ए0-एस0डी0एम0/2025 दिनांक 03 मई, 2025

अधिशासी अभियन्ता,
प्रा0ख0, लोक निर्माण विभाग,
भटवाड़ी, उत्तरकाशी।

विषयः- **दारत्या नामे तोक में पार्किंग के दौरान प्रार्थिनी की काटी गयी भूमि व फलदार वृक्षों की जानकारी एवं जांच विषयक।**

कृपया उपर्युक्त विषयक संलग्न प्रार्थना पत्र बंसती देवी पत्नी स्व0 श्री भोलादत्त सेमवाल ग्राम मुखवा तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी के प्रार्थना पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार, भटवाड़ी से जांच करायी गयी। प्राप्त जांच आख्या निम्नवत है:-

01- यह कि मौजा मुखवा के दारत्या नामे तोक में भू-अभिलेखो के आधार पर स्थलीय निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि ग्राम मुखवा के खाता संख्या 105 में खसरा नं0 1435 रक्वा 0.034 हे0 व खसरा नं0 1436 रक्वा 0.015 हे0 भूमि दिनांक 14.07.2020 में धारा 229 बी0 के अन्तर्गत प्रार्थिनी बसंती देवी एवं उनके पुत्रों के नाम भूमिधरी में दर्ज अभिलेख है।

02- खसरा नं0 1436 के सम्पूर्ण भाग में पार्किंग व रोड बनी है तथा खसरा नं0 1435 का 0. 013 हे0 भूमि जो वर्तमान में पार्किंग हेतु काटी गयी है जिस पर सेब का बगीचा था तथा खसरा नं0 1438 जो हिमांचल प्रसाद पुत्र श्री जीवानन्द आदि के नाम दर्ज है जिस पर प्रार्थिनी का कब्जा होना बताया गया है। खसरा नं0 1435 व 1438 पर सेब के पेड़ स्थित थे पी0डब्लू0डी0 द्वारा खसरा नं0 1438 में 03 पेड़ सेब के व खसरा नं0 1435 में 07 पेड़ फलदार स्थल निरीक्षण के दौरान बताये गये है। जबकि प्रार्थिनी का कथन है कि इस पर करीब 35-40 सेब के फलदार वृक्ष थे, इस सम्बंध में प्रार्थिनी को पी0डब्लू0डी के माध्यम से स्पष्ट जांच करवायी जानी उचित होगी।

03- 1437 रक्वा 0.013 हे0 भूमि रमेशचन्द्र पुत्र श्री रामचन्द्र के नाम बतौर भूमि दर्ज है, जिस पर पार्किंग व मोटर रोड़ स्थित है जिस पर प्रार्थिनी का आपसी बंटवारा के अनुसार कब्जा काश्त में था।

04- यह कि प्रार्थिनी बसंती देवी का खेत नं0 1435 जोकि पार्किंग हेतु लिया गया है, उस पर सुरक्षा दिवार लगाई गई है तथा 2.05 मीटर ऊंची दिवार लगने से खेत की सुरक्षा हो सकती है। जिस संबंध में पी0डब्लू0डी0 विभाग, भटवाड़ी द्वारा कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अतः तहसीलदार, भटवाड़ी से प्राप्त जांच आख्या मय संलग्नकों सहित आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से संबंधित पक्ष तथा इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न- यथोपरि।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सत्यापित
वैयक्तिक सहायक
उप जिलाधिकारी
भटवाड़ी

उप जिलाधिकारी,
भटवाडी।

बसन्ती

प्रार्थना पत्र

सेवा में,

श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय,
तहसील भटवाड़ी, जनपद उत्तरकाशी (उत्तराखंड)

N. Teh.

विषयः दारत्या तोक में पार्किंग निर्माण के दौरान प्रार्थिनी की काटी गई भूमि व फलदार वृक्षों की जानकारी एवं जांच हेतु अनुरोध।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थीगण ग्राम मुखवा, तहसील भटवाड़ी के मूल निवासी हैं। प्रार्थीगण का फलदार सेब का बगीचा "**दारत्या**" नामक तोक में स्थित है, जो कि वर्ष 1947 में प्रार्थीगण के पूर्वज स्व. विद्या दत्त द्वारा भवन निर्माण हेतु समतल की गई थली/जमीन थी। इस भूमि पर विगत 30-32 वर्षों से सेब, चुल्लू आदि के लगभग 50 से अधिक फलदार वृक्षों का बगीचा विकसित किया गया था।

जनवरी 2025 में लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी द्वारा बिना पूर्व सूचना एवं बिना सहमति के उक्त भूमि का षड्यंत्र पूर्वक नष्ट कर पार्किंग निर्माण हेतु बगीचे के अधिकांश वृक्षों को कटवा दिया गया तथा उन्हें डंपिंग जोन में ठिकाने लगा दिया गया। वर्तमान में केवल 10-12 वृक्ष ही किसी प्रकार शेष बचे हैं, जो उपचार के अभाव में मरणासन्न स्थिति में हैं।

प्रार्थीगण यह जानना चाहते हैं कि उपरोक्त निर्माण कार्य में **किस-किस खसरा नम्बरान** की भूमि व बगीचे को काटा गया है। चूंकि यह भूमि पुश्तैनी उपयोग में थी, अतः इस संबंध में प्रामाणिक जानकारी अत्यंत आवश्यक है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि कृपया राजस्व ~~उप~~ निरीक्षक (भटवाड़ी) (मुखवा) के माध्यम से मौका मुआयना करवा कर मेरी पुश्तेनी/काबिजकाश्त फलदार सेब के बगीचे के नष्ट किए गए खसरा नम्बरानो की स्पष्ट जांच रिपोर्ट तैयार कर प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

पीड़ित परिवार आपका सदा आभारी रहेगा।

16/4/025

बसन्ती

भवदीया,
बसंती देवी
पत्नी स्व. भोला दत्त सेमवाल
ग्राम मुखवा, भटवाड़ी, उत्तरकाशी
हाल नि० . गंगोरी वार्ड न०. 01, नगर पालिका परिषद्,
बाराहाट, उत्तरकाशी (उत्तराखंड)

दिनांक: 16.04.2025

सूचना का अधिकार
अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सत्यापित
वैयक्तिक सहायक
उप जिलाधिकारी
भटवाड़ी

मो. नं०. 7668447514, 8171748565

Page 1 of 1

बसन्ती

सेवा में,

श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय
भटवाड़ी (उत्तरकाशी)

द्वारा - नायब तहसीलदार ~~जोशियाड़ा~~ भटवाड़ी

सूचना का अधिकार
अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सत्यापित
वैयक्तिक सहायक
उप जिलाधिकारी
भटवाड़ी

विषय - दरल्या तोक में पार्किंग के दौरान प्रार्थिनी की काटी गयी भूमि व फलदार वृक्षों की जानकारी एवं जाँच हेतु अनुरोध,

महोदय,

कृपा संलग्न आदेश दिनाँक 19/04/2025 के अनुपालन में बसंती देवी w/o भोलादत्त सेमवाल निवासी मुखवा पट्टी टकनौर तहसील भटवाड़ी वाली ने मौजा मुखवा के काबिजकाबत फलदार सेब के बगीचे में नष्ट किए खसरा नम्बर की स्पष्ट जाँच चाही गयी है, जाँच आख्या निम्नवत है,

1. कि मौजा मुखवा के भू-अभिलेखों एवं स्थलीय निरीक्षण किया गया कि मौजा मुखवा के खाता संख्या 105 में खसरा नं. 1435 रकबा 0.034 हे. व खसरा नं० 1436 रकबा 0.015 हे. भूमि दिनाँक 14/07/2020 में धारा 229बी. के अन्तर्गत प्रार्थिनी बसंती देवी व उनके पुत्रों के नाम भूमिधरी में दर्ज हुई है

2- कि खसरा नम्बर 1436 का सम्पूर्ण भाग में पार्किंग व रोड बनी है तथा खसरा नं. 1435 का 0.013 हे. भूमि जो वर्तमान में पार्किंग हेतु काटी गयी जिस पर सेब का बगीचा था तथा खसरा नं. 1438 जो हिमाचल प्रसाद s/o जीवानन्द आदि का नाम दर्ज है जिस पर प्रार्थिनी का कब्जा होना बताया गया है। खसरा नं० 1435 व 1438 पर सेब के पेड़ स्थित थे, PWD द्वारा खसरा नं. 1438 में 3 पेड़ सेब के व खसरा नं. 1435 में 7 पेड़ फलदार के स्थल निरीक्षण के दौरान बताये गए हैं जबकि प्रार्थिनी का कथन है कि इस पर करीब 35-40 पेड़ फलदार पेड़ सेब के थे, इस सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या PWD द्वारा बतायी जानी है,

3- इस प्रकार 1437 रकबा 0.013 हे. भूमि रमेशचन्द्र s/o रामचन्द्र के नाम

बसन्ती

प्रेषक,

तहसीलदार,
भटवाड़ी।

सेवामें,

उप जिलाधिकारी,
भटवाड़ी।

संख्याः–853 / ना0ना0–विविध / (2025) दिनांक 28 अप्रैल ,2025

विषयः– दारत्या नामे तोक में पार्किंग के दौरान प्रार्थिनी की काटी गयी भूमि व फलदार वृक्षों की जानकारी एवं जांच विषयक।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक संलग्न प्रार्थना पत्र बंसती देवी पत्नी स्व0 श्री भोलादत्त सेमवाल ग्राम मुखवा तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिस पत्र महोदया के पृष्ठांकित आदेश दिनांक 19.04.2025 के अनुपालन में जाँच नायब तहसीलदार भटवाड़ी से करवाई गई है, प्राप्त जांच आख्या निम्नवत हैः–

01– यह कि मौजा मुखवा के दारत्या नामे तोक में भू अभिलेखो के आधार पर स्थलीय निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि ग्राम मुखवा के खाता संख्या 105 में खसरा नं0 1435 रक्वा 0.034 हे0 व खसरा नं0 1436 रक्वा 0.015 हे0 भूमि दिनांक 14.07.2020 में धारा 229 बी0 के अन्तर्गत प्रार्थिनी बसंती देवी एवं उनके पुत्रो के नाम भूमि धरी में दर्ज अभिलेख है।

02–खसरा नं0 1436 का सम्पूर्ण भाग में पार्किंग व रोड़ बनी है तथा खसरा नं0 1435 का 0.013 हे0 भूमि जो वर्तमान में पार्किंग हेतु काटी गयी है जिस पर सेब का बगीचा था तथा खसरा नं0 1438 जो हिमांचल प्रसाद पुत्र श्री जीवानन्द आदि के नाम दर्ज है जिस पर प्रार्थिनी का कब्जा होना बताया गया है। खसरा नं0 1435 व 1438 पर सेब के पेड़ स्थित थे पी0डब्लू0डी0 द्वारा खसरा नं0 1438 में 03 पेड़ सेब के व खसरा नं0 1435 में 07 पेड़ फलदार स्थल निरीक्षक के दोरान बताये गये है। जबकि प्रार्थिनी का कथन है कि इस पर करीब 35–40 सेब के फलदार वृक्ष थे, इस सम्बंध में प्रार्थिनी को पी0डब्लू0डी के माध्यम से स्पष्ट जांच करवायी जानी उचित होगी ।

03– 1437 रक्वा 0.013 हे0 भूमि रमेशचन्द्र पुत्र श्री रामचन्द्र के नाम बतौर भूमि दर्ज है, जिस पर पार्किंग व मोटर रोड़ स्थित है जिस पर प्रार्थिनी का आपसी बंटवारा के अनुसार कब्जा काश्त में था।

04–यह कि प्रार्थिनी बसंती देवी का खेत नं0 1435 जोकि पार्किंग हेतु लिया गया है, उस पर सुरक्षा दिवार लगाई गई है तथा 2.05 मीटर ऊंची दिवार लगने से खेत की सुरक्षा हो सकती है इस सम्बंध में भी अपने स्तर से पी0डब्लू0डी0 विभाग भटवाड़ी को दिवार लगाये जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। जांच आख्या मय फोटोग्राफ्स संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः जाँच आख्या महोदया की सेवामें सादर प्रेषित।।

संलग्न यथोपरि।

भवदीय,

तहसीलदार,
भटवाड़ी।

PA

उप जिलाधिकारी
भटवाड़ी
29/04/2025

सूचना का अधिकार
अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सत्यापित
वैयक्तिक सहायक
उप जिलाधिकारी
भटवाड़ी

बसन्ती

बतौर भूमि दर्ज है जिस पर पार्किंग व मोटर रोड स्थित है जिस पर प्रार्थिनी का आपसी संटवारा के अनुसार कब्जा काश्त में था

4- कि प्रार्थिनी बसंती देवी का खेत नं. 1435 जोकि पार्किंग हेतु लिया गया है उस पर सुरक्षा वॉल लगी है तथा 2½ मीटर ऊँची दिवार लगाने से खेत की सुरक्षा हो सकती है, इस सम्बन्ध में PWD भटवाडी को 54 X 2½ मी. और ऊँची दिवार लगाये जाने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाय, जिसका फोटो ग्राफ्स एवं अभिलेख संलग्न है

अत: जॉच रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर प्रेषित,

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र ...
तह. ...
20-4-2025

महोदय

राजस्व निरीक्षक मनेरी की जॉच आख्या आवश्यक कार्यवाही महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 24.4.21
नायब तहसीलदार
भटवाडी।

सूचना का अधिकार
अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सत्यापित
(हस्ताक्षर)
वैयक्तिक सहायक
उप जिलाधिकारी
भटवाड़ी

बसन्ती

मौजा मुखबा पट्टी-टकनौर तहसील- भटवाडी उत्तरकाशी
जहाँ पर श्रीमती बसन्तीदेवी w/o ओमप्रकाश सेमवाल का सेब
का बगीचा ख0नं0 1435 का भाग काटकर पार्किंग बनी है

सूचना का अधिकार
अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सत्यापित
वैयक्तिक सहायक
उप जिलाधिकारी
भटवाड़ी

बसन्ती

Annexure No. RJ 10 : Notice under Section 80 of the CPC, 1908 – dated 16.02.2025, by Applicants to the Respondents

न्यायालय सिविल जज (सी० डि०), उत्तरकाशी।

नि० वा० सं० - 03/2025

बसन्ती देवी आदि vs अधि० अभि० लो० नि० वि० आदि

नकल: नोटिस दि० - 16/02/2025 की सत्यप्रति संलग्न फोलियो है।

बसन्ती

केवल नकल फीस के लिये

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तिथि	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने कि सूचना की तिथि	नकल वापस देने की तिथि	नकल वापस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
30-06-2025 तीस जून सन दो हजार पच्चीस	30-06-2025 तीस जून सन दो हजार पच्चीस	30-06-2025 तीस जून सन दो हजार पच्चीस	[signature] 30.6.2025

दि०-30/06/2025

C.F-5
₹-10/-

CANCELLED
UTTARAKHAND COURT FEE
12-JUN-2025
₹2

30-6-2025

ह० प्रथम/प्रार्थी
(रमेश...)
एडवोकेट
C.for Plaintiff

5क
12

प्रेषक - कौशल चोहान, एडवोकेट
चैम्बर सं० 14, जिला न्यायालय परिसर,
उत्तरकाशी , उत्तराखंड।

अजतरफ - व्यावहारी- 1. बसंती देवी , 2. उमा रमन, 2. रमा रमन, 3. अल्पना देवी।
सभी ग्राम निवासी- मुखवा, तहसील- भटवाडी, जिला- उत्तरकाशी।
हाल नि०.: वार्ड न०. 01, गंगोरी, नगरपालिका परिषद् बड़ाहाट, उत्तरकाशी ।

नोटिस अंतर्गत- धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता (C.P.C), 1908

- नोटिस विरुद्ध-
  1. अधिशासी अभियंता, प्रांतीय लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी, उत्तरकाशी
  2. उत्तराखंड सरकार द्वारा जिला कलेक्टर महोदय, उत्तरकाशी।

महोदय,

उपरोक्त **नोटिस धारा** 80 CPC के अंतर्गत आप नोटिसीगण को प्रेषित है।

1. यह कि दिनांक 25/01/2025 को ग्राम मुखवा के एक व्हाट्सएप ग्रुप से प्रसारित वीडियो से मेरे ब्यावहारीगण को ज्ञात हुआ कि JCB **मशीन द्वारा "थली दारत्या" नामक हमारी पुश्तैनी भूमि को काटा जा रहा है** और हमारे फलदार सेब, चुल्लू आदि के पेड़ों को नष्ट किया जा रहा है।

O/C

2. यह कि मेरे ब्यावहारीगण ने इस घटना की **प्राथमिकी** (FIR) **दिनांक** 27/01/2025 **को पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी को दर्ज कराई गई**, तथा **दि०**.: 03/02/2025 **को स्मरण पत्र** भी दिया गया।

3. यह कि मेरे ब्यावहारीगण को **दिनांक**. 08/02/2025 **को स्थल निरीक्षण** के दौरान आपके अधिकारी/कर्मचारीगण घटनास्थल पर उपस्थित मिले, जिन्होंने बताया कि **जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के निर्देश पर प्रधानमंत्री जी की संभावित यात्रा के मद्देनजर पार्किंग निर्माण हेतु लो०. नि०. वि०. भटवाड़ी द्वारा इस भूमि को काटा गया एवं बगीचे को नष्ट-भ्रष्ट किया गया है।**

4. यह कि आपके विभागीय **पत्रांक** 602/03, भू०.आ०. **दि०**.: 11/03/2016 एवं **पत्रांक** 653/ **लो०. सु०. आ०. दि०**.: 17/03/2016 को इसी जमीन पर मेरे ब्यावहारीगण का फलदार सेब का बगीचा व काबिज काश्त जमीन स्वीकार की गई थी तदनुसार ही प्रतिकार हडपने वाले व्यक्ति पर **मु०. ₹**33957 /- की वसूली की कार्यवाही गतिमान की गई थी।

5. यह कि भूमि की कटान, **भूमि अधिग्रहण अधिनियम**, 2013 के प्रावधानों का पालन किए बिना यह कार्य किया गया, जो कि अवैध है।

K.Chauhan

बसन्ती

13

6. यह कि मुखवा **भागीरथी इको-सेंसिटिव जोन व गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित है**, जहाँ यह कार्य NGT **नियमों एवं पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन** है।

7. यह कि इस भूमि व बगीचे को आपकी गैरकानूनी व अवैध कुकृत्यों से संरक्षित रखने हेतु आप नोटिसीगण के विरुद्ध **सिविल जज (सीनियर डिवीजन) उत्तरकाशी** की अदालत ने **वाद संख्या** 65/2017, में आपके विरुद्ध व मेरे ब्यावहारीगण के पक्ष में **स्थायी निषेधाज्ञा** (Permanent Injunction) **जारी की थी**, जिसका उल्लंघन कर आपने **न्यायालय की अवमानना** की है।

8. यह कि आपके **द्वारा न्यायालय श्रीमान सिविल जज सीनियर डिवीजन** की अदालत **वाद संख्या** 65/2017 में दिए अपने जवाब दावा व एक अन्य अभिलेख के **पैरा सं०** 03, 08, 10 में **मयशपथपत्र** न्यायालय को आश्वासन दिया गया था **कि दावी जमीन पर फलदार सेब का बगीचा है जहां तक वादीगण के फलदार सेब के बगीचे का प्रश्न है तो प्रतिवादी जवाबदेह विभाग के अधिकारी, कर्मचारीगण, ने ना तो वर्तमान में व ना ही भविष्य में फलदार सेब के बगीचे को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा रखते हैं।**

9. यह कि मयशपथपत्र न्यायालय को आश्वासन देना व तत्पश्चात भी बगीचे को नष्ट-भ्रष्ट करना, **माननीय न्यायालय को गुमराह करने वाला कृत्य,अपराध की श्रेणी में है।**

10. यह कि इस अवैध कार्य के कारण मेरे ब्यावहारीगण के 50 **फलदार सेब के वृक्ष नष्ट हुए**, जिससे मेरे ब्यावहारीगण को ₹1,25,000 **से** ₹1,50,000 **वार्षिक की क्षति हुई**, जिसकी भरपाई **कम से कम** 15-20 **वर्षों तक संभव नहीं**।

11. यह कि आपके इस कार्य से मेरे ब्यावहारीगण के **संविधान के अनुच्छेद** 19(1)(g) (**आजीविका का अधिकार**) एवं **अनुच्छेद** 21 (**जीवन का अधिकार**) **का उल्लंघन** हुआ है।

अतः आपको शख्त कानूनी हिदायत दी जाती है कि **समयबद्ध रूप से सम्पूर्ण जीविकोपार्जन हेतु क्षतिपूर्ति एवं आवश्यक कार्रवाई करें**। अन्यथा, **आपके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आपराधिक व दिवानी वाद दायर किया जाएगा**, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी, सूचना साफ़ है नोटिस की प्रति अवश्यक विधि सम्मत कार्यवही हेतु मेरे कार्यलय में सुरक्षित है।

दि०: 16/02/2025

कौशल चौहान एडवोकेट
चैम्बर सं०. 14, जिला न्यायालय परिसर,
उत्तरकाशी , उत्तराखंड।

Page **2** of **2**

PHOTO STAT
COPY
HEAD COPYIST
COPYING DEPARTMENT
DISTT. JUDGE COURT
UTTARKASHI

500

बसन्ती

Annexure No. RJ 11 : Reply to the Notice by Respondents (Letter No. 516/Notice/Bhoo. A.) – dated 08.04.2025.

न्यायालय सिविल जज (सी० डि०), उत्तरकाशी।
नि० वा० सं०- 03/2025
बसन्ती देवी आदि vs अधि० अभि० लो०नि०वि० आदि।

नकल: नोटिस लो० नि० वि० दि०- 8/04/2025 की सत्यप्रति संलग्न फोलियो है।

बसन्ती

केवल नकल फीस के लिये

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तिथि	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने कि सूचना की तिथि	नकल वापस देने की तिथि	नकल वापस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
30-06-2025 तीस जून सन दो हजार पच्चीस	30-06-2025 तीस जून सन दो हजार पच्चीस	30-06-2025 तीस जून सन दो हजार पच्चीस	30.6.2025

जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तराखण्ड

दि० - 30/06/2025

10-08-2025

30-6

CANCELLED DATED 30/6/25
UTTARAKHAND COURT FEE UKCT1200583F2544J 12-JUN-2025

UTTARAKHAND COURT FEE UKCT1200566F2544J 12-JUN-2025 CANCELLED 30/6/25

CANCELLED DATED 30/6/25
UTTARAKHAND COURT FEE UKCT1200569F2544J 12-JUN-2025

CANCELLED DATED 30/6/25
UTTARAKHAND COURT FEE UKCT1200572F2544J 12-JUN-2025

CANCELLED DATED 30/6/25
UTTARAKHAND COURT FEE UKCT1200578F2544J 12-JUN-2025

Cf - 5
₹ - 10/-

C for Admission

बसन्ती

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION
P.W.D,BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 24913
E-Mail÷ eepwdbhatwari@rediffmail.com

पत्रांक 516 / नोटिस / प्र0ख0 — दिनांक 8/4/2025

सेवा में,

कौशल चौहान,
एडवोकेट, चेम्बर नम्बर–14,
जिला न्यायालय परिसर उत्तरकाशी।

विषयः– आपके द्वारा प्रेषित नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) 1908 दिनांक 16.02.2025 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक नोटिस के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के हर्षिल–मुखवा में भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय आदेश सं0–33/सी0पी0ओ0–डी0एम0/2025, दिनांक–27.01.2025 द्वारा मुखवा में पार्किंग निर्माण हेतु लो0नि0वि0 को आदेशित किया गया था। हर्षिल–मुखवा मोटर मार्ग के अंतिम भाग (कि0मी0–05) में वाहन मोड़ने हेतु संकरी जगह को चौड़ा करने तथा इसी स्थान पर मा0 प्रधानमंत्री जी के फ्लीट (वाहनों) हेतु पार्किंग निर्माण किए जाने के लिए यह कार्य मा0 प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को देखते हुए और आवश्यक प्रकृति का होने के कारण लो0नि0वि0 द्वारा त्वरित रूप से सम्पादित किया गया। कास्तकारों की क्षतिग्रस्त भूमि (खसरा सं0–1434, 1435, 1436 एवं 1438) एवं क्षतिग्रस्त वृक्षों का, कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नपत कर ली गई थी। जिसका प्रतिकर प्रस्ताव गठित कर लिया गया है, जो कि धनावंटन के पश्चात् शीघ्र ही कास्तकारों को वितरित कर दिया जाएगा। खसरा नं0 1435 व 1436 पूर्व में राजस्व अभिलेखों में श्री जयंती प्रसाद पुत्र श्री महेशानन्द निवासी–ग्राम मुखवा के नाम दर्ज था, जिनको खेत सं0 1435 रक्वा 0.018 है0, 1436 रक्वा 0.015 है0 का प्रतिकर रू0 33,957.00 भुगतान किया गया था, जिसकी वसूली हेतु कार्यवाही गतिमान है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी।

प्रतिलिपिः–1. जिलाधिकारी को उनके पत्रांक सं0 16/नोटिस–80(CPC)2025 दिनांक 20.02.2025 द्वारा संलग्न नोटिस का प्रति उत्तर एवं मूल नोटिस संलग्न कर प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी।

PHOTO STAT TRUE COPY
COPYIST
COPYING DEPARTMENT
DISTT. JUDGE COURT
UTTARKASHI

Annexure No. RJ 12 : Order sheet of the Execution Case 03/2025 in Hon'ble Civil Court Sr. Divison Uttarkashi.

न्यायालय सिविल जज (सी० डि०) उत्तरकाशी।

निष्पा० वाद सं० - 03/2025

बसन्ती देवी आदि बनाम प्राधि० आश्रम लो० नि० वि० उत्तरकाशी आदि।

नकल - सम्पूर्ण आदेश पत्र की सत्यप्रति संलग्न फोलियो है।

बसन्ती

केवल नकल फीस के लिये

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तिथि	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने कि सूचना की तिथि	नकल वापस देने की तिथि	नकल वापस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
14-8-2025 चौदह अगस्त सन दो हजार पच्चीस	14-8-2025 चौदह अगस्त सन दो हजार पच्चीस	14-8-2025 चौदह अगस्त सन दो हजार पच्चीस	14/8/2025

MO-02
14-8-2025

₹2 UTTARAKHAND COURT FEE CANCELLED DATED 14-8-25

₹2 UTTARAKHAND COURT FEE UKCT3110270G2525L 31-JUL-2025 CANCELLED DATED 14-8-25

₹2 UTTARAKHAND COURT FEE UKCT3110270G2525L 31-JUL-2025 CANCELLED DATED 14-8-25

₹2 UTTARAKHAND COURT FEE CANCELLED DATED 14-8-25

₹2 UTTARAKHAND COURT FEE UKCT3110276G2525L 31-JUL-2025 CANCELLED DATED 14-8-25

C.F = 05
₹ = 10.00

प्रार्थी/साक्षी
कौशल चौहान
(एडवोकेट)

बसन्त श्री

न्यायालय सिविल जज(सी0डि0) उत्तरकाशी, जिला उत्तरकाशी ।

निष्पादन वाद संख्या : 03 /2025

सी0एन0आर0नं0– UKUT030000192025

बसन्ती देवी आदि बनाम अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण, भटवाड़ी उत्तरकाशी आदि।

(1) **दिनांक 29.04.2025**

आज यह निष्पादन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 32 व्य0 प्र0सं0 डिक्रीदार की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री कौशल चौहान द्वारा प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निष्पादन वाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो।

मदयुन को नोटिस वास्ते पेश करने आपत्तिं दिनांक 07.05.2025 के लिए जारी हो। डिक्रीदार आवश्यक तीन दिन में पैरवी करना सुनिश्चित करें।

sd/- 29-04-25

(जयश्री राणा)
सिविल जज (सी0डि0)
उत्तरकाशी।

बसन्ती

Annexure No. RJ 13 : Execution Application (Case No. 03/2025) under Order 21 Rule 32.

न्यायालय सिविल जज (सी० डि०) उत्तरकाशी।

निष्पा० वाद सं० - 03/2025

बसन्ती देवी आदि vs अधि० अभि० लो० नि० वि०

उत्तरकाशी आदि।

नकल- निष्पादन प्रा० पत्र की छायाप्रति संलग्न फोलियो है।

बसन्ती

₹3 UTTARAKHAND COURT FEE

₹3 UTTARAKHAND COURT FEE

₹2

न्यायालय श्रीमान सिविल जज सी0डि0 महोदय जिला उत्तरकाशी।

निष्पादन वाद सं0– 03 सन्–2025

3क/1

डिक्रीदार–1. श्रीमती बंसती देवी पत्नी स्व0 भोला दत्त सेमवाल, आयु 69 वर्ष,
2. उमा रमन सेमवाल पुत्र स्व0 भोला दत्त सेमवाल, आयु–49 वर्ष
3. रमा रमन सेमवाल पुत्र स्व0 भोला दत्त सेमवाल, आयु–44 वर्ष
4. श्रीमती अल्पना देवी पत्नी स्व0 बेंकट रमन सेमवाल, आयु 34 वर्ष,
सभी निवासीगण ग्राम–मुखवा, पट्टी–टकनौर, तहसील–भटवाडी, जिला–उत्तरकाशी, हाल निवास– वार्ड नं0–01, नगर पालिका परिषद, गंगोरी बाडाहाट, जिला–उत्तरकाशी।

बनाम

निर्णीतऋणी–1. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग भटवाडी, उत्तरकाशी।
2. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलक्टर महोदय जिला उत्तरकाशी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 32 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

महोदय,

डिक्रीदार ऐत्दद्वारा वर्णित आज्ञप्ति के निस्तारण के लिए निम्न आवेदन सेवा में प्रस्तुत करतें है–

1. मूल वाद संख्या	65/2017
2. नाम पक्षकारान	बंसती देवी बनाम अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 आदि।
3. निर्णय की तारीख	30/10/2021
4. प्राप्ति या समझौता यदि कोई हुआ हो।	जी नहीं।
5. अपील हुई या नहीं	जी नहीं।
6. पूर्णतः निष्पादन यदि हुआ हो	जी नहीं, निर्णीत ऋणी सं0–01 द्वारा डिक्रीदार की दावी सम्पति पर बिना किसी पूर्व सूचना के फलदार वृक्ष एवं भूमि के कुंछ भाग पर कटान कार्य किया जाकर क्षतिग्रस्त किया गया है।
7. अवार्ड राशि या अन्य प्रदत्त आज्ञप्ति	माननीय न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादीगण/डिक्रिदार को दावी सम्पति से जबरन बेदखल करने से प्रतिवादीगण/निर्णीतऋणी को स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति द्वारा निषेधित किया गया था।
8. खर्चा मुकदमा	3761.00
9. खर्चा इजराय	5000.00
10. नाम मदयून/विपक्षी जिनके खिलाफ निष्पादन चाहा गया है	1. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग भटवाडी, उत्तरकाशी। 2. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलक्टर महोदय जिला उत्तरकाशी।

बंसती

बसन्ती

11. इमदाद जो न्यायालय से चाहते है, विवरण सहित	महोदय, मूलवाद सं0–65/2017, बंसती देवी आदि बनाम अधिशासी अभियन्ता आदि में प्रतिवादीगण के विरूद्व पारित स्थाई निषेधाज्ञा के डिक्री एवं निर्णयादेश का घोर उल्लंघन कर अवमानना की है तथा डिक्रीदार/वादीगण की दावी सम्पति/सेब के बगीचे एवं भूमि के कुछ भाग को बिना किसी पूर्व सूचना के अवैध तरीके से कटान/छेडखानी कर क्षति पहुंचाई गई है, जिसके लिए निर्णितऋणी/सम्बन्धित को सिविल करागार भेजा जाने एवं सम्बन्धित की सम्पत्ति की कुर्की किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा की जाय। निर्णितऋणी को आदेशित किया जाय कि, उनके द्वारा खसरा सं0– 1435, 1436 एवं 1438 के जितने भू–भाग पर अवैध कटान/छेडाखानी कर क्षतिग्रस्त किया है, उस काटी गई भूमि पर चारों ओर से दीवाल देकर एवं उस पर पूर्व की भांति रास्ता बनाकर ओर उसमें मिट्‌टी की भरान कर पूर्व की भांति तैयार करके देवें ताकि उक्त भूमि पर पुनः कास्तकारी की जा सकें। डिक्रीदार को जीवीकोंपार्जन की जो क्षति निर्णितऋणी द्वारा उक्त अवैध कटान से पहुचाई गई है, उसकी क्षतिपूर्ति का आंकलन किया जाय एवं डिक्रीदार को क्षति की पूर्ति किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

दिनांक–29/04/2025

ह0 डिक्रीदार

बसन्ती

हमके डिक्रीदार उपरोक्त प्रमाणित करते है कि, प्रार्थना पत्र के चरण सं0–01 से 11 तक में वर्णित तथ्य हमारे निजी जानकारी एवं अभिलेखों के आधार पर सही एवं सत्य है, इसलिए अपने हस्ताक्षर सत्यापित किये देतें है।

ह0 डिक्रीदार

बसन्ती

Sig. Attested by me

I K. Chauhan

SCO

PHOTO STAT TRUE COPY
HEAD COPYIST
COPYING DEPARTMENT
DISTT JUDGE COURT
UTTARKASHI

बसन्ती

₹2
UTTARAKHAND COURT FEE
01-APR-2025

माननीय न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सीनियर डिवीजन), उत्तरकाशी

प्रकीर्ण वाद सं०— 03 सन—2025

प्रार्थीगण / डिक्रीदार—

बसंती देवी आदि।

बनाम

विपक्षी / निर्णीतऋणी— अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी, उत्तरकाशी आदि।

शपथ पत्र

2025 AFFIDAVIT DISTRICT COURT UTTARAKHAND ₹ 1/- Uttarkashi

शपथकर्तागण—1. बसंती देवी पत्नी स्व० भोला दत्त सेमवाल आयु—69 वर्ष,

2. उमा रमन सेमवाल पुत्र स्व० भोला दत्त सेमवाल आयु—49 वर्ष,

3. रमा रमन सेमवाल पुत्र स्व० भोला दत्त सेमवाल, आयु—44 वर्ष,

4. श्रीमती अल्पना देवी पत्नी स्व० बैंकट रमन सेमवाल, आयु— 34 वर्ष, सभी निवासीगण ग्राम मुखवा पट्टी टकनौर तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी। हाल निवास— वार्ड नं. 01, नगर पालिका परिषद, गंगौरी बड़ाहाट , उत्तरकाशी,

महोदय,

हमके शपथकर्तागण उपरोक्त ईश्वर को साक्षी मानकर निम्न हल्फन बयान सेवा में प्रस्तुत करते हैं—

1. यह कि शपथकर्तागण उक्त प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण / वादीगण है तथा तथ्यों से भली प्रकार से विज्ञ है।
2. यह कि शपथकर्तागण के द्वारा निर्णीत ऋणी के विरूद्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 32 व्य0प्र0सं0 का प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लिखित तथ्यों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रार्थना पत्र के प्रस्तर संख्या— 1 से 11 तक के तथ्यों को इस शपथ पत्र के माध्यम से समर्थित करते हैं।
3. यह कि यह शपथ पत्र प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग है जिसे इसी तरह से पढ़ा, समझा, जाना पढ़ा व माना जाए।

दिनांक— 29/4/2025

ह0 शपथकर्तागण

हम के शपथकर्तागण उपरोक्त एतद्द्वारा यह तस्दीक एवं प्रमाणित करते हैं कि शपथ पत्र का प्रस्तर संख्या—1 से 3 तक की इबारत हमारे निजी ज्ञान, विश्वास एवं संलग्न अभिलेखों के आधार पर सही एवं सत्य है।

ह0 शपथकर्तागण

बसंती देवी उमा / रमा / अल्पना
K.C. Chauhan (adv)
29/4/25

Vijay Kumar Jagudi

(K. Chauhan)

PHOTO STAT TRUE COPY
14/8/2025
HEAD COPYIST
COPYING DEPARTMENT
DISTT JUDGE COURT
UTTARKASHI

बसन्ती

Annexure No. RJ 14 : Disposal Order sheet of Higher Revenue Court, Gardwal Mandal, dated on 11.03.2024 .

11–03–2024	पत्रावली प्रस्तुत। पुकार की गयी। अपीलकर्ता हाजिर नहीं। विपक्षी हाजिर हैं। अपीलकर्ता को दिनांक 08–02–2024 को सुनवाई हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया गया था। अतः अपीलकर्ता की अनुपस्थिति के कारण अपील अदम पैरवी निरस्त की जाती है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित हो। अपर आयुक्त गढ़वाल मण्डल।	अधिवक्ता विपक्षीगण

UTTARAKHAND COURT FEE ₹5 UKCT1528572J2347L 15-OCT-2023 CANCELLED

UTTARAKHAND COURT FEE ₹2 UKCT120514B2402T 11-FEB-2024 CANCELLED

अपर आयुक्त न्यायालय ★ गढ़वाल मण्डल, कैम्प-देहरादून

प्रतिलिपिकार..........

तुलनाकार..........

फैसला दिनांक 21-01-21 से 11-03-24

प्रार्थना पत्र देने की तिथि 03-05-24

नकल जारी करने की तिथि 04-05-24

सत्य प्रतिलिपि 4-5-24

पेशकार
अपर आयुक्त
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
(कैम्प–देहरादून)

CFS-2
R7=00

बसन्ती

Annexure No. RJ 15 : RTI Letter from the Office of PWD Bhatwari, dated. 14.05.2025.

कार्यालय सहायक अभियन्ता / लोक सूचना अधिकारी,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
Public Information Officer PROVI. DIVISION
P.W.D, BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135
E-Mail-eepwd bhatwari @ rediffmail.com

पत्रांक – 662/लो0सू0अ0 दिनांक 14/05/2025

सेवामें,

श्रीमती सुनीता सेमवाल,
निकट जंगलात बैरियर,
वार्ड नं0–1 गंगोरी नगर पालिका परिषद,
बाड़ाहाट, उत्तरकाशी

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मॉगी गयी सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– पंजीकरण सं0–ENCUK/R/2025/80039 दि0 09/04/2025।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में आपके द्वारा मांगी गई सूचना का बिन्दुवार प्रति उत्तर पंजीकरण सं0– ENCUK/R/2025/80037 दि0 03/04/2025 में पत्रांक 661/लो0सू0अ0 दिनांक 14/05/2025 द्वारा दी जा चुकी है।

लोक सूचनाअधिकारी,
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0विभाग
भटवाड़ी।

प्रतिलिपि :– अपीलीय अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, भटवाड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

लोक सूचनाअधिकारी,
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0विभाग
भटवाड़ी।

/

कार्यालय सहायक अभियन्ता / लोक सूचना अधिकारी,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाडी (उत्तरकाशी)
Public Information Officer PROVI. DIVISION
P.W.D. BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135
E-Mail-eepwd bhatwari @ rediffmail.com

पत्रांक – 661/लो0सू0अ0 दिनांक 14/05/2025

सेवामें,

श्रीमती सुनीता सेमवाल,
निकट जंगलात बैरियर,
वार्ड नं0–1 गंगोरी नगर पालिका परिषद,
बाड़ाहाट, उत्तरकाशी

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत माँगी गयी सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– पंजीकरण सं0–ENCUK/R/2025/80037 दि0 03/04/2025।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना का बिन्दुवार प्रति उत्तर निम्न प्रकार है :–

क0 सं0	मांगी गई सूचना	सूचना का उत्तर
1	वित्तीय वर्ष 2024–25 में ग्राम मुखवा, तहसील भटवाड़ी के दारत्या नामें तोक में पार्किंग स्थल निर्माण के कारण जिन कृषकों/कास्तकारों के सेब के बगीचे एवं भूमि क्षतिग्रस्त हुई है, उन सभी को दिये जाने वाले प्रतिकर/मुआवजा से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों की सत्यापित छाया प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।	संलग्न है। (3 पृष्ठ)
2.	इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी के कार्यालय से आपके कार्यालय एवं जिला प्रतिकर अधिकारी के कार्यालय को जो दस्तावेज प्राप्त हुए है, उनकी सत्यापित छाया प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।	खण्ड से सम्बन्धित नहीं है।
3.	उक्त प्रतिकर/मुआवजे से सम्बन्धित स्वीकृति पत्र, आकलन रिर्पोट, बजट आवटन, भुगतान आदेश एवं अन्य आवश्यक अभिलेखो की भी सत्यापित छायाप्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।	बिन्दु संख्या–1 के अनुसार स्वीकृति, धनावंटन अपेक्षित है।

संलग्न :– उक्तानुसार – 3 पृष्ठ।

लोक सूचनाअधिकारी,
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0विभाग
भटवाडी।

प्रतिलिपि :– अपीलीय अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, भटवाड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

लोक सूचनाअधिकारी,
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0विभाग
भटवाड़ी।

वस प्री

मोटर मार्ग निर्माण हेतु मलवे से क्षतिग्रस्त भूमि, फसल, पेड़ आदि का प्रतिकर आगणन

ग्राम-- मुखवा , पट्टी-- टकनौर , तहसील-- भटवाड़ी , जनपद उत्तरकाशी

नाम भूमिधर	खेत नम्बर	कुल रकबा	क्षतिग्रस्त रकबा	अधिग्रहण रकबा	किस्म जमीन	भूमि की दर	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] का प्रतिकर	भूमि का प्रतिकर	कुल [illegible]	कुल उपज (किग्रा)	फसल की दर	फसल का कुल प्रतिकर	पेड़ का नाम	पेड़ों की संख्या	[illegible]	दर	पेड़ का कुल प्रतिकर	[illegible]	[illegible]
03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
रुक्मी देवी w/o भोलादत्त, आशाराम, रामराम, वैकयपाल s/o भोलादत्त सा० - मुखवा	1435	0.034	-	0.010	-		-	-	-	-	18200	-	-	-		श्रेणी-1- सेब	5	8yr	15956	79780	2275	205434=00
																श्रेणी-2- सेब	1	28yr	5498	5498		
	1436	0.015	-	0.015	-		-	-	-	-	27300	-	-	-		श्रेणी-1- सेब	1	6yr	16818	16818		
																" सेब	4	20yr	10781	43124		
																श्रेणी-2- सेब	3	35yr	3234	9702		
																श्रेणी-1- चुल्लू	1	6yr	2632	2632		
																खड़क	1	5yr	105	105		
				0.025							45500									157659	2275	205434=00
हिमाचल प्रसाद, विन्ध्याचल प्रसाद, मुद्राचल, द्रोणाचल, गोवर्धन, कुलदीप s/o जीवानन्द, उज्ज्वल प्रकाश s/o ललित प्रसाद, जितेन्द्र प्रसाद s/o भगवती प्रसाद, पार्वती देवी w/o ललित प्रसाद, मनमोहन, सन्तोष प्रसाद s/o भास्कर प्रसाद, कामेश्वर प्रसाद, दिवाकर प्रसाद s/o शान्ति प्रसाद है हि०, प्रकाशानन्द, महेशानन्द, मधुसूदन s/o [illegible]ानन्द, आनन्द उम्र 15 वर्ष s/o सुरेशचन्द, मुकेशचन्द s/o चन्द्र प्रसाद, गोविन्दराम है हि०, रामचन्द्र s/o [illegible] प्रसाद सा० - धौरा सा० - मुखवा		0.006	-	0.006			-	-	-	-	10920	-	-	-		श्रेणी-1- सेब	3	12yr	14231	42693	1500	55113=00
				0.006							10920									42693	1500	55113=00
G.Total				0.031							56420									200352	3775	260547=00

→ रु 1820/0.001 हे० ←

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी

बसन्ती

Annexure No. RJ 16 : RTI Reply from the office of DFO, Uttarkashi –(Letter No. 20/22-1(9), Kotbangla – dated 03.07.2025)

Online RTI Request Form Details

Public Authority Details :-

* **Public Authority**	Principal Chief Conservator Of Forests (HoFF)

Personal Details of RTI Applicant:-

Registration Number	PCCFU/R/2025/80071
Date of Filing	01/04/2025
* **Name**	Sunita
Gender	Female
* **Address**	Near Forest Barrier, Gangori, Ward No. 01, , Nagar Palika Bharahat, Uttarkashi, , Uttarakhand
Pincode	249193
State	Uttarakhand
Educational Status	Details not provided
Phone Number	+91-8171748565
Mobile Number	+91-8171748565
Email-ID	semwalabhinavraman2985[at]gmail[dot]com
Citizenship	Indian
* **Is the Applicant Below Poverty Line ?**	No

RTI Application Details u/s 6(1) :-

((Description of Information sought (upto 500 characters))

* **Description of Information Sought**	सेवा में, लोक सूचना अधिकारी/ प्रभागीय वन अधिकारी, कोटबंगला, उत्तरकाशी, उत्तराखंड। विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन। महोदय, कृपया RTI अधिनियम, 2005 के तहत निम्नलिखित जानकारी एवं दस्तावेज़ उपलब्ध कराने की कृपा करें: 1. भगीरथी इको-सेंसिटिव ज़ोन (Bhagirathi ESZ) के अंतर्गत भटवाड़ी तहसील में आने वाले गाँवों/कस्बों की सूची एवं आधिकारिक नक्शा प्रदान करें, जिसमें इसकी सीमाएँ व गाँव स्पष्ट हों। 2. इस ज़ोन में विकास कार्य करने हेतु आवश्यक स्वीकृतियाँ एवं उनकी प्रक्रिया का दस्तावेज़ उपलब्ध कराया जाए, जिसमें यह स्पष्ट हो कि किन विभागों/अधिकारियों से अनुमति लेनी आवश्यक होती है। 3. भगीरथी ESZ में वृक्षों/ बड़े पैमाने में वृक्षों की कटाई से संबंधित सभी नियम, दिशानिर्देश एवं अनुमतियों की प्रक्रिया की प्रमाणित प्रति प्रदान करें। 4. आपातकालीन परिस्थितियों में विकास कार्यों हेतु आवश्यक स्वीकृति प्रक्रिया एवं PWD विभाग के लिए लागू दिशा-निर्देशों के आधिकारिक दस्तावेज़ उपलब्ध कराए जाएँ। 5. PWD भटवाड़ी/ जिला प्रसाशन उत्तरकाशी ने वित्तीय वर्ष 2024 – 25 में हर्षिल – मुखवा – जंगला रोड के अंतर्गत सेब, चुल्लू, देवदार आदि के हरे वृक्षों की कटान हेतु अगर कोई अनुमति ली है या आपके विभाग ने कोई अनुमति दी है, तो सम्बंधित दस्तावेज उपलब्ध करवाएं। शुल्क विवरण: RTI अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित शुल्क IPO/DD/Online Payment के माध्यम से संलग्न किया जा रहा है। दि० .: 29/03/2025 प्रार्थिनी: सुनीता देवी पता - निकट जंगलात बैरियर, वार्ड नंबर 1 गंगोरी नगर पालिका परिषद, बाराहाट, उत्तरकाशी, उत्तराखंड – 249193 MOB.: 7668447514, 8171748565
* **Concerned PIO**	Daya Lal (C.A.O Uttarkashi)
Designation	Chief Administrative Officer
Phone No	9058898063
Email Id	dfoukashi-forest-uk@nic.in
Supporting document ((only pdf upto 1 MB))	Supporting document not provided

Print Close

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तेहत आवेदन

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/ प्रभागीय वन अधिकारी,

कोटबंगला, उत्तरकाशी, उत्तराखंड।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन।

महोदय,

कृपया RTI अधिनियम, 2005 के तहत निम्नलिखित जानकारी एवं दस्तावेज़ उपलब्ध कराने की कृपा करें:

1. **भगीरथी इको-सेंसिटिव ज़ोन (Bhagirathi ESZ)** के अंतर्गत भटवाड़ी तहसील में आने वाले गाँवों/कस्बों की सूची एवं आधिकारिक नक्शा प्रदान करें, जिसमें इसकी सीमाएँ व गाँव स्पष्ट हों।
2. इस ज़ोन में विकास कार्य करने हेतु आवश्यक स्वीकृतियाँ एवं उनकी प्रक्रिया का दस्तावेज़ उपलब्ध कराया जाए, जिसमें यह स्पष्ट हो कि किन विभागों/अधिकारियों से अनुमति लेनी आवश्यक होती है।
3. **भगीरथी** ESZ में वृक्षों/ बड़े पैमाने में वृक्षों की कटाई से संबंधित सभी नियम, दिशानिर्देश एवं अनुमतियों की प्रक्रिया की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।
4. आपातकालीन परिस्थितियों में विकास कार्यों हेतु आवश्यक स्वीकृति प्रक्रिया एवं PWD विभाग के लिए लागू दिशा-निर्देशों के आधिकारिक दस्तावेज़ उपलब्ध कराए जाएँ।
5. **PWD भटवाड़ी/ जिला प्रसाशन उत्तरकाशी** ने **वित्तीय वर्ष** 2024 – 25 में हर्षिल – मुखवा – जंगला रोड के अंतर्गत सेब, चुल्लू, देवदार आदि के हरे वृक्षों की कटान हेतु अगर कोई अनुमति ली है या आपके विभाग ने कोई अनुमति दी है, तो सम्बंधित दस्तावेज उपलब्ध करवाएं।

शुल्क विवरण:

RTI अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित शुल्क IPO/DD/Online Payment के माध्यम से संलग्न किया जा रहा है।

दि० .: 29/03/2025

प्रार्थिनी:

सुनीता देवी पत्नी **उमा रमण सेमवाल**
पता - निकट जंगलात बैरियर, वार्ड नं०.1
गंगोरी नगर पालिका परिषद, बाराहाट,
उत्तरकाशी, उत्तराखंड – 249193
MOB.: 7668447514, 8171748565

वन श्री

(Letter No. 20/22-1(9), Kotbangla – dated 03.07.2025)

पंजीकृत

लोक सूचना अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

फोन नं0 01374–222444, फैक्स नं0 01374–222964, Email dfouttarkashifd@gmail.com

पत्रांक :– 20 /22–1(9), कोटबंगला, दिनांक 03 / 07 / 2025

सेवाम में,

श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री उमा रमन सेमवाल
निकट जगंलात बैरियर, वार्ड न0–1,
गंगोरी नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट,
जिला उत्तरकाशी

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**
सन्दर्भः– **अपीलीय अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग का पारित आदेश सं0–4044/22–1(9) दिनांक– 10.06.2025।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपीलीय अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में पारित आदेश सं0– 4044/22–1 (9) दिनांक– 10.06.2025 में अपीलीय प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 से 5 की की सूचना की छायाप्रति को निः शुल्क उपलब्ध कराने के आदेश पारित किये गये है।

अतः अपीलीय अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग के उक्त पारित आदेश के क्रम में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार से है।

1. बिन्दु संख्या –01 के सम्बन्ध में चाही गई सूचना संलग्न है। (संलग्नक–01)
2. बिन्दु संख्या –02 के सम्बन्ध में चाही गई सूचना संलग्न है। (संलग्नक–02)
3. बिन्दु संख्या –03 के सम्बन्ध में चाही गई सूचना संलग्न है। (संलग्नक–03)
4. बिन्दु संख्या –04 के सम्बन्ध में चाही गई सूचना संलग्न है। (संलग्नक–04)
5. बिन्दु संख्या –05 हर्षिल मुखवा जंगला रोड़ के अन्तर्गत सेब, चुल्लू, देवदार आदि के हरे वृक्षों की कटान हेतु इश वन प्रभाग से वर्तमान तक कोई अनुमति नहीं दी गई है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(दया लाल)
लेक सूचना अधिकारी/
मुखा प्रशासनिक अधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।

बसन्त श्री

बिन्दु सं० -1

(संलग्नक -1)

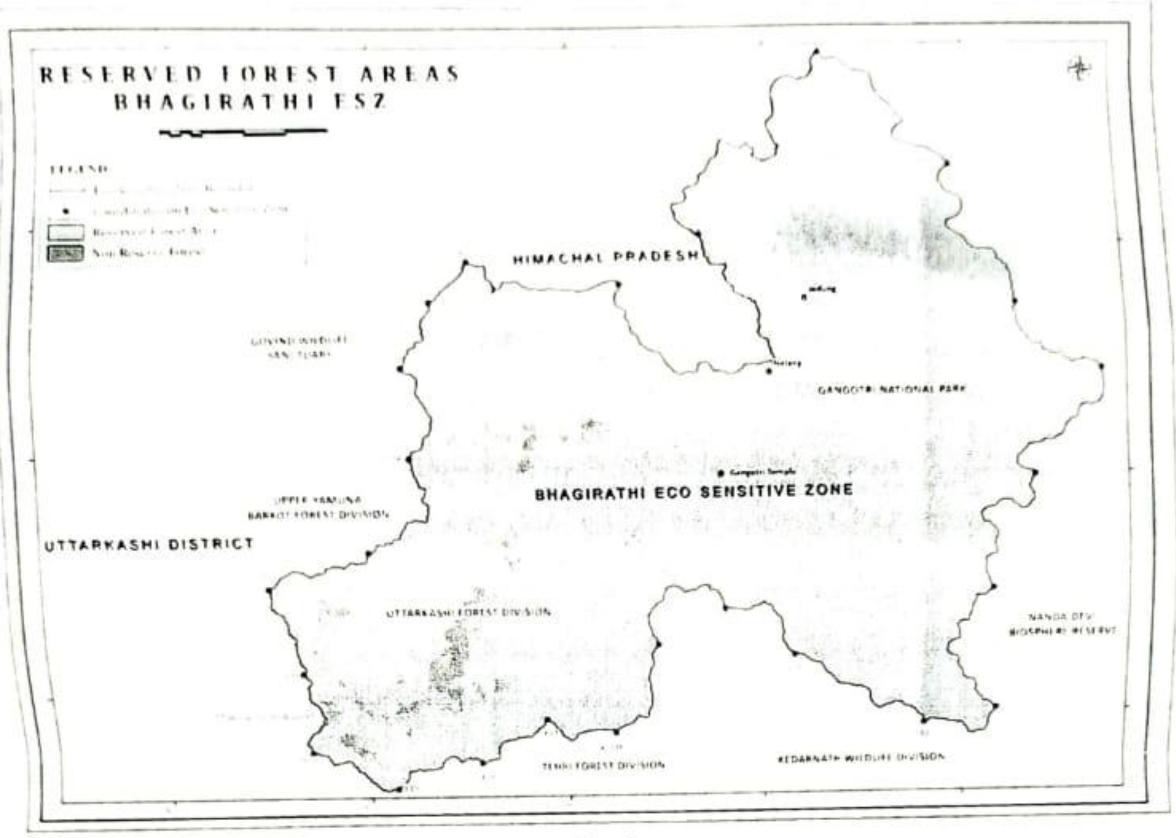

Fig. 1

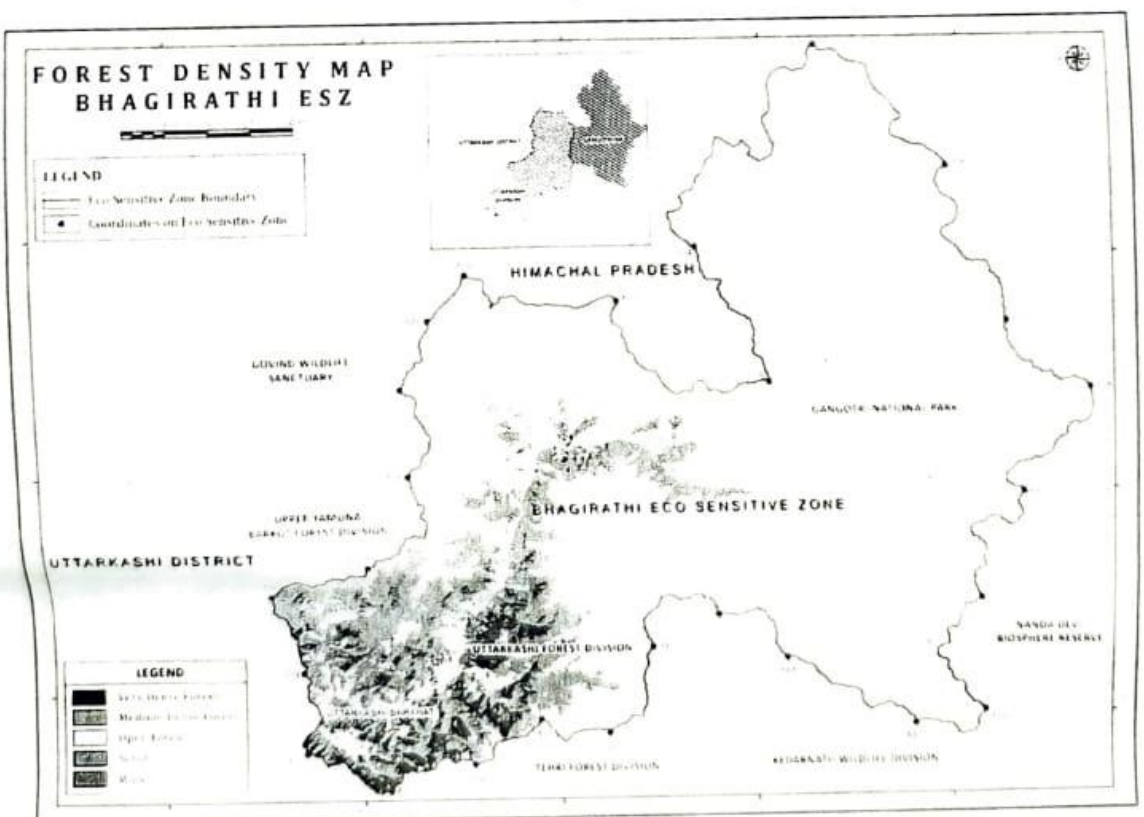

Fig. 2

छाया प्रति प्रमाणित

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

XIX

There are 89 villages falling in the **Eco-sensitive Zone** and the list of the sameis given below in Table-2

Table-2

1	Agoda	2428	214.09
2	Aleth	1785	99.59
3	Bagori	2762	83.98
4	BagyalGaon	1558	91.85
5	Bandrani	1599	61.79
6	Barsu	2154	144.6
7	Bayana	2003-	133.99
8	Bhangeli	2016	160.37
9	Bhancoli	2155	213.93
10	Bhatwari	1649	327.28
11	BhelaTipri	1639	63.18
12	Bhukki	2436	96.52
13	Bonga	1327	100.05
14	Bongari	1694	54.03
15	Dandalka	2413	92.06
16	Dansra	2640	68.99
17	Dhanpur	1833	113.7
18	Dharali	2485	99.98
19	Dhwari	1799	94.33
20	Didsari	1555	173.11
21	Dovah	1744	305.77
22	Gajoli	1720	126.67
23	Gangotri	3008	71.81
24	Gawana	1316	131.94
25	Gorshali	1962	183.29
26	Gyanja	1997	93.6
27	Hinna	1455	256.56
28	Hurri	2453	140.49
29	Jadung	4373	72.00
30	Jakhol	1927	101.78
31	Jamak	1428	203.4
32	Jaspur	2649	134.58
33	Jhala	2459	66.05
45	Kyark	2007	149.4
46	Ladari	1111	117.9
47	Lata	1536	163.08
48	Malla	1727	96.97
49	Mando	1220	139.95
50	Maneri	1519	95.63
51	Manpur	1578	167.52
52	Mastari	1705	83.52
53	Mukhawa	2925	213.31
54	NaldaUrphBodhhar	1672	290.44
55	Natin	2035	72.86
56	Naugaon	2075	123.19
57	Nalang	4254	67.24
58	Netala	1277	290.7
59	Nirakot	1615	153.97
60	Nesmor	2253	263
61	Ongee	1538	113.55
62	Pahi	2331	3.88
63	Pala Maradi	1727	304.37
64	Pata	1338	80.93
65	Pilang	2040	122.42
66	Purali	2460	155.07
67	Raithal	1720	132.34
68	Said Urph Maja Gaon	1970	118.94
69	Sanj	1579	176.77
70	Salang	1794	158.21
71	Salu	1864	89.75
72	Sangralt	1812	51.26
73	Sara	1424	63.82
74	Sarag	1328	61.68
75	Sari	1909	72.99
76	Saura	1467	150.67
77	Seku	1905	217.58

xx

छाया प्रति प्रमाणित

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

34	Jodaw	2224	228.71	78	Silla	1766	111.6
35	Jokani	1718	54.53	79	Silyan	1509	55.47
36	Joshiyara	1423	217.91	80	Siror	1363	268.62
37	Kamar	1993	85.78	81	Sukki	2642	105.98
38	Kanath	1779	130.42	82	Sungar	1993	62.88
39	Kankrari	1764	60.91	83	Syawa	2145	88.25
40	Kishanpur	1725	154.5	84	Thalan	1481	87.34
41	Kotiyal Gaon	1454	162.52	85	Tehar	1884	150.24
42	Kumalti	1466	77.69	86	Tiloth	1099	60.4
43	Kunjan	2060	143.4	87	Uttarkashi	1241	N/A
44	Kuroli	1804	59.23	88	Uttron	1290	131.7
				89	Harshil*	2620	293.947

*Expert Committee at the level of MoEF&CC, GoI decided in its last meeting dated 31.08.2016, that village 'Harshil' should be included in the ESZ.

Total area of the ESZ comes to 4182.25 sq.km. (Including Harshil village).

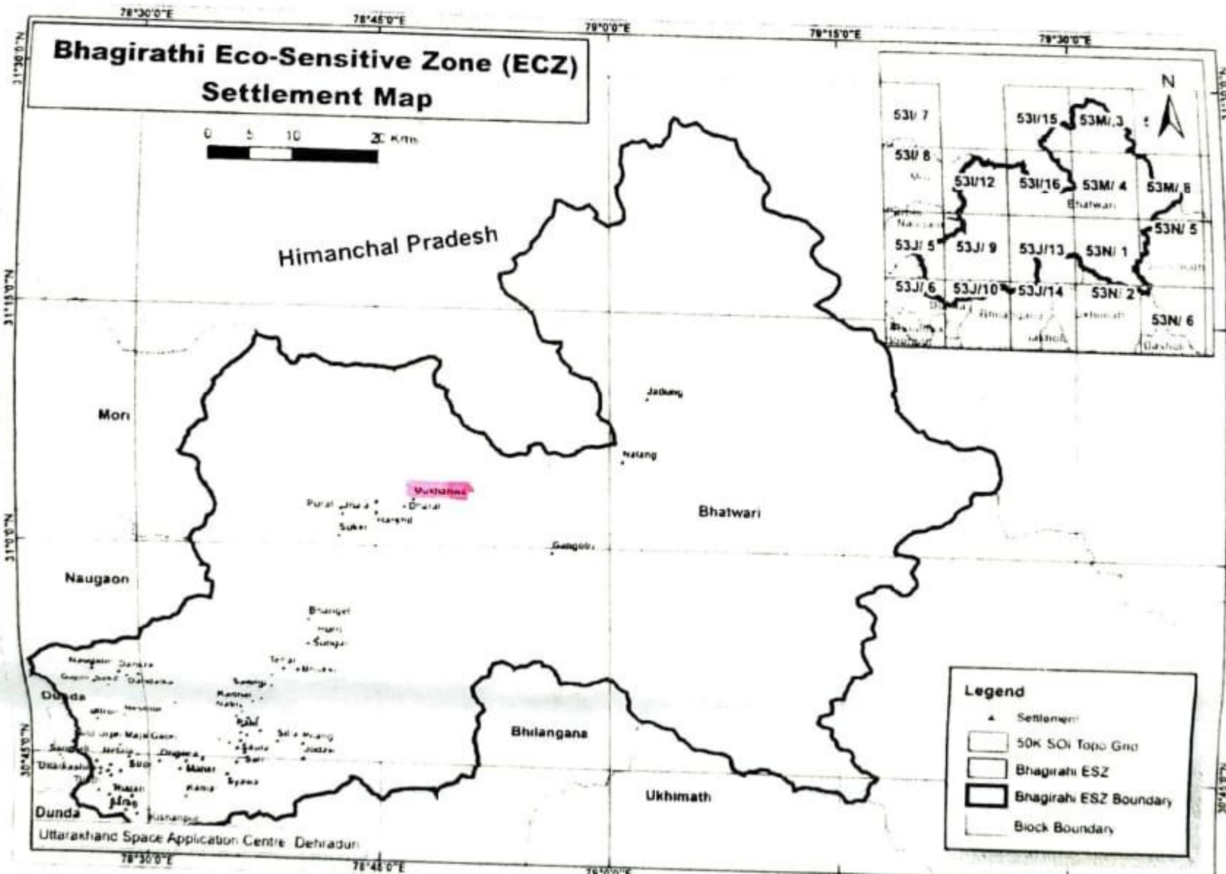

Fig. 3. Depicts the lay out of villages (including Harshil) in the ESZ.

XXI

द्वारा प्रति प्रमाणित

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

वसश्री

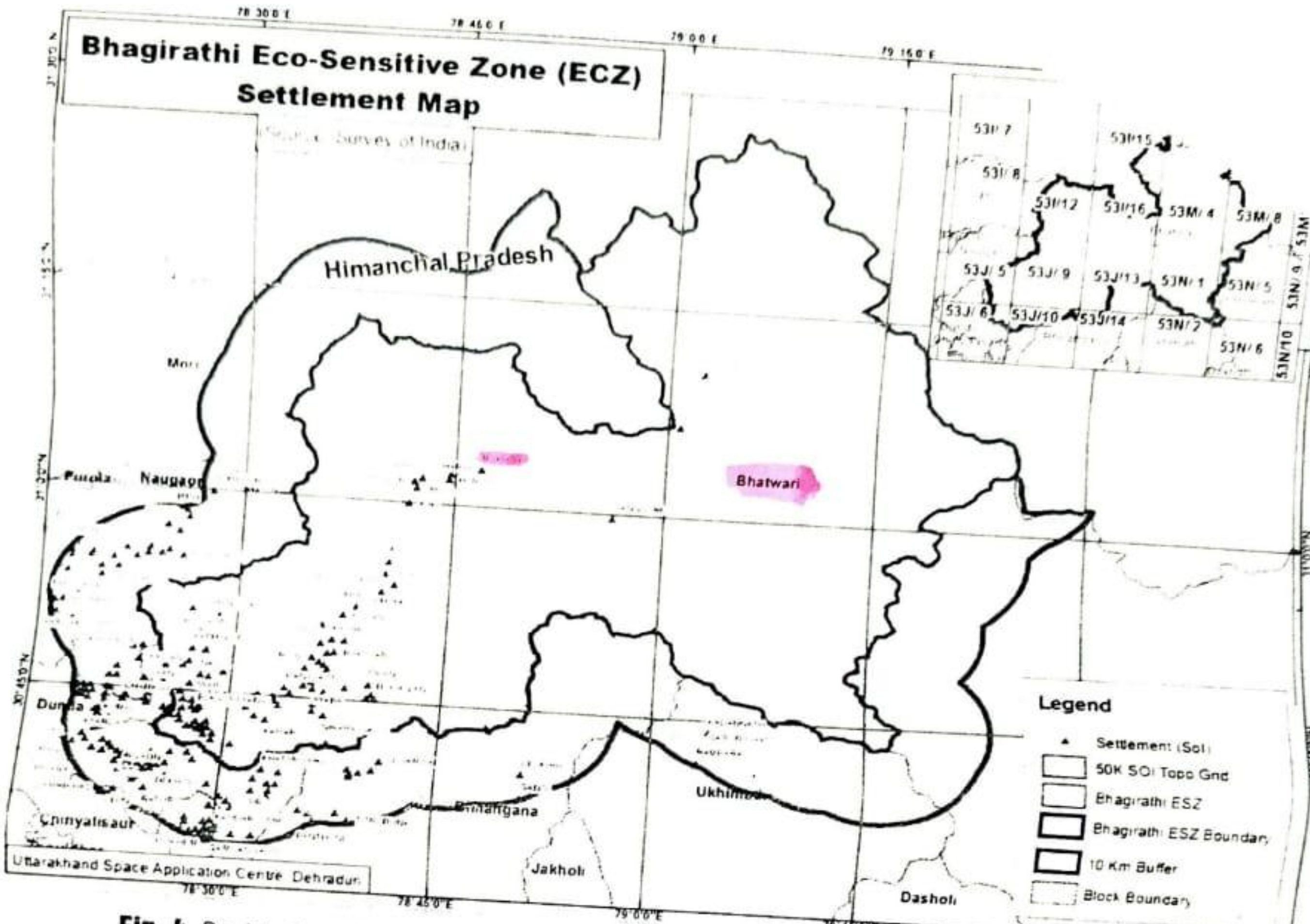

Fig. 4. Depicts the villages within the ESZ and 10 km beyond as per the Survey of India's toposheet.

PHYSIOGRAPHY

The entire catchment of Bhagirathi from Gaumukh to Uttarkashi has been included in the ESZ. Located in the upper Himalaya, the notified area of the Bhagirathi Eco-sensitive Zone is an interwoven, interdependent fragile Ganga-Himalayan Basin. Geographically the area falls under the Garhwal Lesser Himalaya and Higher Himalaya. The Main Central Thrust (MCT) separates the Lesser Himalayan Formations from the overlying Higher Himalayan Munsiari group of rocks and Vaikrita Thrust separates the Munsiari Formation from the overlying Joshimath Formation. The thrust zones are highly crushed and show unstable slopes along the strike. Several minor irregularly oriented faults are also present. The degree of slope in the region ranges from gentle (16^0 to 25^0) to escarpment/cliff ($>45^0$).

A significant part of the Eco-senstive Zone lies in high to very high hazard landslide zone. After the recurrent disasters of 2012 and 2013, many old landslides have become active and many new landslides have come in to existence. Landslide Hazard Zonation Map of this area classifies most of the area under "High" to "Very High" hazard zones [GIS-based Landslide Hazard Zonation in the Bhagirathi (Ganga) Valley, Himalayas - int. j. remote sensing, 2002, vol. 23, no. 2, 357–369]. Among the various natural hazards, landslides are the most widespread and damaging. They cause loss of life and property, damage to natural resources (e.g. vegetation, land and soil) and hamper developmental projects like roads, bridges and communication lines, etc. Apart from this, lots of inconvenience is caused to the travelers by way of frequent disruption of road-network. It

प्रति हस्ताक्षरित

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

वेस श्री

Annexure No. RJ 17 : Judgement of Tehsildaar Bhatwari, Uttarkashi, dated on 27.07.2016.

(10)

नकल न्यायालय तहसीलदार भटवाड़ी उत्तरकाशी

वाद खाता वाद संख्या- 393/2014-15 37/15-16 अन्तर्गत धारा 34 35 क्र०

वादी- अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी,

बनाम

प्रतिवादी - जयानन्द प्रसाद पुत्र महेशानन्द निवासी ग्राम भुखवा पट्टी टकनौर तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी।

नकल निर्णय/आदेश दिनांक 27-07-2016 की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है।

?/8/2017

न्यायालय .... वाद सं० .... बनाम .... सन ....

बसन्ती

न्यायालय तहसीलदार भटवाडी

सख्या–35/15–16 अन्तर्गत।

वादी : अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग भटवाडी [illegible] भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी।

धारा 34/35 भू अधिनियम

बनाम

प्रतिवादी : जयन्ती प्रसाद पुत्र महेशानन्द निवासी ग्राम मुखवा पट्टी टकनौर तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी।

आपत्तिकर्ता : स्व0 भोलादत्त सेमवाल प्रतिस्थापित आपत्तिकर्ता श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी भोलादत्त, उमारमण, रमारमण, वैंकटरमण पुत्रगण भोलादत्त निवासी ग्राम मुखवा पट्टी टकनौर तहसील भटवाडीं जिला उत्तरकाशी।

ग्राम जहां भूमि स्थित है – मुखवा

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद पंजीकृत बयनामा दस्तावेज संख्या 235/15 दिनांक 10.03.2015 के आधार पर पंजीकृत किया गया, नियमानुसार घोषणा पत्र जारी किया गया है, घोषणा पत्र बाद तामिली होकर पत्रावली में आमद है, वाद के विरोध में स्व0 भोलादत्त सेमवाल प्रतिस्थापित आपत्तिकर्ता श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी भोलादत्त, उमारमण, रमारमण, वैंकटरमण पुत्रगण भोलादत्त निवासी ग्राम मुखवा पट्टी टकनौर तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी द्वारा आपत्ति पेश की गई। वादी पक्ष की ओर से वाद की पैरवी में कोई भी विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित नही आये है और न ही कोई मौखिक एव लिखित साक्ष्य प्रार्थना पत्र/मूल प्रस्तुत नहीं किए गए है जिससे स्पष्ट है कि वादी पक्ष को इस सम्बन्ध में कुछ नही कहना है। आपत्तिकर्तागणों ने अपनी आपत्ति में उल्लेख किया है कि वादी ने मौजा मुखवा के दावी ख0नं0 1435/0.034, एवं 1436/0.015हे0 के सम्बन्ध में उपरोक्त दा0खा0 कार्यवाही गतिमान करवा रखी है जबकि दावी भूमि पर आपत्तिकर्ता बन्दोबस्त से पूर्व से विरासतन निरन्तर शान्ति पूर्वक तरीके से आज दिन तक काबिज-काश्त चला आ रहा है। दावी खसरा नम्बरान् 1435 एवं 1436 वही खसरा नम्बरान है जिन पर सन् 1947 अर्थात सन् सम्वत 2004 में आपत्तिकर्ता के दादा पंडित विद्यादत्त सेमवाल ने थली (भवन निर्माण हेतु समतल की गई भूमि) ठेकेदार के माध्यम से बनाई थी इस खेत को ग्राम मुखवा के लोग थली दारत्या के नाम से जानते है इसी थली के पूरबी भाग को सन् 1993 में प्रतिवादी जयन्ती प्रसाद पुत्र महिमानन्द ने अपना खेत बताया जिसे दिं0 13.11.1993 की लिखत के अनुसार जो लक्ष्मी पूजन के पर्व पर गंगोत्री धाम में गवाहन श्री पूर्णानन्द सेमवाल और मनोज कुमार सेमवाल के समक्ष श्री महिशानन्द रतूड़ी ग्राम भटवाड़ी हाल गंगोत्री धाम के हस्तलेख में बनाई गई थी जिसके तहत मु0 3200.00 रू0 की नगद धनराशि प्रतिवादी जयन्ती प्रसाद पु0 महेशानन्द को भुगतान की गई थी। दिं0 23.02.2015 को आपत्तिकर्ता द्वारा वादी के कार्यालय भटवाड़ी में उपरोक्त खसरा नम्बरान् के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी किन्तु इसके बावजूद भी वादी द्वारा दिं0 10 03.2015 को राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी जयन्ती प्रसाद के नाम की इन्द्राजी की आड में दावी ख0 नम्बरान् का [illegible] सरासर गलत गैर–कानूनी और फर्जी तरीके से अपने पक्ष में पंजीकृत करवाया गया जो सरासर [illegible] है। आपत्तिकर्ता की आपत्ति को कोई तवज्जो न देकर दाखिल खारिज किया गया कृत अवैधानिक है, आपत्तिकर्ता ने दिं0 30.03.2015 को कब्जा–तस्दीक हेतु एक प्रार्थना पत्र उपजिलाधिकारी महोदय भटवाडी का प्रस्तुत किया था जिसके कम में राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व उपनिरीक्षक ने स्थलीय निरीक्षण कर तत्सम्बंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, राजस्व अधिकारियो ने अपनी उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया है कि दावी भूमि पर आपत्तिकर्ता का विरासतन कब्जा–काश्त चला आ रहा है। आपत्तिकर्ता का दावी भूमि पर फलदार पेडो का एक [illegible] ने बयनामें में फलदार वृक्षो की लेस–मात्र भी उल्लेख नही किया गया है जबकि सेब के वृक्ष अभी भी मौके पर मौजूद है, सारत आपत्तिकर्ता ने अपनी आपत्ति में उल्लेख किया है कि दावी भूमि आपत्तिकर्ता के काश्त–कब्जे की है, प्रतिवादी का कभी भी उक्त भूमि पर काश्त–कब्जा नही रहा है और इस सम्बंध में इनका माननीय असि0 कलेक्टर महोदय भटवाड़ी के न्यायालय में अर्न्तगत धारा 229(बी) ज0वि0अधि0 के तहत गतिमान है और उक्त दा0खा0 वाद को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

आपत्तिकर्ता ने अपनी आपत्ति के समर्थन में प्रतिवादी जयन्ती प्रसाद एवं भोलादत्त के बीच हुई लिखत दिं0 13.11.1993 की छायाप्रति, माननीय असि0 कलेक्टर भटवाड़ी के न्यायालय मे गतिमान वाद सख्या 46/2014–15 अर्न्तगत धारा 229(बी) ज0वि0अधि0 भोलादत्त सेमवाल बनाम जयन्ती प्रसाद के प्रार्थना पत्र की सत्यप्रतिलिपि, राजस्व उपनिरीक्षक एवं राजस्व निरीक्षक की जांच आख्या दिं0 13.04.2015 व दिं0 14.04.2015 की प्रमाणिक छायाप्रतियां तथा लोक सूचना अधिकार अधि0 2005 के अर्न्तगत अधि0 अभि0 प्रा0ख0लो0नि0वि0 भटवाडी से प्राप्त सूचना पत्र संख्या 1114/[illegible] दि0 02.06.2015 श्री भोलादत्त सेमवाल का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आपत्तिकर्ता बसन्ती देवी का [illegible]

आपत्तिकर्ता बसन्ती देवी ने अपने लिखित बयान में सारतः उल्लेख किया है कि ख0 नम्बरान् 1435 व 1436 वाद संख्या 46/015 के तहत ज0वि0अधि0 की धारा 229 (बी) में माननीय असिस्टेन्ट कलेक्टर भटवाडी के न्यायालय में विचाराधीन है ख0न0 1435 व 1436 आपत्तिकर्ता के स्वतः मालिकाना काश्त की भूमि है जिस पर फलदार सेब के वृक्ष है जिसकी पुष्टि राजस्व विभाग, ग्राम सभा मुखबा एवं दाखिला प्राप्त करने वाले विभाग लो0नि0वि0 द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। लो0नि0वि0 ने ख0नं0 1435 व 1436 के समरेखण हटाकर दूसरे खेतो में सडक का निर्माण कर बयनामाकर्ता जयन्ती प्रसाद से प्रतिकर वसूली हेतु पत्र जारी कर दिया गया है। और न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि ख0न0 1435 व 1436 का दाखिल खारिज तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाय।

मैंने पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं परीक्षण किया, वादी पक्ष द्वारा नामान्तरण वाद योजित करने के बाद वाद की कोई पैरवी नही की गई है और न ही बयनामा दस्तावेज एवं उद्धरण खतौनी के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है, वादी पक्ष को न्यायहित मे साक्ष्य पेश करने हेतु प्रर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु इसके बावजूद भी वादी पक्ष द्वारा वाद की पैरवी नही की गई और न ही कोई साक्ष्य पेश किया गया। आपत्तिकर्ता ने अपनी आपत्ति के समर्थन मे प्रतिवादी जयन्ती प्रसाद एवं भोलादत्त के बीच हुई लिखत दिं0 13.11.1993 की छायाप्रति, माननीय असि0 कलेक्टर भटवाड़ी के न्यायालय में गतिमान वाद संख्या 46/2014–15 अर्न्तगत धारा 229(बी) ज0वि0अधि0 भोलादत्त सेमवाल बनाम जयन्ती प्रसाद के प्रार्थना पत्र की सत्यप्रतिलिपि, राजस्व उपनिरीक्षक एवं राजस्व निरीक्षक की जांच आख्या दिं0 13.04.2015 व दिं0 14.04.2015 की प्रमाणिक छायाप्रतियां तथा लोक सूचना अधिकार अधि0 2005 के अर्न्तगत अधि0 अभि0 प्रा0ख0लो0नि0वि0 भटवाड़ी से प्राप्त सूचना पत्र संख्या 1114/लो0सू0अ0 दि0 02.06.2015 श्री भोलादत्त सेमवाल का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आपत्तिकर्ता बसन्ती देवी के लिखित बयान प्रस्तुत किए गए है। आपत्तिकर्ता द्वारा साक्ष्य मे पेश किए गए अभिलेखो के अनुसार दावी भूमि पर आपत्तिकर्ता का काश्त–कब्जा का उल्लेख किया गया है। वादी पक्ष द्वारा वाद की पैरवी न करने, बयनामा दस्तावेज व कब्जा के सम्बध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि वादी पक्ष को इस सम्बंध में कुछ नहीं कहना है जिस कारण वादी का नामान्तरण वाद निरस्त कर निम्नवत आदेश पारित किये जाते है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत बयनामा दस्तावेज की पुष्टि मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने वाद की पैरवी में उपस्थित न होने तथा आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार दावी भूमि पर वादी का कब्जा न होने से वादी का वाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली वाद अभिलेखागार में संचित हो।

दिनांक : 21.07.2016

(कल्याण सिंह पोखरियाल)
तहसीलदार
भटवाड़ी

19-8-17

बसन्ती

Annexure No. RJ 18 : Witness Affidavits in Case No.65/2017.

न्यायालय सिविल जज (सी० डि०) उत्तरकाशी — No-5

मुकदमा वा०सं० – 65/2017

बसन्ती देवी V/s अनि० अभि० आदि

शपथ पत्र, PW-1 की छायाप्रतिलिपि संलग्न की गई है

बसन्ती

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय, उत्तरकाशी

व्या0वा0सं0-65 सन-2017

बसन्ती देवी

बनाम

अधि0अभि0 लो0नि0वि0 आदि

2018 AFFIDAVIT 181600 DISTRICT COURT UTTARAKHAND ₹ 1/-

शपथपत्र

शपथकर्ता- उमारमन सेमवाल पुत्र स्व0 श्री भोलादत सेमवाल उम्र 42 वर्ष ग्राम-मुखवा पो0-हर्षिल, त0-भटवाडी, जनपद-उत्तकाशी ईश्वर को साक्षी मानकर निम्नलिखित शपथपत्र सेवा में प्रस्तुत करता है।

1. यह कि दावी भूमि ग्राम मुखवा के दारात्या नामक तोक पर शपथकर्ता की पुस्तैनी थली है। जिसे ग्राम मुखवा के लोग थली दारत्या नाम से जानते हैं, तथा जिस पर शपथकर्ता के माता-पिता द्वारा लगाया गया सेब आदि का बगीचा है। दावी भूमि पर शपथकर्ता का परिवार पीढियों से निन्तर शान्तिपूर्ण काबिज-काश्त चले आ रहे हैं।
2. यह कि दावी खेत-खसरा सं0 1435 व 1436 प्रतिवादी सं0 01 (लो0नि0वि0) के कर्मचारियों द्वारा मौके पर पैरा सं0 01 में वर्णित भूमि शपथकर्ता की पुस्तैनी थली दारत्या के अर्न्तगत बताया गया है, तथा यह भी बताया गया कि उक्त खेत-खसरा नम्बरान स्व0 जयन्ती प्रसाद के नाम अंकित हैं जिसका बयनामा प्रतिवादी सं0 01 (लो0नि0वि0) को कर सिर्फ राजस्व अभिलेखों में नाम की इन्द्राजी की आड में प्रतिकर हडपा गया है।
3. यह कि शपथकर्ता के पिता स्व0 भोलादत को मौके पर राजस्व कर्मियों व प्रतिवादी सं 01 के कर्मचारियों ने खेत खसरा नम्बरान 1435 व 1436 को इसी वर्णित जमींन के अर्न्तगत बताया जोकि दारात्या नामे तोक में स्थित है।
4. यह कि शपथकर्ता के पिता स्व0 भोलादत ने बताया था कि उक्त जमींन लगभग 65-70 वर्ष पूर्व शपथकर्ता के परदादा विघादत ने उक्त थली भवन निर्माण हेतु तैयार की थी; जिसके संम्बन्ध में संम्बत 2004 यानि सन 1947 की लिखत वादपत्रावली में संलग्न है। किन्तु कतिपय कारणों से वह यहाँ भवन निर्माण न कर सके तदक्रम में पीढी दर पीढी दावी भूमि एंव वर्तमान में फलदार सेब के बगीचे के रूप में शपथकर्ता के स्वतंत्र काबिज-काश्त में है।
5. यह कि शपथकर्ता के पिता स्व0 भोलादत ने बताया कि उक्त जमींन के पूर्वी भाग को वर्ष 1993 में स्व0 जयन्ती प्रसाद ने अपने पूर्वजों द्वारा शपथकर्ता के पूर्वजों के पास आयी बताया जिसमें पंचायतनामा (लिखत) के प्रतिफल स्वरूप मु0 3200(तीन हजार दो सौ)रू0 शपथकर्ता के पिता द्वारा प्रतिवादी सं0 02 03 के पिता व 04 के पति स्व0 जयन्ती प्रसाद को भुगतान करना बताया गया जिसकी लिखत भी वादपत्रावली में संलग्न है। कि शपथकर्ता के स्व0 पिता के द्वारा यह भी बताया गया था कि वर्ष 1993 की लिखत स्व0 जयन्ती प्रसाद द्वारा स्वस्थ एवं स्वस्थिरचित मन व बुद्धि के रहते हुए उनके वास्तविक हस्ताक्षरों द्वारा निष्पादित की गई थी। वर्णित लिखत के तथ्य का स्व0 जयन्ती प्रसाद द्वारा अपने जीवित रहते हुए राजस्व न्यायालय भटवाडी उत्तकाशी में मयशपथपत्र कोई जबाव-दावा नहीं दिया गया है, और नाही उससे पूर्व अप्रैल 2015 मे शपथकर्ता के पिता स्व0 भोलादत द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से भेजे गया नौटिस का कोई भी खण्डन नहीं किया गया था।
6. यह कि वर्णित दावी भूमि शपथकर्ता के स्वतंत्र काबिज-काश्त एंव फलदार सेब आदि के बगीचे के रूप में आज भी आबाद है। फलदार सेब का बगीचा शपथकर्ता के संयुक्त परिवार का जीविकोपार्जन का साधन भी है, कब्जे व बागभूमि के तथ्यों को छिपाकर यह बयनामा किया गया है, जिस कारण आज भी बगीचे के अस्तित्व के लिए संकट बना है, इसीलिए बयनामा खण्डित होना एवं बागभूमि की सुरक्षा हेतु प्रतिवादीगणों को दावी बागभूमि पर सदाकाल के लिए निषिद्ध किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है, ताकि भविष्य में उक्त बयनामा दावी बागभूमि पर शपथकर्ता के परिजनों हेतु कारित होने वाली क्षति का कारण न बन सके।

बसन्ती

7 कि शपथकर्ता के माता–पिता श्रीमती बसन्ती देवी / स्व0 भोला दत को मार्ग निर्माण के दौरान प्रतिवादी स0 1 के अधिकारी व कर्मचारी के उक्त खेत खसरा नम्बरान पर मिले, शपथकर्ता के माता–पिता द्वारा दावी भूमि पर अपने फलदार सेब के बगीचे को सड़क निर्माण हेतु काटने नहीं दिया गया। जिस कारण प्रतिवादी स0 01 द्वारा शपथकर्ता के माता पिता के दावे की मौके पर ही वास्तविकता का जानकर समरेखण बदलकर मार्ग निर्माण किया गया।

8 कि दावी भूमि पर जो फलदार सेब आदि का बगीचा है, उस पर शपथकर्ता के माता–पिता श्रीमती बसन्ती देवी / स्व0 भोलादत का बयनामा से पूर्व से आज तक दावा करते आ रहे है, जिसे प्रतिवादी पक्षकारो ने भी विभिन्न कागजी दस्तावेजों में स्वीकार किया है। जो कि वादपत्रावली में संलग्न है।

ह0 शपथकर्ता

मै कि उपरोक्त शपथकर्ता इस शपथपत्र के माध्यम से सत्यापित करता हूँ कि कोई भी तथ्या छिपाया या तोडा–मरोडा नही गया है; प्रस्तर सं0 01 से 09 तक वर्णित सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। कोई भी तथ्य छिपाया या तोडा –मरोडा नहीं गया है, आज दि0.21. 08. 2018 को न्यायालय परिसर उतरकाशी में हस्ताक्षरित कर सत्यापित किया।

दि0.21.08.2018

ह0 शपथकर्ता

Identified by me
Adv

PHOTO STAT
TRUE COPY
HEAD COPYIST
COPYING DEPARTMENT
DIST. JUDGE COURT
UTTARKASHI

(Uttarakhand)

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), उत्तरकाशी N.7

व्यवहार वाद सं०- 65 सन् 2017

बसन्ती देवी - बनाम अधि० अभि० लो०नि० वि० आदि

शपथ पत्र. PW.7 की सत्यप्रतिलिपि संलग्न कोलियो है

बसन्ती

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय उत्तरकाशी

व्य0 वा0 सं0 – 65 सन–2017

बसन्ती देवी

बनाम

अधि0अभि0 लो0नि0वि0 आदि

2019 AFFIDAVIT 194834 DISTRICT COURT UTTARAKHAND

शपथपत्र

शपथकर्ता:– धर्मानन्द सेमवाल पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मी प्रसाद सेमवाल उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम–मुखवा प0–टकनौर त0–भटवाडी जनपद–उत्तरकाशी।

मैं कि उपरोक्त शपथकर्ता ईश्वर को साक्षी मानकर निम्नलिखित शपथपत्र शपथपूर्वक न्यायालय श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत करता है:–

1. कि शपथकर्ता ग्राम मुखवा के दारत्या नामे तोक का काश्तकार है। शपथकर्ता के खेत का खसरा न0 1439 है; जिसका अधिकांश भाग सडक निर्माण में कट चुका है। इसी खेत के ठीक पूर्वी/पूर्वोत्तर भाग से लगी वादिनी बसन्ती देवी पत्नी स्व0 भोलादत पुत्र स्व0 पुरूषोतम दत की "थली दारत्या" नामक पुस्तैनी जमींन है। जिस पर शपथकर्ता ने वर्णित व्यक्ति के परिजनों को ही आजीवन काश्त करते देखा हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति एवं परिजनों को काश्त करते नहीं देखा है।
2. कि शपथकर्ता ने आज से 23–24 वर्ष पूर्व स्व0 भोलादत व उनकी पत्नी बसन्ती देवी को उक्त जमींन पर सेब का बगीचा लगाते देखा एवं तब से अब तक बगीचे की परवरिश करते देखा है। फलदार सेब के बगीचा लगवाने व उनकी परवरिश करते हुए वादिनी बसन्तीदेवी; भोलादत व उनके परिजनों का शपथकर्ता प्रत्यक्षदर्शी है।
3. कि शपथकर्ता ने वर्ष 2015 में सरकारी कर्मचारियों को कई बार इसी थली दारत्या पर आते–जाते देखा व राजस्व अभिलखों में दावी खेतों को स्व0 जयन्ती प्रसाद के नाम दर्ज सुना साथ ही यह भी सुना कि उक्त जमींन का बयनामा लो0नि0वि0 को किया गया है।
4. कि इस जमींन को एवं इस पर लगे फलदार सेब के बगीचे को बसन्ती देवी व उनके स्व0 पति भोलादत ने सडक निर्माण हेतु नहीं कटने दिया; जिस कारण उक्त भूमि पर लो0नि0वि0 ने समरेखण हटाकर दूसरे खेतों से सडक निर्माण किया।

दि0 16/04/19 ह0 शपथकर्ता

नीरज कुमार सिविल जज (सी0डि0) उत्तरकाशी 16-04-19

मैं कि उपरोक्त शपथकर्ता यह सत्यापित करता हूँ कि प्रस्तर सं0 01 से प्रस्तर सं0 04 तक वर्णित समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। पढ; सुन व समझकर आज दि0........................ को न्यायालय परिसर उतकाशी में हस्ताक्षरित कर सत्यापित किया।

दि0 16/04/19 ह0 शपथकर्ता

Solemnly Affirmed by the deponent Shri Dharmanand Semwal Identified by S.K. Joshi Adv. today 16/04/2019 at UKI ... who ...

PHOTO STAT TRUE COPY HEAD COPYIST COPYING DEPARTMENT

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), उत्तरकाशी N.7

व्यवहार वाद सं० - 65 सन् 2017

बसन्ती देवी बनाम अधि० अभि० लो०नि०वि० आदि

बयान P.W.9 सत्यप्रतिलिपि संलग्न फोटोकॉपी है

बसन्ती

141क

दिनांक–20.08.2019

पी0डब्ल्यू0–9

न्यायालय–सिविल जज, (सी0डि0), जिला उत्तरकाशी।

~~फौजदारी~~ दीवानी वाद सं0–65/2017

बसन्ती देवी विरूद्ध अधि0अभि0लो0नि0वि0 आदि।

सी0एन0आर0 सं0.–UKUT010003302017

नाम पता साक्षी– श्री कल्याण सिंह पोखरियाल तत्कालीन राजस्व निरीक्षक भटवाड़ी पुत्र स्व0 श्री भोला सिंह उम्र 62 वर्ष जिला उत्तरकाशी।

सशपथ बयान किया कि– मुझे तहसीलदार भटवाड़ी के कार्यालय से दिनांक 13.04.2015 को राजस्व उपनिरीक्षक मुखवा की जांच रिपोर्ट परीक्षण हेतु मुझे दी गयी और दिनांक 14.04.2015 को जांच हेतु मौके पर ग्राम मुखवा गया। मेरे साथ मौके पर सुनील चमोली, राजस्व उपनिरीक्षक मुखवा एवं आस–पास के कास्तकार भी उपस्थित थे। मौके की स्थिति के अनुसार दिनांक 14.04.2015 को जांच रिपोर्ट मेरे द्वारा पत्रावली पर संलग्न कागज सं0–12ग/2 ता 12ग/3, जो कि राजस्व उपनिरीक्षक की रिपोर्ट है, के पृष्ठ भाग पर ही मेरी भी जांच आख्या है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। राजस्व उपनिरीक्षक सुनील चमोली की रिपोर्ट पर किये गये हस्ताक्षर की मैं पहचान करता हूं। उक्त राजस्व उपनिरीक्षक मेरे अधीन सेवारत था। स्व0 श्री भोलादत्त सेमवाल के प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम मुखवा का खसरा सं0–1435, 1436 कुल क्षेत्र 0.049 है0 भूमि का मौका किया गया, तो आस–पास के कास्तकारों द्वारा बताया गया कि उक्त खसरा नम्बर पर स्व0 श्री भोलादत्त सेमवाल का कब्जा है, जिस पर उनका सेब का बगीचा है और मौके पर यह भी पता चला कि दिनांक 13.11.1993 को स्व0 भोलादत्त ने जयन्ती प्रसाद से रू0 3,200/– में लिखत के माध्यम से क्रय किया गया है। मेरी विस्तृत आख्या पत्रावली में सम्मिलित है।

X......................X..................X...............X

विपक्षी सं0–01 व 05 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल चन्द रमोला, डी0जी0सी0 सिविल द्वारा प्रतिपरीक्षा – उनके कथन पर प्रतिपरीक्षा निल की जाती है।

विपक्षी सं0–02,03,04 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एस0सी0 रमोला द्वारा प्रतिपरीक्षा – मुझे ध्यान नहीं है कि किस प्रार्थना पत्र की जांच राजस्व उपनिरीक्षक श्री सुनील चमोली व मेरे द्वारा की गयी, वह मूल प्रार्थना पत्र पत्रावली पर है या नहीं। गवाह ने पत्रावली देखकर कहा कि वह प्रार्थना पत्र

नीरज कुमार
सिविल जज (सी0डि0)
उत्तरकाशी

बसन्ती

पत्रावली पर नहीं है। किसी भूमिधर की भूमि का स्थानान्तराण अन्य के नाम बयनामा रजिस्टर्ड से, वसीयत रजिस्टर्ड से, विनिमय से, क्रय से होता है। यह सही है कि किसी भी अभिलेख को रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। यह सही है कि किसी भूमि पर यदि किसी कास्तकार का कब्जा चला आ रहा हो तो उसका नामान्तरण 229बी ज0वि0 अधिनियम के तहत होता है। यह कहना गलत है कि बिना किसी न्यायालय के आदेश या सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना कोई भी लेखपाल या राजस्व कर्मचारी किसी भी कास्तकार के खेत को हस्तान्रण नहीं हो सकता है। सरकार जब किसी भूमि को अधिकृत करती है तो उसका प्रतिकर की राशि सम्बन्धित भूमिधर को दी जाती है।

आज यह बयान मेरे बोलने पर आशुलिपिक द्वारा लिखा गया।

सुनकर तस्दीक किया।

दिनांक–20.08.2019

नीरज कुमार
सिविल जज (सी0डि0)
उत्तरकाशी
20.8.19

PHOTO STAT
TRUE COPY
HEAD COPYIST
COPYING DEPARTMENT
DIST. JUDGE COURT
UTTARKASHI

10.02.2025

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), उत्तरकाशी No-5

मूलवाद वाद सं० – 65 / 2017

बसन्ती देवी बनाम अधि० अधि० आदि

शपथ पत्र PW.5 की सत्यप्रति संलग्न कीं लिये है

बसन्ती

न्यायालय श्रीमान सिविल जज(सी0डि0) महोदय उत्तरकाशी

न्या0 वा0 सं0 – 65 सन् 2017

बसन्ती देवी

बनाम

अधि0अभि0 लो0नि0वि0 आदि

शपथ पत्र

शपथकर्ता चक्रधर सेमवाल पुत्र स्व0 श्री श्रीधर प्रसाद सेमवाल, उम्र 60वर्ष ग्राम मुखवा पो0 टकनौर त0 भटवाड़ी जनपद उत्तरकाशी।

उपरोक्त शपथकर्ता ईश्वर को साक्षी मानकर निम्नलिखित शपथपत्र शपथपूर्वक न्यायालय श्रीमान की सेवा मे प्रस्तुत करता हूँ:-

1. कि शपथकर्ता ग्राम मुखवा के दारत्या नामे तोक का काश्तकार है, शपथकर्ता का खेत खसरा न0 1434 है।
2. कि पैरा सं0 01 मे वर्णित खेत के पूर्वी भाग से लगी वादीगण की पुस्तैनी "थली दारत्या" नामक जमीन है; जिस पर शपथकर्ता ने आजीवन वादिनी बसन्ती देवी पत्नी स्व0 भोलादत पुत्र पुरूषोतमदत के परिवार को ही काबिज–काश्त देखा है। इनके परिवार के अतिरिक्त किसी भी अन्य परिवार को कभी भी वर्णित जमीन पर काबिज–काश्त नहीं देखा है।
3. कि शपथकर्ता ने आज से 23–24 वर्ष पूर्व वर्णित जमीन पर स्व0 भोलादत व उनकी पत्नी बसन्ती देवी को सेब का बगीचा लगाते देखा एवं तब से अब तक उक्त बगीचे की परवरिश करते देखा है। जो कि वर्षो से फल दे रहा है। इसका शपथकर्ता प्रत्यक्षदर्शी है।
4. कि शपथकर्ता को वर्ष 2015 में राजस्व टीम व लो0नि0वि0 के कर्मचारियों द्वारा मौके पर पता चला कि उक्त खेत–खसरा नम्बरान 1435 व 1436 पैरा सं0 02 में वर्णित "थली दारत्या" नामक जमीन के अन्तर्गत हैं; एवं राजस्व अभिलेखों में स्व0 जयन्ती प्रसाद के नाम अंकित है; जिसका बयनामा लो0नि0वि0 को कर दिया गया है।
5. कि बसन्ती देवी व भोलादत सेमवाल द्वारा उक्त वर्णित भूमि व उस पर लगाये गये अपने फलदार सेब के बगीचे को सडक निर्माण हेतु नहीं काटने दिया गया जिस कारण लो0नि0वि0 को सडक का समरेखण बदलने हेतु बाध्य होना पडा।

दि0 27-05-2019

ह0 शपथकर्ता

नीरज कुमार
सिविल जज (सी0डि0)
उत्तरकाशी

मैं कि उपरोक्त शपथकर्ता यह सत्यापित करता हूँ कि शपथपत्र में प्रस्तर सं0 1 से प्रस्तर 05 तक वर्णित सभी तथ्या मेरी निजी जानकारी में सही एंव सत्य है; पढ, सुन व समझकर, आज दि0 27-05-2019 को न्यायालय परिसर उत्तरकाशी में हस्ताक्षरित कर सत्यापित किया।

दि0

ह0 शपथकर्ता

Solemnly affirmed by the deponent Shri/Smt Chakardhar semwal identified by self today dated 27-5-19 at Uki ... contents of the ... who admitted ... the deponent

Identified by me

PHOTO STATE TRUE COPY

HEAD COPYIST
COPYING DEPARTMENT
DIST. JUDGE COURT
UTTARKASHI

बसन्ती

Annexure No. RJ 19 : Inquiry Report by the SP/DSP, Uttarkashi Through CM Helpline Portal Uttarakhand (Letter No. R-CO-Inquiry-114/2025 – dated 14.07.2025)

1905 उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन

ITDA

ABOUT US | GOVERNMENT ORDER | PRIVACY POLICY | CONTACT US | REGISTER COMPLAINT | LODGE CPGRAMS GRIEVANCE | TRAINING MANUAL | PROFILE | MY COMPLAINTS

Profile | My Complaints | Complaint # CMHL-032025-7-710245 | My CP Gram Complaints

REGISTERED COMPLAINT

Complaint Term	Court Matter (कोर्ट के संबंध में)
Department	लोक निर्माण विभाग
Sub Department	लोक निर्माण विभाग
Attributes	भूमि अधिग्रहण/ मुआवजा राशि (लोक निर्माण विभाग)
District	उत्तरकाशी
Block	प्रान्तीय खण्ड, भटवारी
Complaint Source	Portal
Complaint Date	15-Mar-2025
Assigned Date	30-Jun-2025
Assigned Officer	Diwakaran Singh Hyanki - L3
Complaint Summary	महोदय, मैं बसंती देवी, ग्राम मुखवा,हर्षिल,तहसील भटवाड़ी,उत्तरकाशी, शिकायत करती हूँ कि PWD भटवाड़ी व अन्य अधिकारियों द्वारा बिना सूचना, हमारे खेत व बगीचे नष्ट कर दिए, जिससे हमारी आजीविका समाप्त हो गई। यह छलपूर्वक किया गया अपराध व माननीय सिविल कोर्ट की PI का उल्लंघन है। हमने 27/01/2025 को SP उत्तरकाशी कार्यालय में FIR हेतु आवेदन दिया, पर पुलिस ने इसे केवल शिकायत पत्र माना। 03/02/2025 को रिमाइंडर भी दिया व सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मिली जानकारी से स्पष्ट हुआ कि पुलिस मामले को सिविल बताकर आरोपियों को बचा रही है। जबकि यह स्पष्ट रूप से आपराधिक श्रेणी में आने वाला कृत्य है। अतः मान्यवर आपसे निवेदन है कि पुलिस द्वारा PWD भटवाड़ी व दोषी अधिकारियों पर तत्काल आपराधिक FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए।
Complaint Current Status	Court Matter
Complaint Last Updated On	18-Jul-2025 09:09 am

CALLER DETAILS

Full Name	Basanti Devi
Gender	Male
Email	semwalabhinavraman2985@gmail.com
Address	ग्राम- मुखवा , पोस्ट - हर्षिल
District	उत्तरकाशी
City	मुखवा
Block	भाटवारी
Pincode	249135

Comment Date	Comment By	Comment	Attachment
18-Jul-2025 01:21 pm	**Andeep Rana** *(Officer)*	The Matter is Pending before Hon'ble National Green Tribunal Court.	
18-Jul-2025 01:21 pm	**Andeep Rana** *(Officer)*	Complaint/Reference assigned to L3 officer - Court Matter	
18-Jul-2025 09:09 am	**Er Harish Pangti** *(Officer)*	Complaint/Reference sent to other Level. - कार्यवाही करें	
15-Jul-2025 04:09 pm	**सरिता डोबाल** *(Officer)*	Transfer To Other Work Area. - शिकायती प्रकरण के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी उत्तरकाशी द्वारा अपनी जाँच आख्या से अवगत कराया गाय कि आवेदिका द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर बिना सूचना के उनके बगीचे व खेत को नुकशान पहुँचाने का उल्लेख किया गया, जो पूर्ण रुप से सिविल प्रवृति का एवं लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित होने के कारण सम्पूर्ण कार्यवाही पीडब्लूडी विभाग से अपेक्षित है।	
03-Jul-2025 06:09 pm	**Rajeev Swarup** *(Officer)*	Complaint/Reference sent to other Level. - प्रश्नगत प्रकरण में उल्लिखित तथ्य/ आरोपों के सम्बन्ध में जांच/ कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।	
03-Jul-2025 06:09 pm	**Rajeev Swarup** *(Officer)*	Complaint/Reference sent to other Level. - प्रश्नगत प्रकरण में उल्लिखित तथ्य/ आरोपों के सम्बन्ध में जांच/ कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।	
30-Jun-2025 03:29 pm	**IASPL55** *(Complaint Reviewer)*	Complaint/Reference assigned to Officer - Rajeev Swarup (L3)	
30-Jun-2025 03:29 pm	**IASPL55** *(Complaint Reviewer)*	उक्त शिकायत पर कार्यवाही आपके विभाग द्वारा ही की जानी है!	
30-Jun-2025 03:29 pm	**IASPL55** *(Complaint Reviewer)*	Complaint/Reference assigned to Officer - सरिता डोबाल (L2)	
30-Jun-2025 03:29 pm	**IASPL55** *(Complaint Reviewer)*	उक्त शिकायत पर कार्यवाही आपके विभाग द्वारा ही की जानी है!	
28-Jun-2025 09:13 pm	**दीपक रावत** *(Officer)*	तीन से अधिक बार कार्यक्षेत्र से बाहर होने के कारण शिकायत को ऑनलाइन रिव्यु हेतु प्रेषित कर दिया गया है!	
26-Jun-2025 11:42 am	**IASPL73** *(Complaint Reviewer)*	Complaint/Reference assigned to Officer - दीपक रावत (L1)	
26-Jun-2025 11:42 am	**IASPL73** *(Complaint Reviewer)*	उक्त शिकायत पर कार्यवाही आपके विभाग द्वारा ही की जानी है!	
25-Jun-2025 09:14 pm	**सरिता डोबाल** *(Officer)*	Transfer To Other Work Area. - शिकायती प्रकरण को अग्रिम कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है।	

बसन्ती

(Letter No. R-CO-Inquiry-114/2025 – dated 14.07.2025)

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक महोदय,
जनपद–उत्तरकाशी।

महोदय,

विषयः– कृपया अपने पत्रांक–शि0प्र0–सी0एम0हे0ला0–27/2025 दिनांक अप्रैल 19, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो ऑनलाईन सीएम–हेल्पलाईन पोर्टल के माध्यम से आवेदिक श्रीमती वसंती देवी निवासी ग्राम मुखवा हर्षिल तह0 भटवाडी जनपद उत्तरकाशी द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र पर आवश्यक कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

शिकायतकर्ताः– आवेदिका श्रीमती वसंती देवी पत्नी स्व भोला दत्त सेमवाल,अल्पना देवी पत्नी स्व वैन्कटरमन ,व आवेदक उमा रमन सेमवाल पुत्र स्व भोला दत्त सेमवाल निवासी ग्राम मुखवा थाना हर्षिल जनपद उत्तरकाशी हाल निवासी गंगोरी वार्ड न0–01 तहसील भटवाडी जनपद उत्तरकाशी।

विपक्षीः– पी0डब्लू0डी अधिकारीयों व कर्मचारियों के विरूद्ध।

आरोपों का संक्षिप्त विवरणः– शिकायतकर्ता श्रीमती वसंती देवी पत्नी स्व0 भोला दत्त सेमवाल,अल्पना देवी पत्नी स्व वैन्कटरमन व आवेदक उमा रमन सेमवाल पुत्र स्व भोला दत्त सेमवाल हाल निवासी गंगोरी वार्ड न0–01 तहसील भटवाडी जनपद उत्तरकाशी द्वारा पीडब्लूडी विभाग पर अपनी जमीन व सेब का वगीचों को नष्ट करने के सम्बन्ध में आरोप लगाये गये हैं।

जांच का विवरणः– महोदय आवेदिका उपरोक्त द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष हर्षिल से आख्या प्राप्त की गई है आख्या के अनुसार जांच अधिकारी द्वारा 1–श्रीमती वसंती देवी पत्नी स्व0 भोला दत्त सेमवाल, 2–अल्पना देवी पत्नी स्व0 वैन्कटरमन, 3–उमा रमन सेमवाल पुत्र स्व0 भोला दत्त सेमवाल निवासीगण ग्राम मुखवा थाना हर्षिल जिला उत्तरकाशी के शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच की गयी तो शिकायतकर्ताओं की ग्राम मुखवा में खसरा नं0–1435 व 1436 से सम्बन्धित भूमि है। उक्त जमीन वर्ष 2015 में पीडब्लूडी भटवाडी ने जयंती प्रसाद व्यक्ति के नाम व उनके नेतांत संदेहात्मक हस्ताक्षर से वैयनामा अपने पक्ष में करवा लिया था। उक्त सम्बन्ध शिकायतकर्ताओं के पूर्वज स्व0 श्री भोलादत्त ने उक्त जमीन को अपने पक्ष में करने हेतु प्रथम असिस्टैंट कलेक्टर भटवाडी के न्यायालय में शिकायत की जिसमें वाद संख्या 46/2015 चला और दिनांक 14.07.2020 को प्रथम असिस्टेंट कलेक्टर भटवाडी द्वारा उक्त जमीन फलदार सेब के वगीचों के आधार पर शिकायतकर्ताओं के पूर्वज को भूमिधर घोषित किया गया तथा दूसरा वाद न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन उत्तरकाशी के न्यायालय में वाद संख्या 65/17 गतिमान था, जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा सेब के वगीचों को वचाने हेतु पीडब्लूडी भटवाड़ी से अनुतोष मांगा गया, जिस पर मा0 न्यायालय सिविल जज

बसन्ती

उत्तरकाशी द्वारा शिकायकर्ताओं के पक्ष में निर्णय किया गया। जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में शिकातकर्ता एवं पीडब्लूडी विभाग के अधिकारी एवं अन्य के बयान लिये गये, जो निम्नवत हैः–

बयान शिकायतकर्ता :– 01– श्रीमती बसंती देवी पत्नी स्व भोला दत्त सेमवाल निवासी ग्राम मुखवा थाना हर्षिल जिला उत्तरकाशी हाल निवासी गंगोरी वार्ड नं0–01 तहसील भटवाडी जनपद उत्तरकाशी उम्र 71 वर्ष ने पुछने पर बताया कि आज मै अपनी थली दारत्या नामक जमीन पर गयी जिसमे पता चला कि उक्त जमीन को पी0डब्लू0डी0 भटवाडी व जिला प्रसाशन द्वारा काट दिया गया है जिसमे मेरे फलदार सेब के पेड थे, जिसको पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया है। जो कुछ पेड बचे भी है वह जडों पर लटक रहे है मै उक्त घटना को देखकर पूर्णतः आहत हुँ मेरे ससुर व पति व बुड ससुर द्वारा तैयार की गयी थली व मेरी पैत्रिक संपदा को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया है जो कि जिला प्रसाशन व पी0डब्लू0डी0 कर्मचारियों द्वारा षडयंत्र के रूप मे किया गया है जबकि हमे कोई सूचना नही दी गयी और ना ही लिखित रूप मे कोई नोटिस दिया गया है।

बयान शिकायतकर्ता 01– उमा रमन सेमवाल पुत्र स्व भोला दत्त सेमवाल निवासी ग्राम मुखवा थाना हर्षिल जिला उत्तरकाशी हाल निवासी गंगोरी वार्ड न0–01 तहसील भटवाडी जनपद उत्तरकाशी उम्र–48 वर्ष मो0नं0–7668241905 ने पूछने पर बताया कि ग्राम मुखवा के दारत्या नामक तोक मे मेरे पूर्वज स्व0 विद्यया दत्त सेमवाल का संवत 2002 यानी सन् 1947 में थली दारत्या नामक जमीन. उपरोक्त तोक पर भवन बनाने हेतु तैयार की गयी थी इस जमीन के अंदर लगभग 03 से 04 खेत खसरा नम्बरान थे। जिनका पता हमे वर्ष 2015 में हुआ जो कि तत्कालीन समय (1947) में हमारे पूर्वज द्वारा घरेलू साँठ–बाँट व घरेलू लिखित के आधार पर ग्राम वासियों द्वारा ली गयी थी दिनांक– 13.11.1993 को जयंति प्रसाद पुत्र महिसानन्द नामक व्यक्ति ने मेरे पिता स्व भोला दत्त से इस थली के पूर्व भाग वाली जमीन की कीमत भी ली थी लिखित 13.11.1993 की न्यायालय श्रीमान असिटेन्ट कलेक्टर भटवाडी की अदालत मे निस्तारित वाद संख्या– 46/2015 मे मूल रूप से संलग्न है तथा इस जमीन पर न्यायालय श्रीमान सिविल जज सिनियर डिविजन उत्तरकाशी के द्वारा निस्तारित वाद संख्या 65/2017 मे सारे अभिलेख लगे है तथा उस कोर्ट ने आधिसाशी अभियांता भटवाडी जिला कलेक्टर उत्तरकाशी आदि के विरूद्द स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश पारित किये गये थे (दिनांक 30.10. 2021) वर्ष 1993 मे मेरे पिता द्वारा सेब का बगीचा इसी जमीन पर लगाया गया था कुछ खेत खसरा और भी थे जिनमे वगीचा लगाया गया था तब से लेकर आज तक हम बगीचे के कास्तकार के रूप मे उक्त जमीन पर काबिज चले आ रहे है दिनांक 25.01.2025 को ग्राम मुखवा के एक whatapp ग्रुप मे

बसन्ती

हमने एक जेसीवी द्वारा उपरोक्त जमीन के लगभग 15 फीट उच्चे व 50 फीट लंबे (लगभग) पत्थरों के पुश्ते को तोडते हुए देखा तथा फलदार सेव के वृक्षों को जेसीवी से उठाकर कंटते व गिरते देखा इस दुर्घटना से सम्पूर्ण परिवार घोर दुख व पीडा मे चला गया अत्याधिक तनाव हो गया इस कारण 27.01.2025 को इस घटना की लिखित सूचना मय कागजात श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरकाशी को उनके कार्यालय मे जाकर रिपोर्ट दी गयी तथा दिनांक 03.02.2025 को पुलिस अधीक्षक महोदय को एक स्मृति पत्र भी दिया गया तथा आज दिनांक 08.02.2025 को मौके पर जाकर देखा तो लगभग 40 पेड पूर्णतः खत्म हो चुके है जो 10–12 पेड खेतों मे बचे है वो भी मरणासन मे है तथा जल्द ही इलाज माँग रहे है मौके पर खेतो को कटवाने का काम आधिसाशी अभियांता पी0डब्लू0डी0 भटवाडी करवा रहे, मौके पर उनके अधिकारी कर्मचारीगण मय जे0सी0बी0 रोलर आदि मिले यह पी0डब्लू0डी0 व जिला प्रसाशन के षडयंत्र सम्पति नुकासान का हमारे साथ कृत्य है तथा माननीय सिविल जज सिनीयर डिवीजन उत्तरकाशी के निर्णय आदेश बावत स्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 30.10.2021 का उल्लघंन है हमे जीविकोपर्जन व आर्थिकी से वंचित कर दिया गया है बाकि बयान मै अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूँगा।

<u>बयान विपक्षीगण</u>–01–श्री अनिल कुमार सहायक अभियंता पी0डब्लू0डी0 विभाग भटवाडी उत्तरकाशी मो0न0–9837785278 मौके पर मौजूद है ने पूछने पर बताया कि सर मुखवा मन्दिर में दिनांक 05.02.2025 को वीवीआईपी महोदय का भ्रमण एवं दर्शन कार्यक्रम प्रस्तावित है तथा मुखवा में कोई पार्किंग न होने के कारण श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा पार्किंग बनाने हेतु सड़क किनारे जमीन काटने के सम्वन्ध में गंगोत्री मन्दिर समिति के अध्यक्ष व सचिव एवं अन्य लोगों से मौखिक सहमति ली गयी थी । जिस पर गंगोत्री मन्दिर समिति के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा सड़क किनारे की जमीन को काटकर पार्किंग बनाने की मौखिक सहमति दी गयी थी जिस पर पीडब्लूडी विभाग द्वारा सड़क किनारे की जमीन काटकर पार्किंग बनाने का कार्य किया गया है । जिस पर कुछ सेब के पेड़ों को नुकसान हुआ है तथा विभाग द्वारा जमीन के मालिक को जमीन एवं सेब के पेड़ों के नुकसान का मुआवजा दिया जायेगा ।

<u>बयान विपक्षीगण–2</u>– श्री अन्दीप राणा अधिशासी अभियंता पी0डब्लू0डी0 विभाग भटवाडी जिला उत्तरकाशी के मो0नं0–7055570245 पर सम्पर्क करने पर बताया कि सर मुखवा मन्दिर में दिनांक 05.02.2025 को वीवीआईपी महोदय का भ्रमण एवं दर्शन कार्यक्रम प्रस्तावित है तथा मुखवा में कोई पार्किंग न होने के कारण श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा पार्किंग बनाने हेतु सड़क किनारे जमीन काटने के सम्वन्ध में गंगोत्री मन्दिर समिति के अध्यक्ष व सचिव एवं अन्य लोगों से मौखिक सहमति ली गयी थी ।

वसन्त्री

जिस पर गंगोत्री मन्दिर समिति के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा सड़क किनारे की जमीन को काटकर पार्किग बनाने की मौखिक सहमति दी गयी थी जिस पर पीडब्लूडी विभाग द्वारा सड़क किनारे की जमीन काटकर पार्किंग बनाने का कार्य किया गया है । जिस पर कुछ सेब के पेड़ों को नुकसान हुआ है तथा विभाग द्वारा जमीन के मालिक को जमीन एवं सेब के पेड़ों के नुकसान का मुआवजा दिया जायेगा ।

<u>बयान विपक्षीगण–3</u> श्री बृजमोहन पंवार पुत्र सूरत सिंह निवासी ग्राम पाही थाना मनेरी जिला उत्तरकाशी ठेकेदार पीडब्लूडी मौके पर मौजूद नही है के मो0नं0 9068614485 पर संम्पर्क करने पर बताया कि सर पार्किग का कार्य पीडब्लूडी विभाग के अधिकारीयों द्वारा कराया जा रहा है तथा पीडब्लूडी विभाग के अधिकारियों व जिला प्रसाशन के अधिकारीयों ने मौके पर खडे होकर जितनी जमीन काटने को कहा है । मेरे द्वारा उतनी ही जमीन काटी गयी है। मैनें उच्चाधिकीरियों के आदेश का पालन किया है । मेरे द्वारा अपने मन से कोई भी कार्य नहीं किया गया ।

महोदय उपरोक्त शिकायती प्रकरण की जांच के दौरान शिकायतकर्ताओं एवं विपक्षी गणों के वयान एवं पूछताछ की गयी तो पाया कि जमान खसरा संख्या 1435 व 1436 जो पीडब्लूडी विभाग द्वारा वर्ष 2015 जयंती प्रसाद नामक व्यक्ति से अपने पक्ष में बैयनामा कराया गया था, जिस पर शिकायतकर्ता के पूर्वज श्री भोलादत्त सेमवाल द्वारा प्रथम असिस्टेंट कलेक्टर भटवाड़ी एवं सिविल न्यायालय सीनियर डिविजन उत्तरकाशी में शिकायत की गयी जिसमें प्रथम असिस्टेंट कलेक्टर भटवाड़ी के न्यायालय में वाद संख्या 46/15 तथा सिविल न्यायालय सीनियर डिविजन उत्तरकाशी के न्यायालय मे वाद संख्या 65/17 चला जिस प्रथम असिस्टेंट कलेक्टर भटवाड़ी के न्यायालय द्वारा वाद सं0 46/15 में दिनांक 14.07.2020 को फलदार सेब के बगीचों के आधार पर शिकायतकर्ता के पूर्वज को भूमिधर घोषित किया गया तथा न्यायालय सिविल जज उत्तरकाशी द्वारा शिकायकर्ताओं के पक्ष में निर्णय किया गया तथा पीडब्लूडी विभाग के अधिशासी अभियंता भटवाड़ी आदि के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 31.10.2021 को जारी की गयी। महोदय दिनांक 05.02.2025 को मुखवा में स्थित गंगोत्री माता का शीतकालीन प्रवास के दर्शनार्थ हेतु वीवीआईपी महोदय का भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित था जिसमें काफी संख्या में भीड़–भाड़ होने की सम्भावना थी तथा मुखवा में कोई पार्किंग न होने के कारण वीवीआईपी महोदय की सुरक्षा व्यवस्था को मद्येनजर रखते हुए पार्किंग बनाया जाना अति आवश्यक था जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा पार्किंग बनाये जाने हेतु गंगोत्री मन्दिर समिति के अध्यक्ष एवं सचिव एवं अन्य लोगों से मुखवा में पार्किंग बनाने हेतु सड़क किनारे की जमीन काटने हेतु सहमति ली गयी जिस पर गंगोत्री मन्दिर समिति के अध्यक्ष एवं सचिव व अन्य लोगों ने पार्किंग बनाने

बसन्ती

हेतु सड़क किनारे की जमीन काटने की सहमति दी गयी थी फिर भी विभाग द्वारा भूमिधरों के जिनकी जमीन पार्किंग बनाने हेतु काटी गयी है उनको जमीन एवं सेब के पेड़ों का उचित मुआवजा सम्बन्धित विभाग से दिया जाना है।

निष्कर्षः— महोदय आवेदिका उपरोक्त द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष हर्षिल से आख्या प्राप्त की गई है, आख्या के अनुसार आवेदिका द्वारा पी0डब्लू0डी0 भटवाडी व अन्य अधिकारियों पर बिना सूचना के उनके बगीचे व खेत को नुकशान पहुँचाने का उल्लेख किया गया है, जो पूर्ण रूप से सिविल प्रकृति का एवं पी0डब्लू0डी0 विभाग से सम्बन्धित होने के कारण सम्पूर्ण कार्यवाही पी0डब्लू0डी0 विभाग से अपेक्षित है। उपरोक्त शिकायत को अग्रिम कार्यवाही हेतु पी0डब्लू0डी0 विभाग को स्थानान्तरित किये जाने हेतु रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

अतः आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

पत्रांक— आर—सीओ—जांच—144 / 2025
दिनांक—जुलाई—14 / 2024

पुलिस उपाधीक्षक
उत्तरकाशी।

वसन्त श्री

Annexure No. RJ 20 :Letter of Respected MLA of Gangotri Vidhan Sabha to Respondents.

पत्रांक– 2127/SM/UKI/25 06 ~~01-08~~–14/02/2025

सदस्य विधान सभा
उत्तराखण्ड

जिलाधिकारी उत्तरकाशी।

अवगत कराना है कि श्रीमती बसन्ती देवी, श्री उमा रमन, श्री रमारमन, श्री अल्पना देवी ग्राम मुखवा पट्टी टकनौर वि0ख0 भटवाड़ी जनपद उत्तरकाशी के संलग्न पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, इनके द्वारा संलग्न पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ग्राम मुखवा के थली दारत्या नामक तोक में उपरोक्त व्यक्तियों का संयुक्त रूप से फलदार सेब का बगीचा एवं बगीचों की सुरक्षा दिवार को लो0नि0विभाग भटवाड़ी के द्वारा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त किया गया है जिससे परिवार को आजीविका का साधन नष्ट हो गया है। जिससे परिवारों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कहा गया कि जिला प्रशासन के आदेश अनुसार मा0 प्रधानमंत्री जी के सम्भावित दौरे के लिये उक्त स्थान पर पार्किंग निर्माण करवाया गया है। जिसका उक्त परिवारों को क्षतिपूर्ती एवं मुआवजा राशी भी प्रदान नही की गई है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा यथाशीघ्र कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः जनहित में श्रीमती बसन्ती देवी, श्री उमा रमन, श्री रमारमन, श्री अल्पना देवी ग्राम मुखवा के थली दारत्या नामक तोक में क्षतिग्रसत फलदार सेब के बगीचे एवं बगीचे की सुरक्षा दिवार की मुआवजा राशी प्रदान कर एवं संलग्न पत्र अनुसार कार्यवाही करवाने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से अवगत करवाने का कष्ट करें।

संलग्नक : मूल प्रार्थना पत्र।

(हस्ताक्षर)
सुरेश चौहान
विधायक
गंगोत्री विधान सभा क्षेत्र

प्रतिलिपि : अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0 लो0नि0वि0 भटवाड़ी को यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

14/Feb/2025
0128/4
सहायक आंग्ल अभिलेखपाल
जिला कार्यालय
उत्तरकाशी

बसन्ती

Annexure No. RJ 21 : Photographic Evidences

Picture of orchard before destruction (2014-2022)

Photo of Apples on the Orchard

Photo of Fully green Apple orchard (2014)

बसन्ती

Greenry of the Orchard (2021)

Photos Of Apple Orchard (incident site) after destruction (2025)
Shot on OnePlus

बसमती

बसन्ती

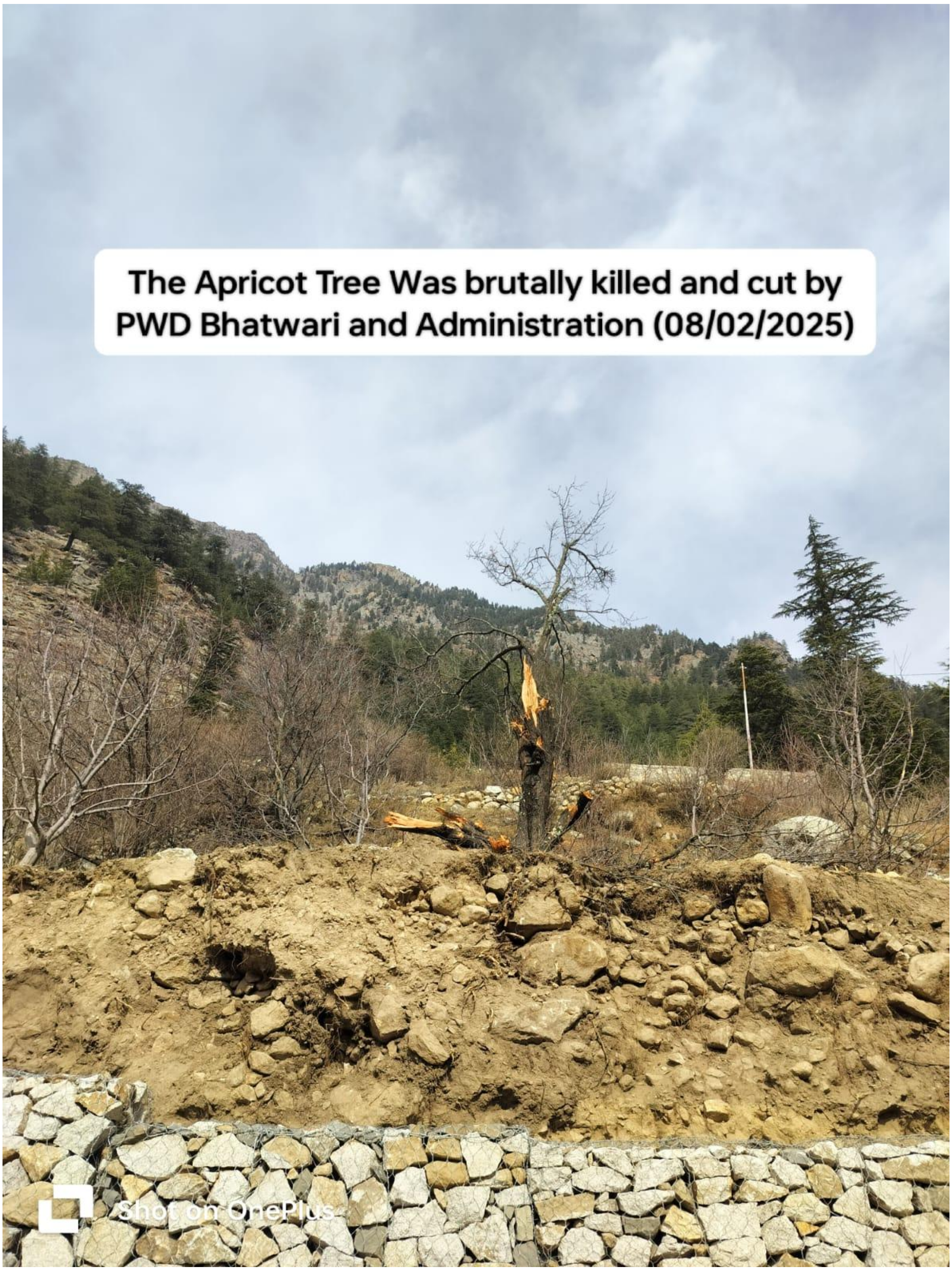
The Apricot Tree Was brutally killed and cut by
PWD Bhatwari and Administration (08/02/2025)
Shot on OnePlus

बसन्ती

Victim crying in the front of Executive Engineer with their family

बसन्ती

बसन्ती

BEFORE / AFTER

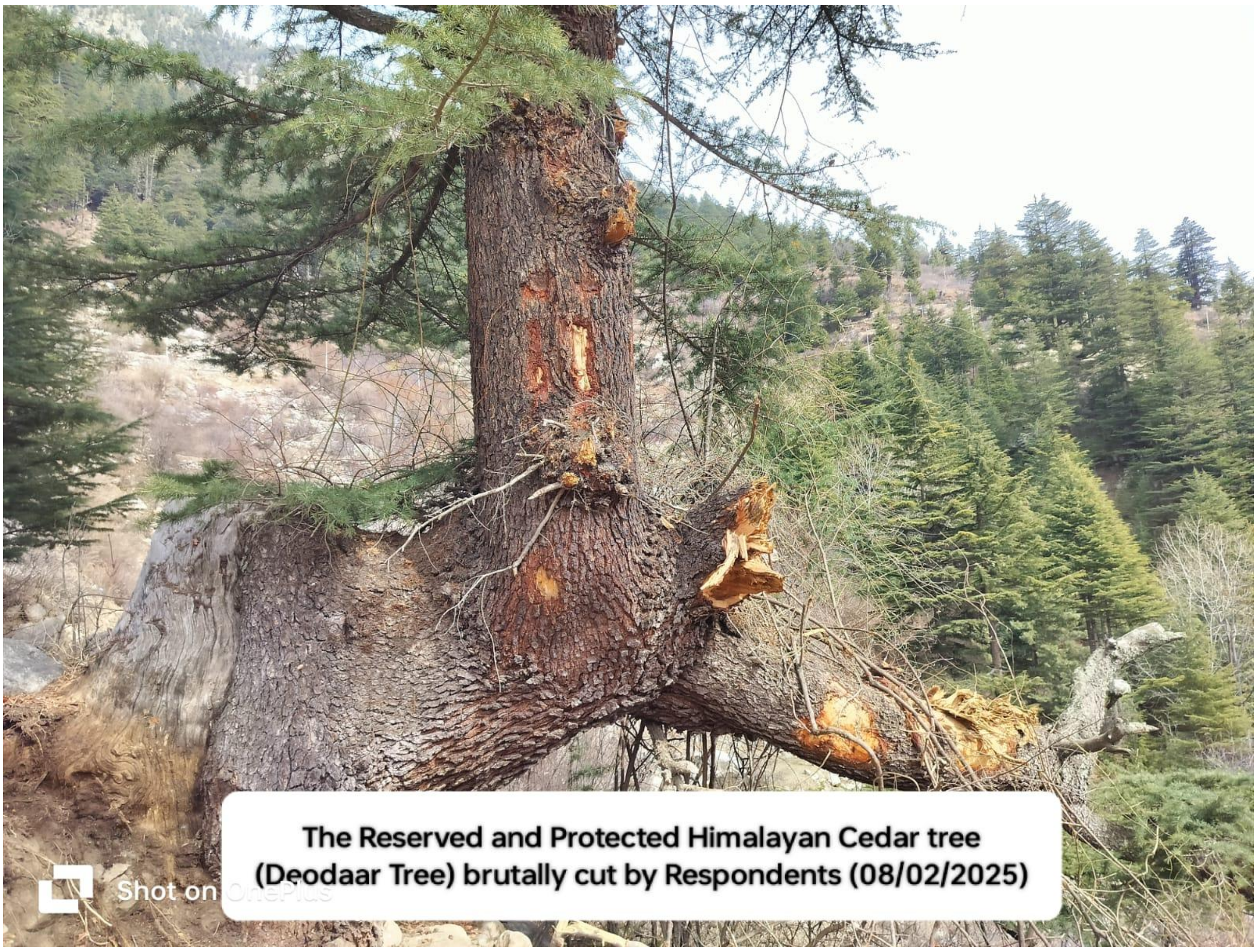
The Reserved and Protected Himalayan Cedar tree
(Deodaar Tree) brutally cut by Respondents (08/02/2025)
Shot on OnePlus

Shot on OnePlus

बसन्ती

Victims on their destructed Orchard/land

बसन्ती

18 Jun 2025, 15:20

18 Jun 2025, 15:20

Upcoming Forest of Protected Cedor (Deodar) trees from the Dead End of the HARSHIL – MUKHWA – JANGLA Road towards Jangla

PROOF OF SERVICE

296

Mr. Dhruv Tamta (Respondent's Advocate)
online

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION No. 80/2025

REJOINDER Affidavit on BASANTI DEVI & ors vs PWD BHATWARI ...
115 pages • PDF • 27 MB

Service of Rejoinder Affidavit & IAs (No. 136/2025 & 512/2025) in O.A. No. 80/2025 – Basanti Devi & Ors. vs. Executive Engineer, PWD Bhatwari & Ors.

Respected Sir/Madam,

Please find attached herewith the following documents on behalf of the Applicants in the above-mentioned matter pending before the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi:

1. Rejoinder Affidavit in O.A. No. 80/2025
2. Interlocutory Application No. 136/2025
3. Interlocutory Application No. 512/2025

These have been duly filed before the Hon'ble Tribunal.

This may kindly be treated as due service of the above documents upon you.

Kindly acknowledge receipt.

Regards,
Basanti Devi
PARTY-IN-PERSON
E-mail: semwalabhinavraman2985@gmail.com
Attachments:

Type a message

Contact info

Mr. Dhruv Tamta (Respondent's Advocate)
+91 98688 49209

About
Hey there! I am using WhatsApp.

Media, links and docs 7

Starred messages

Mute notifications

Disappearing messages
Off

Advanced chat privacy
Off

Encryption
Messages are end-to-end encrypted. Click to verify.

Add to favourites

Gmail — **Abhinav Raman semwal <semwalabhinavraman2985@gmail.com>**

Service of Rejoinder Affidavit in O.A. No. 80/2025 – Basanti Devi & Ors. vs. Executive Engineer, PWD Bhatwari & Ors.

1 message

Abhinav Raman semwal <semwalabhinavraman2985@gmail.com> — 23 August 2025 at 15:39
To: tamtaadvocates@outlook.com

Service of Rejoinder Affidavit & IAs (No. 136/2025 & 512/2025) in O.A. No. 80/2025

– *Basanti Devi & Ors. vs. Executive Engineer, PWD Bhatwari & Ors.*

Respected Sir/Madam,

Please find attached herewith the following documents on behalf of the Applicants in the above-mentioned matter pending before the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi:

1. **Rejoinder Affidavit** in O.A. No. 80/2025
2. **Interlocutory Application No. 136/2025**
3. **Interlocutory Application No. 512/2025**

These have been duly filed before the Hon'ble Tribunal.

This email may kindly be treated as due service of the above documents upon you.

Kindly acknowledge receipt.

Regards,
Basanti Devi

PARTY-IN-PERSON

7668241905

REJOINDER Affidavit on BASANTI DEVI & ors vs PWD BHATWARI & ors - OA 80 of 2025.pdf

Attachments:

- Rejoinder Affidavit (PDF)
- IA 136/2025 (PDF)
- IA 512/2025 (PDF)

2 attachments

IA 512 of 2025 in OA 80 of 2025.pdf
16893K

IA 136 of 2025 in OA 80 of 2025.pdf
4903K